Thursday, 27 November, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   *Price :* One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, गुरुवार, 27 नवम्बर, 1969/6 अग्रहायण, 1891 (शक)
No.—9, Thursday, November 27, 1969/6 Agrahayana, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
242. गेहूँ के आयात के लिये नया पी० एल० 480 करार	New PL. 480 Agreement for Import of Wheat	1—7
243. पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल में आना	Migration of Refugees from East Pakistan to West Bengal	8—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
241. देश में प्रधान मन्त्री के दौरों के समय यात्रा कर रहे संवाददाताओं का चयन	Selection of Correspondents Travelling with Prime Minister on her Domestic Tours	15—16
244. बिहार में ग्रामदान आन्दोलन में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग	Misuse of Machinery in Gramdan Movement in Bihar	16
245. पोर्ट ब्लेयर अन्दमान में आरा मिल	Saw Mill at Port Blair, Andamans	16—17
246. भूमि सुधार	Land Reforms	17—18
247. भारत सेवक समाज के कार्यों की जांच	Inquiry into the Affairs of Bharat Sewak Samaj	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
248. पश्चिमी बंगाल में तिब्बतियों का आगमन	Influx of Tibetans into West Bengal	18—19
249. सुपर बाजार, दिल्ली में चोरी के कारण हानि	Losses to Super Bazar, Delhi Due to Pilferage	19
250. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Medical facilities to Workers under the Employees State Insurance Scheme	19—20
251. काश्मीर के लिये कृषि उद्योग समूह	Agro-Industrial Complex for Kashmir	20
252. श्रम सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये नियुक्त आयोग	Commissions Appointed to Solve Labour Problems	20
253. चीनी उद्योग में संकट	Crisis in Sugar Industry	21
254. खाद्यान्नों के आयात के बिना खाद्य समस्या का हल	Solution of Food Problems without import of foodgrains	21
255. पश्चिम बंगाल को पटसन की खेती के अन्तर्गत भूमि की सिंचाई के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to West Bengal for Irrigation of Land under Jute Cultivation	22
256. औद्योगिक श्रमिकों को लाभ का कुछ अंश दिये जाने की योजना	Scheme for Profit Sharing by Industrial Labour	22
257. व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Work Centres	22—23
258. कृषि और सहायक उद्योगों के लिये भूमिहीन मजदूरों को काम में जुटाने की प्रायोगिक योजना	Pilot Scheme to Mobilise Landless Labour for Agriculture and Ancillary Schemes	23
259. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों को बहाल करना	Reinstatement of P and T Employees who Participiated in Sept. 19, 1968 Strike	23

तारां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
260. देश में कृषि क्रांति के बारे में विश्व बैंक के सलाहकार का प्रतिवेदन	Report of the World Bank Consultant regarding Green Revolution in the Country	24
261. काजू का उत्पादन	Production of Cashewnuts	24—25
262. वायस आफ अमरीका से भारतीय भाषाओं में होने वाले प्रसारण को बन्द किया जाना	Stoppage of Broadcasts from Voice of America in Indian languages	25
263. भूमि अधिग्रहण समिति का प्रतिवेदन	Report of the Land Acquision Committee	25
264. श्रम विवादों के विघटारे के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश	Recommendation of National Commission on Labour regarding Settlement of Labour Disputes	25—26
265. रूई का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Cotton	26
266. लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन बढ़ाने की योजना	Scheme for Increasing Production of Long Staple Cotton	26—27
267. उर्वरक पर से केन्द्रीय शुल्क का हटाया जाना	Withdrawal of Central levy on Fertilizer	27
268. राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commission on Labour	27—28
269. चुकन्दर से चीनी	Beet Sugar	28
270. उत्तर प्रदेश जनसंघ कार्यकारिणी समिति द्वारा गन्ने के ऊंचे मूल्यों की मांग	Demand for Higher Cane Price by UP Jan Sangh Working Committee	28—29

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1601. मत्स्य पालन संस्थापनों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमान	Scales of Pay of Administrative Officers of Fisheries Establishments	29
1602. हिन्दी टेलिप्रिंटर्ज	Hindi Teleprinters	29—30

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठे Pages
1603. पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Settlement of Refugees from Pakistan	31
1604. कलकत्ता व्यापारी संस्था द्वारा भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोप	Allegations against Food Corporation of India by Calcutta Traders Association	31—32
1605. महाराष्ट्र में पशुपालन कार्यक्रम	Animal Husbandry Programme in Maharashtra	32
1606. आकाशवाणी के कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण मंजूरी	Grant of House Building Advance to Employees of AIR	33
1607. पश्चिम बंगाल के दीनापुर जिले के पंजपारा शाखा डाकघर का स्तर बढ़ाया जाना	Upgarding of Panjpara Branch Post Office in Dinapur District (West Bengal)	33—34
1608. दिल्ली में टेलीविजन के कार्यक्रमों के समय में वृद्धि	Extension of TV Timings in Delhi	34
1609. नियुक्ति के स्थान से बाहर अन्य स्थान पर पदोन्नत करने की पेशकश	Offer of Promotion Outside the Place of Posting	34—35
1610. प्रोडक्शन असिस्टैन्टों की भर्ती	Recruitment of Production Assistants	35
1611. आकाशवाणी दिल्ली में प्रोडक्शन असिस्टैंट	Production Assistants in AIR, Delhi	35—36
1612. आदर्श नेत्र अस्पताल, लाजपतनगर, नई दिल्ली को राशन कार्ड का जारी किया जाना	Issue of Ration Card to Adarsh Netra Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi	36—37
1613. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्रों को सुविधायें	Facilities to Students of Industrial Training Institutes	37
1614. ग्राम दान आन्दोलन की सहायता	Aid to Gramdan Movement	37—38
1615. राज्यों में ग्रामदान अधिनियमों का न होना	Non-existence of Gramdan Acts in States	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1616. बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में ग्रामदान आन्दोलन	Gramdan Movement in Chotanagpur and Santhal Pargana of Bihar	38
1617. वित्तीय सलाहकार सेवा का स्थापित किया जाना	Setting up of a Financial Advisory Service	39
1618. राजस्थान के जालौर जिले में नलकूप लगाना	Construction of Tubewells in Jalore District, Rajasthan	39—40
1619. राज्य वार चीनी मिल	Sugar Mills, State Wise	40
1620. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में तालाबन्दी तथा हड़तालें	Incidence of Strikes and Lockouts in Public and Private Sector Industries	41
1621. सुपर बाजार, दिल्ली में माल के स्टाक का निर्धारण	Assessment of Stock in Super Bazar, Delhi	41
1622. दिल्ली के सुपर बाजारों में पूंजी विनियोजन	Capital invested in Super Bazars, Delhi	42—43
1623. नाशिकीटों की रोकथाम के लिये अभियान	Launching of Pest Control Operations	43
1624. कृषि उत्पादों की बिक्री प्रणाली में परिवर्तनों को लागू करना	Introduction of Changes in Agricultural Marketing System	43—44
1625. कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के लिये धनराशि	Funds for Agricultural Universities and Institutions	44—45
1626. चलचित्र परिषद्	Film Council	45
1627. जोतों की चकबन्दी में धीमी प्रगति के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट	Report of Programme Evaluation Organisation on slow Progress in Consolidation of Holdings	45—46
1628. वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Commercial Crop	46—47
1629. काश्मीर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना	Beet Root Sugar Factory in Kashmir	47

अतारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1630.	समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय कर्मचारियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये न्यास	Trust to Safeguard Independence of Editorial Staff of News Agencies	48
1631.	आकाशवाणी से प्रसारित विज्ञापनों की जांच	Scrutiny of Commercial Advertisements over AIR	48
1632.	मंत्रियों के टेलीफोन बिल	Telephone Bills of Ministers	49
1633.	आकाशवाणी के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों से विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasting over all Important AIR Stations	49
1634.	राजस्थान में खाद्य उत्पादन के लिये भूमि का सर्वेक्षण	Survey of Land Resources for Food Production in Rajasthan	49—50
1635.	कृषि ऋण समितियों के द्वारा ली गई अधिक ब्याज दर	High Rate of Interest Charged by Agricultural Credit Societies	50—51
1636.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता	Assistance to West Bengal for Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	51
1637.	अन्तर-सरकारी समुद्री परामर्शदातृ संगठन की दसवीं वर्षगांठ पर हिन्दी में स्मृति टिकटें	Commemorative Stamps in Hindi on the Tenth Anniversary of Inter-Government Maritime Consultative Organisation	51—52
1638.	1969 में चीनी का निर्यात	Export of Sugar in 1969	52
1639.	पी० एल० 480 के अंतर्गत गेहूं का आयात	Import of wheat under PL 480	53
1640.	पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of East Pakistan Refugees in West Bengal	53
1641.	डाकघर बचत प्रोत्साहन बोनस योजना	Post Office Savings Incentive Bonus Scheme	53—54
1642.	25 अक्तूबर, 1969 को प्रैस रिपोर्टरों को सान्ता क्रूज में आने से रोकना	Press Reporters Barred at Santa Cruz on 25th October, 1969	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1643.	रोजगार प्रधान योजनायें	Employment Oriented Schemes	55
1644.	मजूरी बोर्डों के पंचाटों को क्रियान्वित न करना	Non-implication of Wage Board Awards	55
1645.	उर्वरक संवर्धन निदेशालय का गठन	Constitution of Fertilizer Promotion Directorate	55
1646.	भूमिहीन किसानों की सहकारिता	Cooperative of Landless Peasants	56
1648.	सरकारी समाचार एजेंसी	Government News Agency	56
1649.	राष्ट्रीय श्रम आयोग संबंधी व्यय	Expenditure on National Commission on Labour	57
1650.	समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Newspapers	57
1651.	बीजों की बिक्री के लिये लिये बीज समीक्षा समिति का सुझाव	Suggestion of Seed Review Committee for Seeds Marketing	57—58
1652.	वाणिज्यिक विज्ञापनों से लाभ और प्रायोजित कार्यक्रमों का चालू किया जाना	Profit out of Commercial Advertisements and Introduction of Sponsored Programmes	58—59
1653.	फिल्म वित्त निगम	Film Finance Corporation	59
1654.	इंडियन डायजेस्ट	Indian Digest	59
1655.	विजीनजाम (केरल) में समुद्री अनुसंधान केन्द्र	Marine Research Centre at Vizhinjam (Kerala)	60
1656.	अनाज के आवंटन के लिये राज्य सरकारों की मांग	Demands of State Government for Allotment of Foodgrains	60—61
1657.	अनाज का आयात	Import of Foodgrains	61
1658.	भारत में अनाज भण्डारों में जमा रखने की क्षमता	Storage Capacity of Foodgrains in India	61—62
1659.	खाद्यान्नों को गोदामों में रखने तथा लाने ले जाने में हुई हानि	Losses Suffered on Handling of Foodgrains	62—63
1660.	डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रपत्रों (फार्मों) की छपाई	Printing of P and T Department Forms in Hindi	63—64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1661. डाक तथा तार सर्किल लखनऊ में टेलीप्रिंटर सुपरवाइजरों की चयन सूची का रद्द किया जाना	Cancellation of panel of Teleprinter Supervisors in P and T Circle, Lucknow	64
1662. आरक्षित पदों का सामान्य पदों में परिवर्तन	Conversion of Reserved Posts into General Posts	64
1663. खाद्यान्नों का फालतू भंडार	Buffer Stocks of foodgrains	65
1664. उपभोक्ता सहकारी समितियों के आधार ढांचे में परिवर्तन	Changes in Structural Base of Consumer Cooperatives	65
1665. पश्चिम बंगाल में अनाज की कमी	Food deficit in West Bengal	66
1666. प्रोड्यूसरों तथा सहायक प्रोड्यूसरों की सेवानिवृत्ति स्थानान्तरण	Retirement and Transfer of Producers and Assistant Producers	66—67
1667. उत्तर प्रदेश में मुहीउद्दीनपुर चीनी मिल	Mohiuddinpur Sugar Factory in U. P.	67
1668. प्रैस आयोग	Press Commission	67
1669. आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा राजनीतिक लेख लिखे जाना	Political articles written by All India Radio Officials	67
1670. बाल चलचित्र संस्था के भूतपूर्व मन्त्री पर धन के गबन करने का कथित आरोप	Alleged Misappropriation of Funds by Ex-Secretary of Children's Film Society	68
1671. भारत मे शूटिंग की गई पश्चिम जर्मनी की फिल्म "बिलव्ड इण्डिया" का नाम "कामसूत्र" रखा जाना	West German Film 'Beloved India' shot in India Rechristenced 'Kamsutra'	68—69
1672. दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को बासमती चावल की सप्लाई	Supply of Basmati Rice to Ration Card holders in Delhi	69
1673. मधुवा कीड़े के कारण उत्तर बिहार में फसल को क्षति	Loss to Crop in North Bihar due to Madhua insects	70

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1674.	बिहार के सहरसा जिले में खारदा नदी से छोटी सिंचाई योजना	Minor Irrigation Scheme of Khardah River in Saharsa Distt. of Bihar	70
1675.	सहरसा, बिहार में डाक डिवीजन का बनाया जाना	Creation of Postal Division in Saharsa, Bihar	70—71
1676.	कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार वसूल किये गये अनाज के मूल्य का किसानों को बन्ध-पत्रों (बांडों) के रूप में भुगतान	Payment in Bonds to Farmers of Food-grains Procured as Recommended by Agricultural Prices Commission	71
1677.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिये कृषकों द्वारा दी गई रजिस्ट्री फीस तथा मुद्रांक शुल्क	Registration Fees and Stamp Duty Paid by Farmers for Taking Loans from Nationalised Banks	71—72
1678.	लेह के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful Transmitter for Leh	72
1679.	खाद्यान्नों के नियंत्रण पर छूट	Relaxation in the Control on Foodgrain	72—73
1680.	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का पुन. आना	Fresh Migration of Refugees from East Pakistan	73
1681.	प्रसार प्रबन्धकों के वेतन मानों में वृद्धि	Upward Revision of Pay Scales of Transmission Executives	73—74
1682.	कृषि का आधुनिकीकरण	Modernization of Farming	74
1683.	लद्दाखी जनता के लिये रेडियो पर चीनी पाकिस्तानी प्रचार	Sino Pak. Instigation over Radio Broadcasting to Ladakhi People	74
1684.	अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह सहयोग 3 कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि पर केन्द्र	Ground Stations under Intelsat—3 (International Telecommunication Satellite Cooperation) Programme	74—75
1685.	बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार	Employment to Unemployed Villagers	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1686. बैंक राष्ट्रीयकरण और रबात के सम्बन्ध मे आकाशवाणी से वार्ता आदि का प्रसारण	Talks on Bank Nationalisation and Rabat Conference Relayed from AIR	75
1687. सूरतगढ़ फार्म (राजस्थान) की फसल को क्षति	Damage to Crop at Suratgarh Farm (Rajasthan)	76
1688. चीनी का निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में गिरावट	Export of Sugar and its Fall in Price in International Market	76—77
1689. अनिकापल्लि (आन्ध्र प्रदेश) में मैक्स (मेन आटो एक्सचेंज) की स्थापना	Installation of Max (Main Auto Exchange) at Anakapalle (Andhra Pradesh)	77
1690. विशाखापत्तनम में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	Employees State Insurance Hospital in Visakhapatnam	77—78
1691. धान की अधिक उपज देने वाली तथा स्वादिष्ट किस्में विकसित करने के प्रयोग	Experiments for Evolution of High yielding and Tasty Varieties of Paddy	78
1692. बिहार में गांधी शताब्दी वर्ष में पड़ती भूमि का वितरण	Distribution of Fallow Land in Bihar during Gandhi Centenary Year	79
1693. गांधी शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की संख्या	Number of National Programmes in Gandhi Centenary Year	79
1694. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में पुनर्वास	Settlement of East Pakistan Refugees in Andaman and Nicobar Islands	79—80
1695. पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बसाने के लिए भूमि को खेती योग्य बनाया जाना	Reclamation of Land for Settlement of East-Pakistan Refugees in Andaman and Nicobar Islands	80—81

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1696. ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों तथा शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of Ex-servicemen and Refugees in Greater Nicobar Islands	81—82
1697. अन्दमान में बसे शरणार्थियों की समस्यायें	Problems Faced by Refugees Settled in Andamans	82—83
1698. हिन्दी बुलेटिनों से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समाचार का निकाल दिया जाना	Exclusion of News of Bank Nationalisation from Hindi Bulletins	84
1699. ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलना	Opening of new Post Offices in Rural Areas	84
1700. आयातित चावल के लिये राज्य सहायता	Subsidy on Imported Kice	85
1701. सोयाबीन को पण्योपयोगी बनाने, उसके उपयोग तथा विपणन सम्बन्धी सम्मेलन	Conference on Processing, Utilisation and Marketing of Soyabeans	85
1703. इन्जीनियरी स्नातकों को रोजगार दिलाने के लिये प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन	Amendment of Apprenties Act, 1961 to facilitate Employment of Engineering Graduates	85—86
1704. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	86
1705. कोटा के लिये आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Kota	86—87
1706. एक्सप्रैस डिलीवरी अंकित शाम की डाक का कोटा, राजस्थान में वितरित न किया जाना	Non-Delivery of Evening Mail marked as Express Delivery in Kotah, Rajasthan	87
1707. शीतलपुर, चीनी मिल, बिहार के श्रमिकों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to the Labourers of Sitalpur Sugar Mill, Bihar	87
1708. उपग्रह संचार व्यवस्था	Satellite Communication Net Work	87—88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1709.	गाँधीजी के श्रम सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये एक श्रम अध्ययन संस्थान की स्थापना करना	Setting up of a Institute of Labour Studies for propagation of Gandhi Philosophy on Labour	88
1710.	संसद् सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना	Instalation of Telephones in M. Ps. Constituencies	88—89
1711.	आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रम से प्राप्त राजस्व	Revenue from Commercial Programme over AIR	89
1712.	आकाशवाणी से विदेशी भाषाओं में प्रसारण	AIR Broadcasts in Foreign Languages	89—90
1714.	खेतों पर डी० डी० टी० के छिड़काव का प्रभाव	Effect of Spray of DDT on Farms	90
1715.	भारत के खाद्य निगम द्वारा आटा मिलों को सड़े हुए गेहूँ की सप्लाई	Supply of Rotton Wheat to Flour Mill by Food Corporation of India	90—91
1716.	टेलीफोन लगने के लिये अवेदन शुल्क	Application fee for Telephone Connections	91
1717.	गांधी शताब्दी वर्ष में नलकूप लगाना	Sinking of Tube Wells During Gandhi Centenary Year	91—92
1718.	बिहार में नीमा (छोटी) सिंचाई योजना	Nima (Minor) Irrigation Scheme in Bihar	92
1719.	सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement	92—93
1720.	बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन	Production of Quality Seeds	93—94
1721.	खाद्य नियंत्रण ढील	Relaxation of Food Controls	94
1722.	संवाददाताओं को परेशान किया जाना	Harassment to Newspaper Correspondents	94—95
1723.	महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों का मुनाफा	Profits by Co-operative Sugar Mills in Maharashtra	95
1724.	चीनी का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Sugar	95—96
1725.	श्रम जीवी पत्रकारों तथा व्यंग्य चित्रकारों का कथित तंग किया जाना	Alleged Victimisation of Working Journalists and Cartoonists	96

अ॰ तां॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1726.	धनबाद (बिहार) के टेली-फोन केन्द्र के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकयतें	Complaints against Staff of Telephone Exchange at Dhanbad, Bihar	96—97
1727.	राज्यों को खाद्यान्नों के लिये राज सहायता	Subsidy to States for Foodgrains	97—98
1728.	हरियाणा के लिये आकाश-वाणी केन्द्र	Radio Station for Haryana	98
1729.	खरीफ फसल के लिये खाद्य के निर्धारित लक्ष्य	Food Targets for Kharif Crops 1969	98
1730.	हरियाणा राज्य द्वारा चावल का उत्पादन	Production of Rice by Haryana State	98—99
1731.	राष्ट्रीय नेताओं के चलचित्र	Films on National Leaders	99—100
1732.	दिल्ली दुग्ध योजना का अग्रेतर विकास	Further Development of Delhi Milk Scheme	100—101
1733.	बिहार में मकान बनाने के लिये कृषि भूमि का अधिग्रहण	Acqusition of Agricultural Land for House Building in Bihar	101—102
1734.	बीड़ी उद्योग के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लागू करना	Appiication of Employees Provident Fund Scheme to Beedi Industry Labourers	102
1735.	बिहार सर्किल में गारन्टी और गैर गारन्टी के आधार पर डाकघर	Post offices in Bihar Circle on Guarantee and Non-guarantee Basis	103
1736.	बिहार सर्किल में ट्रंक लाइनों में रुकावटें	Interruption on Trunk Lines in Bihar Circle	103—104
1737.	बिहार सर्किल में तांबे के तारों की चोरी	Theft of Copper Wire in Bihar Circle	104
1738.	आकाशवाणी, दिल्ली के युववाणी कार्यक्रमों के लिये प्रोड्यूसर का चयन	Selection of Producer of Yuva Vani Programme of AIR Delhi	104
1739.	कारखानों में सुरक्षा अधि-कारियों की नियुक्ति	Appointment of Safety Officers in Factories	105

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
1740. आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी के बारे में निर्णय	Decision Regarding Need Based Minimum Wages	105
1741. उड़ीसा के बारगढ़ में सहकारी चीनी मिल	Co-operative Sugar Mill in Baragarh, Orissa	105—106
1742. सोयाबीन के बीजों का अमरीका से आयात	Import of Soyabean Seeds from USA	1 6
1743. सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण	Loans to Farmers by Cooperative Societies	106
1744. मंत्री द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ इंटरव्यू	Grant of Interview by the Minister to his Employees	107
1745. छोटे किसानों के लिए सरकारी ट्रैक्टरों की उपलब्धता	Availability of Government Tractors to Small Farmers	107—108
1746. राष्ट्रीय डाक तार कर्मचारी संघ को पुनः मान्यता देना	Restoration of Recogintion of the National Federation of Posts and Telegraph Employees	108
1747. भविष्य निधि सेवाओं में सुधार	Betterment of Employees Provident Fund Services	108—109
1748. कोयला खानों के मजदूरों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Workers in Collieries	109
1749. केन्द्रीय मंत्रियों के टेलीफोन बिल	Telephone Bills of Central Ministers	109
1750. बिहार की भू समस्या	Land Problem of Bihar	109—110
1751. भारतीय नेताओं के भाषणों का संकलन	Compilation of Speeches of Indian Leaders	110
1752. राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर श्रम संहिता का पुनरीक्षण	Revision of Labour Code on the Basis of Report of the National Commission Labour	110
1753. चीनी के निर्यात में कमी	Decline in Export of Sugar	110—111
1754. खाद्य सहायता अभिसमय	Food Aid Convention	111
1755. केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Various States firm Central Pool	111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1756.	चावल का निर्यात	Export of rice	112
1758.	किसानों द्वारा हाई स्पीड डीजल मिट्टी के तेल के अधिक मूल्य और कमी पर विरोध	Protests by Cultivators against High Prices and Shortage of High Speed Diesel and Kerosene Oil	112
1759.	गैर सरकारी उपक्रमों में श्रम विवाद	Labour Disputes in Private Concerns	112—113
1760.	श्रमिकों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Workers	113
1761.	केरल सरकार की मछली पकड़ने की प्रयोगात्मक योजना	Pilot Fishing Scheme for Kerala Government	113—114
1762.	अहमदाबाद में तनाव पैदा करने वाले समाचारों का प्रसारण	Broadcast of News Tending to Create Tension in Ahmedabad	114
1763.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अधीन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices under Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation	114—115
1764.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Extent of use of Hindi in Offices under Ministry of Information and Broadcasting	115
1765.	स्वायत्तशासी निकायों सहित श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय के अधीन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices under Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation including Autonomous Bodies	115—116
1766.	हिन्दी भाषी राज्यों और पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र में डाक तथा तार कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Posts and Telegraphs Offices in Hindi speaking States and in Punjab, Gujarat and Maharashtra	116
1767.	कोयला खानों के कार्य के आधार पर और समय के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों को उपस्थिति बोनस	Attendence Bonus to Piece rated and Time rated workers of Collieries	116—117

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
1768. कोयला खानों में बोनस अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Bonus Act in collieries	117
1769. वर्ष 1969 का अनाज के उत्पादन का लक्ष्य	Food target for the year 1969	117—118
1770. संसद् सदस्यों को टेलीफोन सेटों की सप्लाई	Supply of T. V. Sets to M.Ps.	118
1771. उत्तर प्रदेश की पंचायतों के सचिवों की मांगें	Demands of Secretaries of Panchayats of U. P.	118
1772. दिल्ली दुग्ध योजना के घी के डिब्बों के वजन का कम होना	Underweight of tins of Ghee of Delhi Milk Scheme	119
1773. दिल्ली प्रशासन के अधीन उद्यान सहायक तथा कृषि विस्तार अधिकारी	Horticulture Assistants and Agricultural Extension officers under Delhi Administration	119—120
1774. कृषि स्नातकों को भूमि	Land to Agricultural graduates	120
1775. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रियदर्शनी टेलीफोन उपकरण का निर्माण	Production of Priyadarshini Telephone Apparatus by Indian Telephone Industries Ltd.	120—121
1776. भारतीय टेलीफोन उद्योग नैनी, इलाहाबाद के दूसरे एकक में उत्पादन	Production at the second Unit of Indian Telephone Industries at Naini, Allahabad	121
1777. मछलियों का निर्यात	Export of Fish	122—123
1778. दूर संचार इन्जीनियरी पर्यवेक्षक संघ की वेतनमानों के पुनरीक्षण की मांग	Demand by Telecommunication engineering Supervisors Association for Revision of pay scales	123
1779. लेखकों को लेख लौटाना	Return of scripts to Writers	123—124
1780. दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो प्रबन्धकों का पद नाम बदलना	Change in the Designation of depot Managers of Delhi Milk Scheme	124
1782. सामुदायिक विकास विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के सुझाव देने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति	Constitution of High Power Committee to suggest Improvements in the Working of Department of Community Development	124—125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1783. चौथी योजना में डेरी विकास	Dairy Development under Fourth Plan	125—126
1784. कृषि योग्य भूमि तथा वन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of cultivable lands and Forests	126
1885. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई अंकमाला का संकलन	Compilation of new series of All India Consumer Prices Index Numbers	126—127
1786. बिहार के पूर्णिया जिले में टेलीफोन तथा तार की सुविधायें	Telephone and Telegraph Facilities in Purnea District, Bihar	127—128
1787. बिहार के पूर्णिया जिले में किशनगंज तथा बहादुरगंज में डाकघरों के भवनों का निर्माण	Construction of post office Buildings in Kishanganj and Bahadurganj in Purena District, Bihar	128
1788. बिहार में पूर्णिया तथा सहरसा जिले में डेरी फार्म	Dairy farms in Purnea and Saharsa Districts, Bihar	128
1789. त्रिपुरा में बेरोजगारी	Unemployment in Tripura	129
1790. सुपर बाजार, दिल्ली के अध्यक्ष को दी गई सुविधायें	Facilities provided to Chairman, Super Bazar, Delhi	129—130
1791. त्रिपुरा में पंचायतों की शक्तियां	woPer of Panchayats in Tripura	130
1792. त्रिपुरा का प्लाईवुड कारखाना	Plywood Factory in Tripura	130—131
1793. नदी उठाऊ सिंचाई योजना के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Madhya Pradesh for River Lift Irrigation Scheme	131
1794. पूर्व निमाड, मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई कार्यों पर व्यय	Expenditure on Minor Irrigation works in East Nimad, M. P.	132
1795. बुरहानपुर नगर (मध्य प्रदेश) टेलीफोन केन्द्र का कार्यकरण	Working of Telephone exchange in Burhanpur city (Madhya Pradesh)	132

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	Pages ५८३
1796. चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और तार की सुविधायें	Posts and Telegraphs facilities in Rural Areas of Madhya Pradesh during Fourth Plan	132—133
1797. बेतुल तथा बस्तर (मध्य प्रदेश) में शरणार्थी	Refugees in Betul and Bastar (Madhya Pradesh)	133
1798. 'फाइव पास्ट फाइव' नामक चलचित्र का निर्माण	Production of film 'Five Past Five'	133
1799. कम लागत की फिल्मों के लिये ऋण	Loans for low cost films	134
1800. दिल्ली में टेलीफोन से बेहूदा कालें	Obnoxious Telephone calls in Delhi	134—135
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	135—137
गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी दिल्ली को कोतवाली की इमारत का हस्तांतरण	Transfer of Kotwali Building to Gurdwara Prabhandhak Committee, Delhi	135
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	135
डा० एस० चन्द्रशेखर	Dr. S. Chandrashekhar	135
इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के बारे में	Re. Erection of Statue of Mahatma Gandhi at India Gate	137—138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	138
बिड़ला काटन मिल्स में हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement on Birla Cotton Mills Strike	138—140
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	138
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	Motor Vehicles (Amendment) Bill	140
खण्ड 2 से 82 और 1	Clauses 2 to 82 and 1	140—173
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	175
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	173
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	173—174
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	174

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	174
श्री केदार पस्वान	Shri Kedar Paswan	174
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh	174—175
शपथ विधेयक	Oaths Bill	175—177
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	175
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	175—176
श्री बृज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	176—177
श्री वि० प्र० मण्डल	Shri B. P. Mandal	177
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	177
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	177

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 27 नवम्बर, 1969/6 अग्रहायण, 1891 (शक)

Thursday, Nov. 27, 1969/Agrahayana 6, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Speaker *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गेहूँ के आयात के लिए नया पी० एल० 480 करार

+

*2. श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री श्रीनिवास :
श्री जनार्दनन :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ई० के० नायनार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 लाख मीटरी टन गेहूँ के आयात के लिए अमरीका के साथ एक नये पी० एल०-480 करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग ने सरकार को चेतावनी दी है कि ऐसे आयातों का वसूली आन्दोलन पर गंभीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो पी०एल०-480 कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखकर नया करार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। करार पर 13 अक्तूबर, 1969 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) जी नहीं। कृषि मूल्य आयोग का संकेत यह है कि उत्पादन में वृद्धि होने से उत्पादकों को साहाय्य मूल्य प्रदान करने के लिये सरकार को और अधिक मात्रा खरीदनी होगी और न निकासी में कमी होने और उसके फलस्वरूप संचयन पर भार पड़ने से सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह चालू वर्ष और बाद के वर्षों के खाद्यान्न-आयात करने के कार्यक्रम की समीक्षा कर जहां तक आवश्यक हो, उसमें कमी करें।

(ग) अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने के प्रत्येक प्रयत्न किये जा रहे हैं और सरकार को चालू वितरण और बफर स्टाक तैयार करने के लिये शेष जरूरतों को पूरा करने के हेतु आयात कर रही है।

Shri Yogendra Sharma : The hon. Minister has just stated that the PL 480 Agreement was signed with view to maxmise the procurement but according to me the said agreement should have been scrapped. I would age the hon. Minister that he should make the position more clear.

May I know whether the money, which we have to pay to a foreign country for the import under P. L. 480, cannot be utilised for increasing our internal production by investing it into irrigation and power projects so that we will have not to depend on other countries for our food requirements ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का यह मान लेना कि सरकार ने खाद्यान्नों की वसूली बढ़ाने के लिये पी० एल० 480 करार किया है, गलत है। मैंने अथवा सरकार ने अपने उत्तर अथवा अन्य किसी स्थान पर कोई ऐसी बात नहीं कही है। आत्म निर्भरता के सम्बन्ध में हमारी स्थिति स्पष्ट है। उत्पादन सम्बन्धी हमारी स्थिति संतोषजनक है और हम प्रायः आत्म-निर्भर होने की स्थिति में हैं। अभी तक हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं इसलिए हमें यह कमी आयात से पूरी करनी पड़ती है। खाद्यान्नों के हमारे आयात में उत्तरोतर कमी होती जा रही है। गत वर्ष हमने 80-90 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का आयात किया था जबकि इस वर्ष यह मात्रा केवल 40 लाख टन है। सरकार चाहती है कि वर्ष 1970-71 तक हम ऐसी स्थिति में हो जायें कि हमें रियायत से किसी करार आदि के अन्तर्गत आयात न करना पड़े।

Shri Yogendra Sharma : Punjab had a bumber wheat crop last year and it became a problem for the farmers that to whom they should sill their produce. The food corporation of India came in the field but it was not able to purchase more than its capacity and to the entire satisfaction of the farmers. Thus on the one hand the farmers of Punjab faced a great difficulty in selling their produce and on the other hand the Government helped the American farmers by importing American wheat under P. L. 480 Agreement. Keeping in view the above fact may I know the reasons for importing wheat under P. L. 480 Agreement instead of making suitable agreement for purchasing the produce from the Indian farmers ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई उदाहरण मुझे बताएं जिसमें भारतीय खाद्य निगम पंजाब के किसानों से खाद्यान्न नहीं खरीद सका तो मैं उनका आभारी रहूँगा। कम से कम पंजाब राज्य सरकार का ऐसा अनुमान नहीं है ; भारतीय खाद्य निगम ने सराहनीय कार्य किया था तथा सरकार ने यह खुला आश्वासन दिया था कि मंडी में खाद्यान्नों की चाहे जितनी मात्रा लाई जायेगी वह न केवल न्यूनतम अपितु वसूली मूल्य पर खरीद ली जायेगी।

अब तक पंजाब में बिक्री के लिये जितनी भी मात्रा मंडी में लाई गई वह भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद ली गई।

जहां तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की सराहना करता हूं किन्तु मैं इस सम्बन्ध में बता चुका हूँ कि हमारा विचार निर्यात कम करने का है और वर्ष 1970-71 तक हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत निर्यात पूर्णतः बन्द करने का सरकार का विचार है।

श्री ई० के० नायनार : क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह मांग की गई थी कि पी० एल० 480 के करार के अन्तर्गत आयात बन्द कर दिये जायें। इस सभा में भी इस करार के अन्तर्गत आयात बन्द करने की मांग की गई थी वर्ष 1956-57 के बाद अब तक 2000 करोड़ रुपये अधिक मूल्य का आयात किया जा चुका है। वर्तमान करार के अन्तर्गत 30 लाख मीटरी टन गेहूँ का, जिसका मूल्य 140 करोड़ रुपये होगा, आयात किया जायेगा। इस प्रकार यह राशि 2140 करोड़ रुपये हो जायेगी। कृषि-मूल्य आयोग ने कहा है कि वर्ष 1973-74 तक खाद्यान्नों के 50 लाख मीटरी टन का रक्षित भंडार जमा कर लेने की योजना है। इस वर्ष के अन्त तक, 30 लाख मीटरी टन का रक्षित भंडार जमा हो जायेगा और 50 लाख मीटरी टन पूरा करने के लिये 20 लाख मीटरी टन की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। कृषि मूल्य आयोग ने कहा है कि इस समय खाद्यान्नों के और भंडार जमा करने से समाहार प्रयास तथा खाद्यान्नों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः क्या सरकार मुख्य मंत्रियों के सर्वसम्मत विचार तथा कृषि आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी ? कदाचित इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वित्त मंत्रालय ने यह करार करने का निर्णय किया और कृषि मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के निर्णय से सहमति प्रकट करनी पड़ी। क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सर्वसम्मत राय को स्वीकार कर सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात पूर्णतः बन्द कर देगी ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि हमें यथाशीघ्र आत्मनिर्भर बनना चाहिये।

माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का उल्लेख किया है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस सम्बन्ध में पहले माननीय मंत्री श्री जगजीवन राम ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमने खाद्यान्नों के मामले में पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता पर निर्भरता यथाशीघ्र कम करने का निर्णय किया है। मैं सभा को बता चुका हूँ कि हम वर्ष 1970-71 के बाद पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात पूर्णतः बन्द करना चाहते हैं। मुख्य मंत्री भी इस बात से सहमत हैं। कृषि-मूल्य आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि वर्ष 1969 में वस्तुतः 40 लाख मीटरी तक की मात्रा का आयात किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1969 में 40 लाख मीटरी टन से कम आयात किया जायेगा। अतः जहां तक आयात कार्यक्रम का प्रश्न है, सरकार के प्रयत्नों तथा कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने कहा था कि भारतीय खाद्य निगम को समाहार किये गये खाद्यान्नों को गोदामों में रखने में कठिनाई हो रही है। आयातित गेहूँ

को गोदामों में रखने की क्या व्यवस्था की जायेगी, देश उत्पादित गेहूं के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तथा क्या इस करार के अन्तर्गत रुई का आयात किया जायेगा और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह प्रसंगानुकूल है । यदि मंत्री महोदय चाहें तो वह पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : यह एक पृथक प्रश्न है । माननीय सदस्य इसके लिए अलग सूचना दें । मैं इसका उत्तर दूंगा ।

श्री तेन्मेटि विश्वनाथम : क्या आयात बन्द करने का प्रस्ताव केवल गेहूं के सम्बन्ध में है अथवा यह चावल के सम्बन्ध भी है ? वर्तमान फसल की स्थिति क्या है तथा भविष्य में क्या आशा है ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : वर्तमान करार मुख्य रूप से गेहूं के बारे में है किन्तु कुछ समय बाद चावल की थोड़ी मात्रा भी इसके अन्तर्गत हो जायेगी । किन्तु वर्तमान करार के अन्तर्गत चावल नहीं है ।

Shrimati Jayaben Shah : The difficulties relating to foodgrains, particularly wheat, are due to the existance of zonal restrictions and because of it the production has shown a fall. We can solve this problem by with drawing the zonal restrictions. May I know when the zonal restrictions will be withdrawn ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मुझे आशा है कि माननीया सदस्या इस बात से अवगत है... (अन्तर्बाधा)

Shri Meetha Lal Meena : I was first to stand.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सभी पक्षों की ओर देखकर निर्णय करता हूं ।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैं कहना चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । तब भी यदि मंत्री उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री चेंगलराया नायडू : मंत्री महोदय ने श्रीमती जयाबेन शाह के पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैं यह मानता हूं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय आपके कहने पर यह कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, उन्होंने मेरे विचार को दोहराया है ।

श्री मनुभाई पटेल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह निर्णय कौन करता है कि किसी प्रश्न का मूल प्रश्न से सम्बन्ध है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय अध्यक्ष करता है । मंत्री महोदय ने तो मेरे निर्णय को दोहराया है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्षेत्रीय प्रतिबन्ध पी०एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात से सम्बन्धित है । इस करार के अन्तर्गत आयात के बिना क्षेत्रीय प्रतिबन्ध निस्प्रभावी हैं ।

श्री क० लकप्पा : समाजवाद के नये स्वरूप के अभाव में देश को अन्य देशों से नीचा देखना पड़ा है । सभा में तथा सभा के बाहर इस बात की आलोचना की गई है कि पी० एल० 480 के धन का राजनीतिक उद्देश्यों तथा चुनावों के लिये दुरुपयोग किया गया है । समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों तथा लेखों के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था पर अमरीका का प्रभाव है । किसी भी स्वाभिमानी देश को इस प्रकार का आयात तुरन्त बन्द कर देना चाहिये जिससे किसी देश का प्रभुत्व उस पर न रहे । अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात का हमारे रक्षित भण्डार की स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है क्या सरकार इस आयात को तुरन्त बन्द करेगी ? इस बारे में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड के एक लेख में कहा गया है कि 'यदि यह योजना सफल हो गयी तो पी० एल० 480 का धन आधा रह जायेगा और शेष आधी राशि को उसके प्रयोग के विचारों के स्पष्ट होने के साथ साथ बट्टे खाते में डालना पड़ेगा । "

समाजवाद के नये संदर्भ में क्या सरकार देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत आयात तुरन्त बन्द कर देगी ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैं बता चुका हूँ कि 1970-71 के बाद भारत का विचार रियायत की शर्तों पर आयात बन्द करने का है । मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि पी० एल 480 करार के अन्तर्गत पहले किया गया आयात लाभदायक नहीं रहा । वास्तव में यदि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत यदि आयात न किया गया होता तो वर्ष 1966-67 में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता ।

Shri Meetha Lal Meena : May I know whether it is a fact that 12500 bags of imported wheat were sold in Rajasthan at the rate of Rs. 52 per quintal while the price in the open market ruled at Rs. 95 per quintal if so, whether the wheat in question was rotton and if so, the reasons for wastage and misure of wheat imports.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को कम से कम प्रश्न के सम्बन्ध में केवल प्रसंगानुकूल ही प्रश्न पूछने चाहिए ।

Shri Meetha Lal Meena : If wheat imported earlier could not be utilized properly, what was the necessity of a new agreement ? This is my simple question ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या यह सच है कि पी० एल० 480 के बारे में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है और देश में यह गलत धारणा व्याप्त है कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और अमरीका को इस राशि का भुगतान कर रही है । क्या यह सच नहीं है कि गत 12 वर्षों के दौरान पी० एल० 480 के 2500 करोड़ रुपये की राशि में से कुछ भी अमरीका को

नहीं दिया है बल्कि उसका उपयोग देश निर्माण के लिए किया गया है तथा जिस राशि का अमरीका को भुगतान किया जाना है, उसकी किस्तों का हमें दस वर्ष तक भुगतान करना है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या यह सच नहीं है कि लोगों के मन में पी० एल० 480 के विरुद्ध व्यर्थ ही घृणा उत्पन्न हो गई है। वस्तुतः यह धन हमारे देश के निर्माण में सहायक हुआ है।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या भारत को अमरीका के पास गिरवी रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे प्रश्न पूछें। श्री कृष्णप्पा ने प्रश्न पूछने के बजाय स्वयं ही जानकारी दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, you should not protect the Ministers.

(अंतर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी प्रकार से चिल्लाते रहे तो कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri O. P. Tyagi : Sir, it has been the practice so far that chance is given to every party. But you are calling two members from one party and not calling even one member from the other party.

Mr. Speaker : How ? Let me know.

Shri O. P. Tyagi : Two members were called from Swatantra Party.

Shri Meetha Lal Meena : Kindly help me in getting the answer to my question.

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न से संगत नहीं है।

श्री एन० शिवप्पा : 1967 के बाद से हमारे देश की ओर से डालरों में या सोने के रूप में कितनी मुद्रा का भुगतान किया गया है। इससे पूर्व इस राशि का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता था। भारत को इससे लाभ हुआ है या हानि ? क्या भारत की वर्तमान सरकार के लिए ऐसा करना उचित है जिससे भारतीय धन को इस प्रकार से बहाया जाये और अर्थ-व्यवस्था को संकट में डाला जाये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि भुगतान करने का ढंग जून 1967 से बदल गया है। पहले जहाज के किराये के अतिरिक्त राशि का भुगतान रुपये में किया जाता था। जून 1967 से 20 प्रतिशत राशि का भुगतान डालर में किया जाता है। 1968 से 40 प्रतिशत और अब 60 प्रतिशत का भुगतान डालर में किया जाता है। अगले वर्ष करार की शर्तें और भी अधिक जटिल होंगी। इसलिए इस पी० एल० 480 करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

Shri S. M. Joshi : The Minister said that wheat would not be purchased at concessional rates after 1970-71 and that efforts were being made to be self-sufficient in matter of

foodgrains. This is no assurance. Efforts should be made as will enable the country by 1970-71 to meet all the requirement of foodgrains. May I know whether the amount, saved by way of stopping of import of foodgrains after 1970-71, will be invested in agriculture ?

Mr. Speaker : This question has already been put.

Shri Hukam Chand Kachwai : We have been importing foodgrains in large quantities from abroad but not making prompt payment to farmers for their productions through the Food Corporation of India. Payment is made to them after one or two months and thus the farmers face difficulties. Will the Government pay attention to it ? Secondly, seeds are being supplier to farmers at exorbitant prices. The wheat seed named as Lal Bahadur Shastri is being sold to the farmers at Rs. 30/- per kilo. Will the Government make arrangements to make seeds available to farmers at cheaper rates ?

May I know the acreage of barren land which had been brought under plough so far and whether Government have prepared any plan of cultivating all the barren land available in the country and the time by which such a land will be utilized for cultivation ?

Mr. Speaker : The Minister may answer only to the relevant portions of the question.

Shri Hukam Chand Kachwai : In this way you are openly giving protection to the Minister.

श्री प० गोपालन : जो करार अब किया गया है उसकी शर्तें पहले करारों की शर्तों की तुलना में कठिन हैं। उदाहरण के लिए इसके अनुसार आयात के कुल मूल्य का 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में देना होगा। अमरीकी राजदूतावास द्वारा खर्च किये जाने के लिए 7 के स्थान पर 9 प्रतिशत राशि होगी। सरकार ऐसे प्रस्तावों को क्यों स्वीकार करती है जिससे भारत को हानि होती है विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति जबकि अमरीका के सामने अधिक अनाज की समस्या है। क्या सरकार अमरीकी दबाव के सामने अधिकाधिक झुकती जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कहना गलत है कि सरकार ने अमरीकी दबाव के कारण यह करार किया है। वास्तव में इस करार के अब किये जाने का मुख्य कारण यह है कि अब से बाद में पी० एल० 480 करार की शर्तें जटिल से जटिलतर होती जायेंगी। अमरीका में ऐसा संकेत किया गया है कि पब्लिक ला जो अमरीका में 1966 में बनाया गया था, उसकी शर्तें दिन पर दिन कठिन होती जायेंगी। इसी कारण से यह करार इस वर्ष कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री मानू, प्रश्न 248 को भी इसके साथ लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है।

पूर्व-पाकिस्तान से शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल में आना

+

*243. श्री रा० बरुआ : श्री वेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 से पूर्व-पाकिस्तान के शरणार्थी लगातार पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष 1964 से पश्चिम बंगाल से कुल कितने शरणार्थियों ने प्रवेश किया है ;

(ग) उपरोक्त वर्ष से ही असम में कितने शरणार्थियों ने प्रवेश किया है ;

(घ) क्या शरणार्थियों का इस प्रकार लगातार आना ही भारत में साम्प्रदायिक दंगों का प्रमुख्य कारण है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1-1-1964 से 31-10-1969 की अवधि के अंतर्गत 5,16,442 व्यक्ति आये हैं।

(ग) 1-1-1964 से 31-10-1969 की अवधि के अंतर्गत 2,00,755 व्यक्ति आये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रा० बरुआ : आसाम में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इससे सीमावर्ती राज्य का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वहां पर अब इतनी भूमि भी उपलब्ध नहीं है जिस पर इन लोगों को बसाया जा सके। फिर भी केन्द्रीय सरकार हमारे राज्य की सरकार पर अधिक लोगों को बसाने के लिए दबाव क्यों डाल रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : अब हम राज्य सरकार से यह नहीं कह रहे हैं कि जो लोग वहां आते हैं उन्हें वहीं बसाया जाये, किन्तु यह लोग वहां पर स्थित शिविरों में पहले आते हैं और वहां से उन्हें माना जैसे स्थानों पर भेज दिया जाता है। हम आसाम सरकार पर अब दबाव नहीं देते हैं बल्कि यह प्रयास करते हैं कि यदि सम्भव हो तो ऐसे लोगों के लिए जो वहीं बसने के इच्छुक हैं अधिक भूमि उपलब्ध की जा सके।

श्री रा० बरुआ : हाल ही में इस सम्बन्ध में एक समिति आसाम में इस सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए भेजी गई थी। यह दबाव डालने का अप्रत्यक्ष ढंग है। इससे उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अन्यथा उसे वहां भेजने का उद्देश्य क्या था ?

श्री भागवत झा आजाद : सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदातृ समिति ने यह सुझाव दिया था कि वे आसाम सरकार के साथ यह पता लगाने के लिये बातचीत करना चाहते हैं कि क्या वहां लोगों को बसाये जाने के लिए अधिक भूमि के उपलब्ध होने की सम्भावना है। यही समिति आसाम गई थी। इस सम्बन्ध में हमने आसाम राज्य के मुख्य मन्त्री को लिखा है और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आने वाले शरणार्थी यह कहते हैं कि उन्हें न केवल पाकिस्तान के लोगों ने बल्कि वहां की सरकार ने भी तंग किया और भागने के लिए मजबूर किया ? क्या यह सच है कि न केवल हिन्दू बल्कि मुस्लिम भी लाखों की संख्या में आसाम और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान से आ रहे हैं और जो लुक-छिपकर गुजरात राज्य तथा अन्य स्थानों पर चले जाते हैं ? क्या ये ही लोग इन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार नहीं हैं ? क्या यह भी सच है कि जब आसाम सरकार ऐसे लोगों को वापस भगाना चाहती थी तो केन्द्रीय मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने राज्य सरकार से उन्हें न भेजने तथा उन घुसपैठियों को नियमित बनाने के लिए कहा ?

श्री धीरेश्वर कलिता : यह प्रश्न तो पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में आने वाले शरणार्थियों से सम्बद्ध है। इसमें मुसलमान घुसपैठियों का प्रश्न कहां से पैदा हो गया ?

श्री वासुदेवन नायर : क्या ये मुसलमान भी शरणार्थी हैं। थोड़ा बहुत सम्बन्ध तो होना ही चाहिए ;

श्री धीरेश्वर कलिता : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय देने का हक तो मुझे है। अन्यथा मैं यहां किसलिए बैठा हूँ। यह प्रश्न पूर्णतः तर्कसंगत है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह तो सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी यहां आते हैं वे असुरक्षा की भावना तथा कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण तथा बहुसंख्यक लोगों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों से बचने के लिए यहां आते हैं। दूसरे, हमारे पास ऐसे प्रमाण नहीं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि इन शरणार्थियों के देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के कारण वहां साम्प्रदायिक उपद्रव होते हैं। उनके तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उधर से जो मुसलमान आते हैं,वे शरणार्थी नहीं होते बल्कि घुसपैठिये होते हैं और ऐसे लोगों से निपटने का काम आसाम सरकार का है।

कुछ माननीय सदस्य : श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री भगवत झा आजाद : यह बिल्कुल गलत है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल तथा वहां विद्यमान अनिश्चित स्थिति में, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जनसंख्या को बराबर करने की समस्या के सामने आने से वहां पर सरकार की ओर से ऐसे लोगों पर देश

छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से शरणार्थियों की बाढ़ पहले ही बहुत आ चुकी है। अब इसे रोकने के लिए क्या सरकार के पास कोई ऐसा तन्त्र है जो वहां से आने वाले शरणार्थियों की उचित व्यवस्था करे अथवा शरणार्थियों की इस बाढ़ को आने से रोके ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था वहां से शरणार्थियों के आने के मुख्य कारण आर्थिक संकट और असुरक्षा की भावना है। अतः मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि असुरक्षा की भावना भी उनके इधर आने का एक कारण है। जहां तक मशीनरी की बात है, सरकार ने इसके लिए प्रबन्ध किया हुआ है। इसके लिए एक विभाग है। जिनके पास वैध स्थानान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज होते हैं, भारत में उन्हें ही आने की अनुमति दी जाती है। सरकार की यह नीति नहीं है कि उनके इस प्रकार से आने को प्रोत्साहन दिया जाये। यदि वे हमारी ओर आते हैं तो उनकी व्यवस्था करने के लिए एक मशीनरी हमारे पास है।

श्री स्वैल : यह एक मानवीय समस्या है जो कुछ समय बाद देश की बड़ी समस्याओं में से एक बन जायेगी। अतः क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि ऐसी समस्या के बारे में पूर्वकल्पना करके उसके समाधान पर विचार करे। क्या सरकार ने ऐसी संभावित समस्या से निपटने की किसी विधि पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ शरणार्थी ऐसे भी हैं जो आसाम में ही बसना चाहते हैं किन्तु आसाम सरकार उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दे रही है। मेरे जिले में ही कुछ लोग ऐसे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार आसाम सरकार को ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए कहेगी ? कछार जिले में ऐसे लोग पिछले चार-पांच वर्ष से रह रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : आसाम राज्य के लिए 12000 परिवारों को बसाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मैं आसाम सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने आसाम राज्य में 12000 परिवारों को बसा लिया। अब वहां पर जो लोग हैं उनके आसाम से बाहर अन्य स्थानों पर जाने के लिए हमने व्यवस्था की है। हमने उन्हें यह सलाह दी है कि वे किसी अन्य स्थान पर जाकर बसें। दंडकारण्य परियोजना में हमने ऐसा ही काम किया है। किन्तु दुर्भाग्य है कि वे परिवार आसाम से बाहर जाना पसन्द नहीं करते चूंकि वे वहां सरकार की सलाह की उपेक्षा करके रह रहे हैं अतः उनकी कोई भी सहायता नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य सरकार के अनुसार उक्त राज्य में अब और अधिक भूमि नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचार पत्रों से मालूम होता है पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत मे आ रहे हैं। क्या सरकार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत की है। यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री भागवत झा आजाद : हमारा सम्बन्ध उन लोगों को बसाने से है जो यहाँ आ गये हैं शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। माननीय सदस्य को यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात तो ठीक है कि शरणार्थियो को माना शिवर में भेजा जा रहा है । किन्तु पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या तो गम्भीर रूप धारण करती जा रही है । क्या यह बात आपने वैदेशिक-कार्य मंत्री को नहीं बताई है । मंत्रि परिषद् तो एक ही है ।

श्री भागवत झा आजाद : आपकी यह बात सच है । वैदेशिक-कार्य मंत्रालय यह काम कर रहा है ।

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, The influse of refugees from Pakistan is not a new one. In this respect several agreements have already been signed between India and Pakistan. The Nehru-Non Agreement and the Nehru-Liaquat Agreement are important among them. According to these agreements Pakistan Government are bound to give protection to Hindu and Bodh minority there, and similarly Government of India are also bound to give protection to Muslims here. The population of Muslims in India has gone up from 3 crores to 6 crores, this is solid proof that they have been given full protection. But it is not so in case of Pakistan. It is apparant from the fact that the Hindu population in Pakistan has reduced from $2\frac{1}{2}$ crores to 1 crore. At present there are Hindus in Pakistan who constitute about 10 per cent of population. May I know whether Government have ever discussed with Pakistan Government in light of there agreements the issue of giving the same rights to Hindus in Pakistan as are available for Muslims in India, if they are not prepared to do so, the action Government of India propose to take ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As regards the issue of rehabilitation, we hed talks with Pakistan Government about the bank balance and the properties of refugees left in Pakistan. But as you know the attitude of Pakistan towards us in this respect is not sympathetic. Our agreement was in respect of West Pakistan...

Shri Balraj Madhok : The Nehru-Liaquat Agreement covers the whole of Pakistan.

Shri Bhagwat Jha Azad : This agreement covers only West Pakistan. It does not apply to East Pakistan. But even then we are making our efforts to persuade Pakistan to see to this issue sympathetically. But I am sorry to say that we are not getting the favourable response from Pakistan in this respect.

Shri Balraj Madhok : Will you take some action in this matter ?

Shri Bhagwat Jha Azad : What kind of action ?

श्री विश्वनारायण शास्त्री : 2,0 ,000 शरणार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम शिविरों में लिखा रखे है । किन्तु वहां पर हजारों शरणार्थी ऐसे भी हैं जो शिविरों में दर्ज नहीं हैं । इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर शरणार्थियों की संख्या 3 लाख के आस-पास पहुंच जायेगी । चूंकि आसाम राज्य में 12000 परिवार बसाये जा चुके हैं, और यही लक्ष्य उसके लिए निर्धारित था, इसलिए अब सरकार शरणार्थियों को आसाम से बाहर ले जाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि वहां पुन: तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो ?

श्री भागवत झा आजाद : हमारी नीति यह है कि जो लोग उधर से प्रवास-प्रमाणपत्र लेकर आते है, उन्हें ही उधर सहायता दी जाती है । किन्तु राज्य सरकारों को ऐसी हिदायतें भी दी गई हैं कि जिन मामलों में ठीक समझे ऐसे लोगों को भी सहायता दे सकते हैं जिनका नाम

दर्ज नहीं है। जहां तक उन्हें आसाम से बाहर बसाने का सम्बन्ध है, हम उन्हें अन्यत्र ले जाना चाहते हैं, हमारे पास उनके लिए योजनाएं तैयार हैं, किन्तु वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों और जनता का सहयोग मांगते हैं कि वे उन्हें वहां जाने के लिए राजी करें।

श्री समर गुह : भारत के नेताओं द्वारा की गई गलती अर्थात विभाजन के जो लोग शिकार बने वे न घर के रहे न घाट के। आसाम में उनके लिए स्थान नहीं है, पश्चिमी बंगाल भी और अधिक शरणार्थियों को नहीं बसा सकता। अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार अन्दमान में पूर्वी बंगाल से आये 75000 शरणार्थी बसाये जायेंगे। क्या सरकार यह कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना तक पूरा कर लेगी ? इस बात को देखते हुए कि नेहरू-लियाकत और नेहरू-नून समझौते समस्त प्राय: हो गये हैं, पारपत्र और वीजा व्यवस्था चालू कर दी गई है ; और पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति को पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है, क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भी उनकी पूर्वी पाकिस्तान में छूट जाने वाली सम्पत्ति के लिए उसी प्रकार से मुआवजा देने के प्रश्न पर पुन: विचार करेगी जैसे पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगों को दिया गया था ?

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रस्ताव हमारे पास है कि शरणार्थियों को अन्दमान में बसाया जाये। इसके लिये हम योजना बना रहे हैं। कुछ शरणार्थी और कुछ देश के अन्य भागों में पहुंच गये हैं। हम अपने इस वचन को पूरा करना चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से इस प्रकार भारत में आये है उन्हें बसाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम न केवल अन्दमान बल्कि देश के अन्य भागों के लिए भी योजनाएं बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आसाम और पश्चिमी बंगाल से शरणार्थी अन्य स्थानों पर जहां के लिए योजनाएं बनी हुई हैं, जाकर बसें ; यदि शरणार्थी उनसे बाहर जाना नहीं चाहते, तो हम क्या करें। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों को मुआवजा देने का प्रश्न है, अभी कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक प्रवासी प्रमाणपत्रों का सम्बन्ध है, हमारी नीति यह है कि भारत आने वाले शरणार्थियों के पास प्रमाण-पत्र होने चाहिए। अब हमने यह प्रक्रिया सरल कर दी है और अब किसी को भी प्रवासी प्रमाणपत्र को लेने में कठिनाई न होगी जो ऐसा प्रमाणपत्र लेना चाहता है। प्रवासी प्रमाणपत्र की व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य शरणार्थियों की सहायता करने का है। प्रमाणपत्रों के जारी करने से सरकार उनका भार अपने ऊपर ले सकेगी। ऐसा हमने उनके हित के लिए ही किया है।

श्री समर गुह : श्रीमान, यद्यपि मैंने सीधे प्रश्न पूछे थे किन्तु मंत्री महोदय ने उनका उत्तर नहीं दिया। मेरा पहला प्रश्न अन्दमान में 75000 शरणार्थियों को बसाये जाने के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशों के बारे में था।

श्री समर गुह : मैं इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि चौथी योजना में कितने व्यक्तियों को अन्दमान में भेजा जायेगा। मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को टाल दिया है। दूसरे, पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को प्रतिकर सम्बन्धी सुविधा न देने का जो कारण था वह दूर हो गया है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रश्न के इस भाग का उत्तर दे चुके हैं।

श्री समर गुह : सरकार ने एक अध्ययन दल को अन्दमान भेजा था। उस दल ने लौटकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। महोदय, आपको पता ही है कि हम अभी अन्दमान जाकर आये हैं और हमें स्थिति की पूर्ण जानकारी है। पहली योजना में केवल 300 परिवारों को वहां भेजा जायेगा।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, although one hour has passed yet you have not asked any body to speak from our benches.

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको बोलने के लिये नहीं कहा गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी का भी नाम नहीं लिया गया। क्या आप बैठ जायेंगे ?

श्री समर गुह : महोदय, आपने मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा है।

Shri Prem Chand Verma : You can not take away our rights. While sitting on this Chair, you have to be impartial.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। यदि आप नहीं बैठेंगे और इसी प्रकार से हठ करते रहेंगे तो मुझे आपको सदन से बाहर चले जाने के लिए कहना पड़ेगा। श्रीमती चन्दा, श्री बरुआ, श्री शास्त्री और श्री दामानी आपके दल के सदस्य हैं और उन्हें बोलने का अवसर दिया गया है।...(अन्तरबाधा)

Shri Prem Chand Verma : But who has been asked to speak from these benches ?

श्री शिव नारायण : आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आप को अध्यक्ष-पीठ का सम्मान करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उनकी तो यह आदत हो गई है।

Shri A. B. Vajpayee : Some unnecessary excitement is created in this House for the last two days. At first Shri Hukam Chand Kachwai was exchanging some hot words with you and now Shri Prem Chand Verma spoke in a harsh tone. I request that both the sides should behave peacefully and gently. It is quite natural and necessary for you to give opportunity to all the Members. At the same time if anyone of us do not get an opportunity to speak, we should not get excited and it is not proper to break the discipline of the House. I want that everybody should Cooperate in maintaining the dignity of the House.

अध्यक्ष महोदय : सितम्बर में, कनाडा में होने वाले अध्यक्षों के सम्मेलन में मैंने भाग लिया था और वहां मैंने विशेष रूप से सभी अध्यक्षों से एक प्रश्न पूछा था कि प्रश्नोत्तर काल में वे कितने प्रश्नों को निबटा देते हैं। आस्ट्रेलिया के अध्यक्ष ने 25 तथा ब्रिटेन के अध्यक्ष ने यह संख्या 30 बताई। किसी भी अध्यक्ष ने 20 या 25 से कम संख्या नहीं बताई। अधिकतर मामलों में तो 25 ही बताई गई। मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे इतने प्रश्न निबटा लेते हैं। ब्रिटेन में हाऊस आफ कामन्स के अध्यक्ष ने बताया कि पहले जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसे बोलने देता हूं और बाद

में एक अनुपूरक प्रश्न पूछने को अनुमति देता हूँ। अधिकांश मामलों में तो एक या दो सज्जनो को प्रश्न पूछने के लिये कहा जाता है। हाऊस आफ कामन्स तो हमारे सदन से काफी बड़ा है, उसके लगभग 650 सदस्य हैं। आस्ट्रेलिया और कनाडा के सदन हमारे सदन से कुछ छोटे अवश्य हैं किन्तु वहां भी 20-25 प्रश्न निबटा लिये जाते हैं।

हमें 20,000 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और उनमें से 30 को सदा प्रकाशित किया जाता है। किन्तु मैं पराजय स्वीकार करता हूँ कि भरसक प्रयत्न करने पर भी मैं पांच प्रश्न से अधिक नहीं निबटा सकता।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह अल्प संख्यक सरकार है इसीलिये कठिनाई होती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न पर भी काफी समय लग जाता है जिसमें आसाम के सदस्य की ही दिलचस्पी हो सकती है। इस प्रश्न का सम्बन्ध बंगाल और आसाम से है, मेरा विचार था कि बंगाल और आसाम के सदस्यों को बोलने का अधिक अवसर दिया जाय। इसी प्रकार यदि प्रश्न का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से होता है तो मेरा प्रयत्न यही होता है कि उस राज्य से सम्बन्धित सदस्यों को अवसर दूं। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि जिन सदस्यों की किसी प्रश्न में अधिक दिलचस्पी हो उन्हें बोलने की अनुमति अवश्य मिले। मेरा प्रस्ताव यह है कि एक प्रश्न को औसतन 5 से 10 मिनट तक का समय लगना चाहिये। किन्तु होता यह है कि पहले दो प्रश्नों को ही आधे घंटे से अधिक का समय लग जाता है। फिर आप खीझते हुए कहते हैं कि 'मेरे प्रश्न का क्या हुआ'। मुझे कई माननीय सदस्यों को अप्रसन्न करना पड़ता है। आप के बीच में जब मैं बैठता था तो अधिक खुशनसीब था। यहाँ बैठने पर तो श्री बनर्जी जैसे अच्छे मित्रों को भी खोना पड़ रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही दिन मैंने ईश्वर के समक्ष शपथ ग्रहण की थी कि मैं ईमानदारी से तथा द्वेष रहित होकर कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं उसी बात पर दृढ़ रहूँगा। किसी भी प्रश्न के बारे में मैं इसलिये शीघ्रता करता हूँ ताकि अन्य प्रश्नों को भी समय दिया जा सके। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

श्री कार्तिक ओराओं : अगला प्रश्न मेरे नाम से था। बिना किसी दोष के मुझे क्यों इससे वंचित किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यक्तिगत रूप में मेरा नाम लिया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अपने स्थान से उठने की तो मुझे पिछले 13 वर्षों से आदत सी हो गयी है। मैं ऐसा केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये करता हूँ। आप मुझे बैठने के लिये कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कई बार मुझे जानबूझ कर नजर चुरानी पड़ती है। ऐसा भी आपके हित के लिये ही करता हूँ। मेरी आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना है कि जब आप खड़े हों तो मेरी ओर हाथ या उंगली उठा कर अथवा घूंसा दिखाकर न बोलिये।

श्री स० मो० बनर्जी : भविष्य में ऐसा न करने का मैंने निश्चय कर लिया है ।

श्री गणेश घोष : महोदय, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थियों का प्रश्न बहुत महत्व पूर्ण है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप एक और अवसर देंगे ? (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थियों के प्रश्न पर चर्चा के लिये मैं बाद में अवश्य अनुमति दूंगा । मुझे आशा है कि आपको काफी समय मिलेगा । इधर बैठे मेरे मित्रों को बोलने का अवसर नहीं मिला उन्हें निश्चय ही समय दिया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

देश में प्रधान मंत्री के दौरों के समय यात्रा कर रहे संवाददाताओं का चयन

*241. **श्री मजहरि महतो** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रधान मंत्री के विभिन्न दौरों की रिपोर्ट देने हेतु समाचार संगठनों तथा संवाददाताओं का चयन करते समय प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो और भारत श्रमजीवी पत्रकार संघ से सलाह ली जा ती है ;

(ख) कितने संवाददातओं ने प्रधान मंत्री के विमान में एक ओर की यात्रा की तथा फिर अपने घरों (होम-टाउन) से दल के साथ वापस नहीं आये;

(ग) क्या समाचारपत्रों तथा संवाददाताओं के चयन के बारे में प्रधान मंत्री सचिवालय प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की अधिकृत सलाह लेता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). प्रधान मंत्री के दौरे की रिपोर्ट देने के लिए समाचार संगठनों तथा संवाददाताओं का चयन करने में पत्र सूचना कार्यालय प्रधान मंत्री सचिवालय से बराबर सम्पर्क रखता है । पत्र सूचना कार्यालय की सलाह का आदर न करने का प्रश्न नहीं उठता । भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से सलाह नही ली जाती, परन्तु प्रेस एसोसिएशन, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं का प्रतिनिधि संगठन है, से प्राय: सलाह ली जाती है ।

(ख) 1-1-1969 से अब अब तक की अवधि के दौरान पांच पत्रकारों ने प्रधान मंत्री के साथ दिल्ली से एक ओर की यात्रा की और वे दल के साथ नहीं लौटे । इनमें से तीन एक विदेशी टेलीवीजन संगठन के प्रतिनिधि थे जो दिल्ली से गोरखपुर गये थे शेष दो पत्रकारों में से

एक मद्रास के एक दैनिक समाचारपत्र तथा दूसरा कलकत्ता के एक समाचार समूह का प्रतिनिधि था। ये दिल्ली से क्रमश. मद्रास और कलकत्ता गये थे परन्तु दल के साथ वापिस नहीं आये थे।

बिहार में ग्रामदान आन्दोलन में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग

244. **श्री कार्तिक उमरांव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सरकार ने आचार्य विनोबा भावे के ग्रामदान आन्दोलन में सरकारी तन्त्र का अवैध रूप से उपयोग करने दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को इस बारे में कोई हिदायतें जारी की थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ग्रामदान आन्दोलन के लिए बिहार सरकार ने सरकरी मशीनरी का अवैध रूप से कोई उपयोग नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होना।

पोर्ट ब्लेयर अन्दमान में आरा मिल

245. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान में राजकीय आरा मिल घाटा में चल रही है अथवा लाभ में;

(ख) क्या यह मिल सारे एशिया में सब से बड़ी आरा मिल है :

(ग) क्या अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूहों में इमारती लकड़ी के अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस मिल का विस्तार करने और द्वीप समूहों के विभिन्न भागों, विशेष रूप से नये बसे क्षेत्रों में, इसकी नई शाखाओं, को खोलने की काफी गुन्जाइश है ;

(घ) यदि हां, तो वहां बसने वालों को रोजगार देने और मुख्य भू-भाग (मेनलैंड को इमारती लकड़ी का सामान निर्यात करने के लिए उस क्षेत्र में आरा मिल उद्योग के विस्तार की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) क्या मुख्य भू-भाग को परिवहन की कठिनाइयां होने के कारण बढ़िया ईमारती लकड़ी से अधिक उत्पादन में बाधा पड़ रही है और यदि हां, तो पोर्ट ब्लेयर में आरा मिल के उत्पादों के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) ट्रेडिंग एकाउन्ट्स के अनुसार अन्दमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित राजकीय आरा मिल घाटे में चल रही है।

(ख) एशिया की अन्य आरा मिलों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इस समय जिन क्षेत्रों में कार्य हो रहा है वहां आरा मिलों के विस्तार और उनकी नई शाखाएं खोलने के विषय में अभी कोई गुन्जाइश नहीं है । ज्यों ही नये क्षेत्रों में कार्य शुरू होगा वहां नई शाखायें खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(घ) मौजूदा आरा मशीन काफी बड़ी है और वह द्वीप समूह में इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, अत: इस क्षेत्र में आरा मिल उद्योगों को विस्तृत करने की सरकार की कोई योजना नहीं है । फिर भी नये क्षेत्रों में प्लाइवुड यूनिट्स आदि लकडी पर आश्रित उद्योगों की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) वर्तमान कार्य-क्षेत्रों से जहाजों द्वारा मुख्य भूभाग में इमारती लकड़ी लाने के विषय में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है ।

Land Reforms

*246. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shrimati Sushila Rohatgi :**
Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the action taken by State Governments on the circular letter sent by the Prime Minister to the Chief Ministers of States regarding the implementation of legislation regarding the ceiling on land holdings, distribution of surplus land among the landless cultivators (belonging to the Scheduled Castes, Backward Classes and Advisis), security of the lands of cultivators and unemployment among the agricultural labour ;

(b) whether the legislation regarding ceiling on land holdings has been made in all the States ;

(c) if so, whether the object of fixing ceiling on land holdings is achieved thereby ;

(d) the names of the States where the legislation on the said subject is in force and the names of such States where it is not and the reasons for which it is not being enforced there ; and

(e) the difficulties in enforcing such legislation in the Union Territories and Bihar which is under President's Rule ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In the replies received so far, Chief Ministers have welcomed the suggestions made by the Prime Minister with regard to—guarantee of a fair share of fertilizers, seeds and irrigation facilities to the small farmers, ensuring security of tenure and fair regulation of rent, effective enforcement of ceiling and distribution of surplus lands to land-less agriculturists, consolidation of holdings and expansion of employment opportunities for the landless labourers. Further action is awaited.

(b) Legislation imposing ceiling on the extent of land a person may hold has been enacted in all the States except NEFA.

(c) Ceiling has been imposed on existing holdings as well as future acquisition. The provisions in the legislation are designed to make available surplus lands for redistribution.

(d) The legislative provisions for imposition of ceiling on holdings have been enforced, except in Mysore, Orissa and Kerala. In Mysore and Kerala, provisions will be

enforced after the applications for resumption of land from tenants have largely been disposed of. In Orissa the provisions will be enforced after the stay orders are vacated.

(e) In Delhi, enforcement of the ceiling legislation has been held up due to stay orders. In Himachal Pradesh the enforcement of the ceiling provisions has been deferred till the finalisation of the recommendations of a high power Committee for introducing a uniform legislation through out the State of Himachal Pradesh. In Manipur ceiling provisions will be enforced after the survey and settlement of operations have been completed. In Tripura ceiling provisions are being gradually enforced as survey and settlement operations are being completed. In Bihar instructions have been issued for effective enforcement of ceiling provisions.

भारत सेवक समाज के कार्यों की जांच

*247. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए स्थापित आयोग के जांच क्षेत्र पर भारत सेवक समाज ने आपत्ति की है ;

(ख) क्या भारत सेवक समाज आयोग के कार्य में सहयोग नहीं दे रहा है और उसने आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली का उत्तर देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में तिब्बतियों का आगमन

*248. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** श्री रवि राय :

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के सामने और अधिक तिब्बती शरणार्थियों के आगमन की समस्या आ रही है ;

(ख) क्या केन्द्र पश्चिम बंगाल सरकार को यह परामर्श दिया है कि वे उन तिब्बती शरणार्थियों के लिये भोजन तथा आराम की व्यवस्था करें जो पूर्वी तिब्बत में कैद पचेनलामा के लापता होने के समाचारों के कारण देश में आ सकते हैं ;

(ग) क्या मालूम हुआ है कि भूटान सीमा क्षेत्रों में स्थित चौकियों को भी तिब्बती शरणार्थियों के इस सम्भावित आगमन के बारे में सूचित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने तिब्बती शरणार्थी आये हैं ; और

(ङ) उनके ठहरने आदि के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । भूटान सीमा पर स्थित हमारी चौकियों को स्थायी हिदायतें हैं कि विदेशियों को आने से रोका जाये ।

(घ) और (ङ). प्रथम जनवरी, 1969, से भूटान सरकार ने जैगाँव (पश्चिम बंगाल) में स्थित हमारी चौकी को 33 तिब्बती सौंपे हैं । इन तिब्बतियों की छान-बीन की जा रही है । उनके रहने तथा भोजन की आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।

सुपर बाजार, में चोरी के कारण हानि

*249. **श्री जयसिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वासु देवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरियों के कारण राजधानी के सुपर बाजारों में प्रतिवर्ष भारी हानि हो रही है और यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह चोरियां कुछ कर्मचारियों की सहमति से हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन चोरियों के लिये कितने व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) जी हां । अनुमान है कि चोरियों तथा कमियों के कारण हुई हानि पहले दो वर्षों में बिक्री के 2.5 प्रतिशत के लगभग है और तीसरे वर्ष में 1 प्रतिशत के लगभग होने की सम्भावना है ।

(ख) कुछ मामलों में कर्मचारी भी अन्तर्ग्रत थे ।

(ग) 19 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी और उनमें से 14 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं । कर्मचारियों के अलावा अनेक व्यक्ति पकड़े गये थे और ये मामले पुलिस में दर्ज कराए गए थे ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

*250. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के

अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा उनमें सुधार पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिये अधिक धन राशि की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) निगम की वर्तमान आय पूंजीगत तथा व्यय वहन करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(ख) नियोजकों के विशेष अंशदान की दर को 1 जनवरी, 1970 से कुल मजूरी बिल के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत तथा 1 अप्रैल, 1970 से मजूरी बिल का 4 प्रतिशत किया जा रहा है ।

काश्मीर के लिये कृषि-उद्योग समूह

251. **डा० प० मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से **काश्मीर** के **औद्योगिक** विकास निगम ने जिस विशाल कृषि उद्योग समूह को बनाने के लिये अन्तिम रूप दिया है, उस का स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रम सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये नियुक्त आयोग

*252. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम सम्बन्धी समस्याओं तथा अन्य सम्बद्ध मामलों का हल करने के लिये सरकार ने अब तक कितने आयोग नियुक्त किये हैं ;

(ख) इन आयोगों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कौनसी सिफारिशों को सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ग) शेष सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा और उन्हें अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें पिछले तीन वर्षों में नियुक्त किए गए आयोगों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2176/69**]

चीनी उद्योग में संकट

253. श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री अजमल खां :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री दे० प्रभात :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में देश के विभिन्न भागों में चीनी उद्योग गम्भीर संकट से गुजरा है ;

(ख) क्या चीनी के निर्यात से भारत को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर इस का किसी तरह दुष्प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या चीनी के संकट का निवारण करने में भारत सरकार ने कोई सहयोग दिया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्यान्नों के आयात के बिना खाद्य समस्या का हल

254. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों का आयात किये बिना राष्ट्र की खाद्य समस्या को हल कर सकती है ; और

(ख) खाद्यान्न प्राप्त करने तथा उसे प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करने के लिये क्या शीघ्र और वांछनीय व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जब तक देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता लायक उत्पादन नहीं होता है और उपयुक्त बफर स्टाक भी तैयार नहीं हो जाता है, तब तक विदेशों से खाद्यान्नों का आयात जारी रखना आवश्यक होगा ।

(ख) अधिकांश राज्यों में अब खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति भारतीय खाद्य निगम करता है । सहकारी संगठनों और सीधे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भी कुछ राज्यों में अधिप्राप्ति की जाती है । जो प्रणाली अपनाई गयी है वह सन्तोषजनक ढंग से चल रही है यद्यपि जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है उसमें सुधार किए जा रहे हैं और बराबर किए जाते रहेंगे । खाद्यान्नों के सरकारी स्टाक का वितरण मुख्यत: राशन की दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों से किया जाता है और यह प्रणाली भी न्यूनाधिक संतोषजनक ढंग से चल रही है ।

पश्चिम बंगाल को पटसन की खेती के अन्तर्गत भूमि की सिंचाई के लिये केन्द्रीय अनुदान

255. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिये नदियों से पानी लेकर पटसन की खेती के अन्तर्गत भूमि की सिंचाई की एक योजना के लिये चार करोड़ रुपये मंजूर किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी मंजूरी अचानक रोक ली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते ।

औद्योगिक श्रमिकों को लाभ का कुछ अंश दिये जाने की योजना

*256. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक श्रमिकों को लाभ का कुछ अंश दिये जाने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में उसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस के भुगतान की पहले ही व्यवस्था है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना

*257. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदानन्द :
श्री सूरज भान :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए देश में व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी योजना के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). मामला अभी भी विचाराधीन है ।

कृषि और सहायक उद्योगों के लिये भूमि हीन मजदूरों को काम में जुटाने की प्रायोगिक योजना

258. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सेना का निर्माण करने के लिए कृषि और सहायक उद्योग के लिए भूमि-हीन मजदूरों को काम में जुटाने की प्रायोगिक योजना किस अवस्था में है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). भूमि राज्य का विषय है और कृषि योग्य अधिशेष भूमि पर भूमिहीन मजदूरों को बसाने की प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी स्कीम होती है । कृषि योग्य परती भूमि के सुधार के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 1968-69 तक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चालू थी । चौथी योजना शुरू होने पर यह स्कीम अब राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई है ।

Reinstatement of P and T Employees who participated in September 19, 1968 Strike

*259. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether all the employees of the Post and Telegraph Department, who were suspended/dismissed from service because of their participation in one day token strike of the 19th September, 1968, have since been reinstated and all the cases filed against them have been withdrawn ;

(b) if not, the reasons therefor and the details in regard thereto ; and

(c) whether break-in-service in respect of those employees, who have been reinstated, has since been waived ; if not, whether this issue is under consideration ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b). No, Sir, The number of P and T employees who have not been reinstated in service was 424 on 15-11-1969. The employees in whose cases there was a complaint of violance are not eligible for reinstatement. Cases of Employees in which there was complaint of intimidation of public servants, loyal workers or their families or of active instigation are being reviewed in accordance with the latest policy of the Home Ministry.

(c) No, Sir.

देश में कृषि क्रांति के बारे में विश्व बैंक के सलाहकार का प्रतिवेदन

260. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पर एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा विश्व बैंक के सलाहकार श्री वोल्फ लाडेजांस्की सितम्बर में भारत आये थे और उन्होंने हमारे देश में कृषि क्रांति के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में कृषि क्रांति के बारे में श्री वोल्फ द्वारा की गई सिफारिशों तथा व्यक्त किये गए विचारों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि वह कृषि क्रांति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के पक्ष में थे क्योंकि उनके मतानुसार अन्यथा खेतों से अधिक उपज तथा अधिक आय अपेक्षाकृत कम संख्या में किसानों तक ही सीमित रह जाएगी ; और

(घ) उसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां । श्री वोल्फ लाडेजांस्की, जिन्होंने फरवरी तथा मध्य मई 19 9 में पंजाब के दो जिलों तथा अप्रैल 1969 में बिहार के दो जिलों का दौरा किया था, दिनांक 28 जून 1969 तथा 27 सितम्बर, 1969 को 'इकनौमिक एण्ड पौलिटिकल वीकली' में औद्योगिकी विकास तथा इसके प्रभाव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकाशित किए थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार ने श्री लाडेजांस्की के लेखों में दी हुई बातों को नोट कर लिया है । इन लेखों की प्रतियां पंजाब तथा बिहार सरकारों को भी भेज दी गई हैं ।

Production of Cashewnuts

*261. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of States where cultivation of cashewnut has started and whether we are self-sufficient in supplying the requisite quantity of cashewnut through indigenous sources to Cashewnut factories ; if not, the time by which we shall become self sufficient in this respect ; and

(b) the extent to which cashewnut production is expected to increase by the end of the Fourth Five Year Plan and the annual cashewnut production expected during the Fifth Five Year Plan through the Cashewnut trees planted during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Orissa, Andhra Pradesh and Goa are the chief cashew producing areas. To a limited extent it is also grown in West Bengal, Maharashtra and Tripura.

India is not self-sufficient in the supply of rawnuts to the processing factories and the

requirements have to be met by imports from East African countries. All efforts are being made to raise indigenous production progressively and attain self-sufficiency as early as potsible.

(b) It is proposed to step up production by 76,'00 tonnes by the end of 1973-74. Annual expected production in the Fifth Plan will depend upon the targets of area actually achieved.

Stoppage of Broadcasts from Voice of America in Indian Languages

*262. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. S. Government have decided to stop broadcast in Indian languages from the Voice of America ; and

(b) if so, the reactions of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A news item has appeared in the Press to this effect. But Government have no official confirmation of this.

भूमि अधिग्रहण समिति का प्रतिवेदन

263. **श्री मयाबन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के समूचे ढांचे पर विचार करने के लिए भूमि अधिग्रहण समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है । रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 1969 थी जिसको अब 31 जनवरी, 1970 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Recommendation of National Commission on Labour Regarding Settlemen of Labour Disputes

*264. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Manibhai J. Patel :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri N. Sreekantan Nair :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Commission on Labour has recommended that the present arrangements for solving the disputes between the workers and mill-owners be scrapped and permanent judicial arrangements made in this regard ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The National Commission has recommended the setting up

of independent Industrial Relations Commissions at the Centre and in the States to discharge the functions of conciliation and adjudication of industrial disputes ; besides the President, who would be person having prescribed judicial qualifications, the proposed Commissions are to have an equal number of judicial and non-judicial members.

(b) Government's decision on this and other recommendations will be taken after the consultations, which are in progress at present, are over.

रुई का उत्पादन तथा आयात

265. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से प्रति वर्ष रुई के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के जो परिणाम निकले हैं उनकी तुलना में रुई के उपरोक्त उत्पादन की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश को प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपए से लेकर 90 करोड़ रुपए के मूल्य की रुई का आयात करना पड़ता है क्योंकि सतत रुचि और प्रयास के अभाव के कारण मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो सका है ; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए इस समय क्या गम्भीर प्रयत्न किये जा रहे हैं और आयात को पूर्णतया समाप्त करना कब तक सम्भव हो सकेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). सभा पटल पर विवरण (विवरण 1 तथा 2) रख दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2127/69]

लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन बढ़ाने की योजना

266. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के चेयरमैन ने भारत में लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उसे कार्यान्वित करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) योजना की मुख्य बातों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) योजना की जांच की जा रही है ।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों में 3 वर्ष के अन्तर्गत, 2.5 लाख एकड़ क्षेत्र पर लम्बे रेशे वाली कपास की किस्मों के विकास की योजना परिकल्पित की गई है :

राज्य	लक्ष्य भूमि (लाख एकड़)
आंध्र प्रदेश	1.5
मैसूर	0.5
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान	0.5

2. 3 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विकास व्यय 3.35 करोड़ रुपये निकाला गया है ।

3. योजना का उद्देश्य लम्बे रेशे वाली कपास का 5 वर्षों में 5 लाख एकड़ भूमि में उत्पादन करके लगभग 4 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन से आत्म-निर्भरता लाने का है ।

उर्वरक पर से केन्द्रीय शुल्क का हटाया जाना

267. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री अदिचन :
श्री दे० वि० सिंह :
श्री मुरासोली मारन :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के बजट में उर्वरक पर 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बाद उर्वरक की खपत में अत्यधिक कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उर्वरक की खपत में अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए उनका मन्त्रालय उर्वरक पर शुल्क समाप्त करने की सिफारिश करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । राज्य द्वारा की गई खपत के अनुमान से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ के मौसम में उर्वरक की खपत में लगभग 12.5 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है । फिर भी उर्वरकों की खपत में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी की योजना बनाई गई थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

Report of National Commission on Labour

*268. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a suggestion to make decisions of the Labour Courts

binding on all has been made in the report submitted by Shri P. B. Gajendragadkar, Chairman of the National Commission on Labour ;

(b) if so, the salient points thereof and the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is also a fact that his Ministry has not so far brought out any publication of the report in Hindi or both (Hindi and English) languages ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The National Commission on Labour has recommended the constitution of Standing Labour Courts in each State to deal with disputes relating to rights and obligations, interpretation and implementation of awards and claims arising out of rights and obligations under the relevant provisions of laws or agreements as well as disputes in regard to unfair labour practices and the like. As envisaged by the Commission, Labour Courts will be Courts where all such disputes will be tried and their decisions implemented.

This and other recommendations of the National Commission on Labour are under Government's consideration in consultation with the parties and interests concerned.

(c) and (d). The report has been published in English. Steps are being taken to get it translated in Hindi.

चुकन्दर से चीनी

269. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में चुकन्दर की चीनी बनाने को बढ़ावा देने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो चुकन्दर की चीनी के कितने कारखानों को लाइसेंस दिया जा चुका है और कितने कारखानों को दिया जायेगा और कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का अनुमान क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । तथापि, राष्ट्रीय शर्करा संस्था कानपुर, इच्छुक चीनी फैक्ट्रियों की सहायता से देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुकन्दर से चीनी बनाने के लाभालाभ का हिसाब लगाने के लिए पाइलट संयंत्र परीक्षण कर रही है ।

(ख) सरकार ने अब तक न तो किसी फैक्ट्री को जो कि कच्चे माल के रूप में पूर्णतः चुकन्दर पर निर्भर करती हो, लाइसेंस दिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है ।

उत्तर प्रदेश जनसंघ कार्यकारिणी समिति द्वारा गन्ने के ऊंचे मूल्यों की मांग

270. **श्री राम सिंह अयरवाल** :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश जनसंघ कार्यकारिणी समिति की इस मांग का पता है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए और भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह सच है कि जनसंघ ने गन्ने का मूल्य 7 रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल की बजाय, जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार ने की है 15 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करने की मांग की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समिति ने चीनी की मिलों के गैर-सरकारी स्वामित्व का अन्त करने की माँग की है और वे गन्ना उत्पादकों को स्वामी बनाना चाहते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) उन माँगों को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में एक प्रेस रिपोर्ट आयी है ।

(घ) और (ङ). सरकार तो केवल गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और वास्तविक मूल्य गन्ना उत्पादकों तथा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा तय किया जाता है । गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का विचार नहीं है । जहां तक चीनी मिलों का निजी स्वामित्व समाप्त करने की मांग का सम्बन्ध है, इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है । भूमि-हीनों को भूमि बांटने का काम राज्य सरकार करती है ।

मत्स्य पालन संस्थापनों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमान

1601. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत मत्स्य पालन संस्थापनों जैसे कुछ अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों के पदों के वेतनमान, सरकारी कार्यालयों के अन्य सभी विभागों में उनके समकक्षियों की तुलना में यद्यपि उनका उत्तरदायित्व कम है, बहुत कम रखा गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्थिति पर पुनर्विचार करने तथा सरकारी संस्थापनों के सभी अधिकारियों के साथ इन अधिकारियों को समान स्तर देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). कृषि विभाग के अधीन मात्स्यकी संस्थानों में प्रशासन अधिकारियों के पदों के लिए वर्तमान वेतनमान द्वितीय वेतन आयोग द्वारा निश्चित किया गया था । मात्स्यकी और अन्य संस्थानों में प्रशासन-अधिकारियों के लिये वेतनमान निर्धारित करते समय द्वितीय वेतन आयोग ने इन पदों और उनसे संलग्न कार्यों के लिए पूर्व-निर्धारित वेतनमानों को ध्यान में रक्खा होगा । प्रशासन-अधिकारी के पद के वेतनमान में बढ़ोतरी करने के लिये एक मात्स्यकी संस्थान से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उसके गुणावगुण को दृष्टि में रखते हुए उस पर विचार किया जायेगा ।

हिन्दी टेलिप्रिंटर्स

1602. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि राज्य मन्त्री प्रो० शेर सिंह ने कहा है कि मंत्रालय

ने इतने अधिक हिन्दी टेलीप्रिंटर बना लिये हैं कि उनको कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है और सरकारी ऋण पर भी कोई व्यक्ति उनको खरीदने या किराये के आधार पर लेने के लिये तैयार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो मांग का पूर्व निर्धारण किये बिना ही इतने बड़े पैमाने पर हिन्दी टेलीप्रिंटर का निर्माण क्यों किया गया ;

(ग) पिछले वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के हिन्दी, अंग्रेजी और अरबी भाषा के टेलीप्रिन्टरों बनाये गये तथा बेचे गये और कितने तथा कितने मूल्य के टेलीप्रिन्टर स्टाक में है ; और

(घ) पिछले वर्ष अरबी और अंग्रेजी के कितने-कितने टेलीप्रिंटर किन-किन देशों को निर्यात किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। संचार राज्य-मंत्री ने तो केवल यह कहा था कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० द्वारा देवनागरी लिपि के दूरमुद्रकों का निर्माण भारत में किया जा रहा है तथा इन मशीनों को खरीदने के इच्छुक पक्षकार, यदि कम्पनी को अपने पक्के आदेश (आर्डर) दे दें तो इन्हें तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं

(ख) 1968-69 के दौरान देवनागरी लिपि के दूरमुद्रकों का निर्माण विभिन्न उपयोक्ताओं की मांगों के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ). वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :-

	उत्पादित मात्रा	मूल्य (रु०)	बेची गई मात्रा	मूल्य (रु०)	31-3-1969 को भण्डार में	1968-69 के दौरान निर्यातित मात्रा और वे देश जिन्हें निर्यात किया गया।
देवनागरी	470 (संख्या)	32.45 लाख	407 (संख्या)	30.22 लाख	60 (संख्या) *	
अंग्रेजी	4461 प्रदद	269.40 लाख	4401 प्रदद	266.00 लाख	80.85 प्रदद @	30 (संख्या) लंका को 2 (संख्या) भूटान को
अरबी	कोई नहीं	—	कोई नहीं	—	—	—

* 3 (संख्या) के आन्तरिक उपयोग के अन्तरण के पश्चात् :

@ इनमें पिछले वर्ष से अप्रानीत तथा विशेष प्रयोजनों जैसे अनुसन्धान तथा प्रदर्शनी के लिए रोक रखी गयी मशीनें सम्मिलित हैं।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

1603. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् पाकिस्तान से भारत में आये शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनको फिर से बसाने के लिए अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये कुल कितनी धन राशि की मांग की थी ; और

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के भू तथा राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य के बारे में विदित है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार केवल उन्ही व्यक्तियों को शरणार्थी मानती है जो जनवरी, 1951 से पूर्व भारत में आये थे, यदि हां, तो नये शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पश्चिम पाकिस्तान से लगभग 4,500 व्यक्ति और पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 55,000 व्यक्ति ।

(ख) केवल उन लोगों के जोकि सितम्बर 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद भारत आये थे, पुनर्वास पर किये गये कुल व्यय की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

इन लोगों के पूर्ण पुनर्वास हेतु धन राशि के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से कोई भी विशेष मांग नहीं आई है ।

(ग) जी, नहीं ।

कलकत्ता व्यापारी संस्था द्वारा भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोप

1604. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता व्यापारी संघ के एक वर्ग ने एक ज्ञापन में आरोप लगाया है कि भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल के साथ किये चावल के व्यापार में अनिश्चित रूप से मुनाफाखोरी की है ; और यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने कितने टन चावल का क्रय-विक्रय किया है तथा वर्ष 1968-69 के दौरान निश्चित रूप से कितना लाभ कमाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 60 थोक व्यापारियों को व्यापार से वंचित कर दिया गया है जिससे उनके 1,00,000 टनों की क्षमता वाले गोदाम खाली पड़े हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि खाद्यान्न वसूली में वृद्धि करने की नई नीति को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम के पास 20 लाख टन खाद्यान्न को रखने के लिये अपने पर्याप्त गोदाम नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त माल को गोदामों में रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा ऐसा करने में कितनी लागत आई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन यह पता चला है कि संघ ने बंगाल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल में मुनाफाखोरी करने के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाए हैं। 1968-69 वर्ष में भारतीय खाद्य निगम (कलकत्ता) ने 5.93 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किया था।

क्योंकि 1968-69 वर्ष और बाद की अवधि के लेखे अभी तैयार नहीं हैं, यह कहना सम्भव नहीं है कि निगम को बंगाल सहित राज्यों में चावल के व्यापार में कितना लाभ, यदि कोई हुआ, होगा।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Animal Husbandry Programme in Maharashtra

1605. **Shri Deo Rao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been prepared to start a programme for animal husbandry, especially for cows, in Maharashtra ; and

(b) if so, the agency through which this scheme would be implemented and the details of this scheme and the amount of financial assistance to be given for this scheme by the Central Government and the State Government, respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) In addition to the provision made in the Fourth Five Year Plan for development of Animal Husbandry and Dairying, in the various States, including Maharashtra, the Central Government has recently formulated a project estimated to cost Rs. 95.40 crores with the assistance of World Food Programme which *inter alia* provides for expansion of the milk processing facilities in the metropolitan city of Bombay and for increasing milk production in its rural Milk Shed areas *viz* the States of Maharashtra and Gujarat through improved breeding, feeding and management of milch animals.

(b) A new Government Company is being set up by the Central Government for the implementation of the project in Maharashtra and other States. A representative of the Government of Maharashtra will also be represented on the Board of Directors. The project contemplates import of 1,2 ,000 tonnes of skimmed milk powder and 42,000 tonnes of Butter Oil, donated by World Food Programme free of cost but which when reconstituted into liquid milk will generate funds worth about Rs. 95.40 crores. These funds will be utilized by the new Government Company in order to finance Public Sector dairies and the State Governments for expanding milk processing facilities in the Public Sector dairies and for increasing milk production in their rural milk shed areas. This financing will be done in the form of loans and grants in such a manner that the overall pattern of assistance to the Public Sector dairies and State Governments may be 30% grant and 70% loan. No other financial assistance is contemplated for the implementation of the Project, either by the Central or State Government.

आकाशवाणी के कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण की मंजूरी

1606. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गई दिल्ली के आकाशवाणी के महानिदेशक को जनवरी, 1969 के अब तक गृह-निर्माण के लिये ऋण हेतु मिले प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या क्या है तथा अब तक कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) आकाशवाणी द्वारा यह ऋण मंजूर करने में सामान्यतः कितना समय लगता है ;

(ग) ऋण की मंजूरी में देरी के बारे में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें प्रार्थियों से मूल हिन्दी दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद मांगा गया था तथा इसके कारण क्या हैं ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की देरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क)

प्राप्त हुए	शेष
14	9

(ख) यह नियमों में निर्धारित औपचारिकतायें पूरी होने पर निर्भर करता है ।

(ग) दो/एक मामला विधि मन्त्रालय में है । दूसरे के जो उस मन्त्रालय ने लौटा दिया है, शीघ्र ही निपटाए जाने की सम्भावना है ।

(घ) केवल उस मामले में जहां विक्रय विलेख (सेलडीड) हिन्दी में था और विधि मन्त्रालय को उसके अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता थी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के दीनापुर जिले के पंजपारा शाखा डाकघर का स्तर बढ़ाया जाना

1607. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दीनापुर जिले में स्थित पंजपारा शाखा डाकघर का स्तर बढ़ा कर उसे उप-डाकघर करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर विचार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विभागीय मानकों के अनुसार इस डाकघर का दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं था।

(ग) कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल इस मामले पर पुनः विचार कर रहे हैं। विभागीय मानकों की पूर्ति होने पर इस डाकघर का दर्जा बढ़ा दिया जायेगा।

दिल्ली में टेलीविजन के कार्यक्रमों के समय में वृद्धि

1608. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रम के समय में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसार साधनों तथा सुविधाओं की वृद्धि पर निर्भर करता है। इसका ब्यौरा अतिरिक्त सुविधाओं के उपलब्ध होने पर तैयार किया जायेगा।

(ग) सवाल नहीं उठता।

नियुक्ति के स्थान से बाहर अन्य स्थान पर पदोन्नत करने की पेशकश

160 **श्री अब्दुल गनी वार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के बन अर्हता प्राप्त/गैर-अर्हता प्राप्त सी० जी० 2, सी० जी० 1 स्टोर-कीपरों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1965 से अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर हैड क्लर्क/लिखापाल के पद पर पदोन्नति को स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) उन अर्हता प्राप्त/गैर-अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको पदोन्नत कर दिया गया है यद्यपि उन्होंने अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अर्हता प्राप्त/गैर-अर्हता प्राप्त व्याक्तियों को जिन्होंने अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया था, पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा और यदि हां, तो एक ही प्रकार के मामलों में दोहरा व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्य नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 20.

(ख) शून्य । दो व्यक्तियों ने अपने नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पदोन्नति पर जाना शुरू में अस्वीकार कर दिया था, परन्तु बाद में उन्हें दूसरे स्थान पर तैनात कर दिया गया था ।

(ग) जी हां, दोहरा व्यवहार करने का प्रश्न नहीं है । जो व्यक्ति अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जाना अस्वीकार कर देते हैं, वे पदोन्नति का अधिकार खो देते हैं ।

(घ) 20.

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Recruitment of Production Assistants

1610. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question Nos. 4449 and 5217 on the 21st and 28th August, 1969 respectively regarding the Production Assistants and state :

(a) whether it is a fact that in reply to part (b) of Unstarred Question No. 5217, it was stated that the Selection Committee did not appoint only those persons, who were the casual employees whereas the names of those persons, who were the casual employees were given in the reply to this question ;

(b) whether it is also a fact that the names of the persons who were appointed as Production Assistants treating them as Staff Artistes, were given in the reply to Unstarred Question No. 4449 and the names of these three persons were also given in the list attached in reply to Unstarred Question No. 5217 ;

(c) whether it does not amount to misleading the House deliberately ; and

(d) the name of the officer responsible for this lapse and the action Government propose to take against him ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). Yes, Sir. The list containing names of ten persons furnished in reply to part (a) of Unstarred Question No. 5217 inadvertently included one name who was not a casual employee. The mistake is regretted. There was no intention to mislead the House. The three names given in reply to Unstarred Question No. 4449 include a direct recruit.

(d) The officials concerned are being instructed to very careful in future.

आकाशवाणी दिल्ली में प्रोडक्शन असिस्टेंट

1611. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री प्रोडक्शन असिस्टेंटों के बारे में 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दिल्ली के प्रभागों में नियुक्त किये गये प्रोडक्शन असिस्टेंटों की सही संख्या 10 थी न की 7 जैसा कि उक्त उत्तर में बताया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि जान-बूझ कर तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न किया गया था क्योंकि

जो व्यक्ति नियुक्त किये गये थे वे मन्त्रालय तथा आकाशवाणी के अधिकारियों के सम्बन्धी थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गलत सूचना देने के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । सही संख्या 10 है ।

(ख) जी, नहीं । गल्ती असावधानी से हुई जिसके लिए खेद है । उन तीनों व्यक्तियों में से, जिनके नाम गल्ती से नहीं बताये गए थे, कोई भी मन्त्रालय अथवा आकाशवाणी के अधिकारियों का सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जा रही है ।

आदर्श नेत्र अस्पताल लाजपत नगर, नई दिल्ली को राशन कार्ड का जारी किया जाना

1612. **श्री शिव चरण लाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन लागू किये जाने के समय आदर्श नेत्र अस्पताल 2 लाजपत नगर, नई दिल्ली को भी एक राशन कार्ड दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अस्पताल द्वारा राशन को काले बाजार में बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर उस राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) राशन आरम्भ होने के प्रथम सप्ताह से लेकर 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक उक्त अस्पताल को प्रति सप्ताह कितने रोगियों के लिए गेहूँ, चावल तथा चीनी दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). आदर्श नेत्र औषधालय, 2 एफ लाजपत नगर नई दिल्ली को कोई राशन कार्ड अथवा परमिट जारी नहीं किया गया था, इसलिए उसे रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, 370 भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, 2 एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली को एक परमिट जारी किया था । अगस्त, 1967 में एक शिकायत मिली थी कि औषधालय प्राधिकारी राशन वाली वस्तुओं का दुष्प्रयोग कर रहे थे । औषधालय प्राधिकारियों द्वारा राशन वाली वस्तुएं चोर बाजार में बेचने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी । 14-8-67 को किए गए निरीक्षण से विदित हुआ कि राशन वाली ये वस्तुएं अन्तरंग रोगियों के अलावा बाहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए औषधालय में चल रही कैन्टीन को भी सप्लाई की जा रही थीं । इस आधार पर संस्थान का परमिट रद्द कर दिया गया था और केवल अन्तरंग रोगियों की जरूरतें पूरा करने के लिए सप्ताहिक आधार पर अस्थायी परमिट जारी किए गए थे । अन्तिम साप्ताहिक परमिट 4-6-68 को समाप्त हुआ था और इसके बाद संस्थान ने अन्य परमिट के लिए नहीं कहा ।

(ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Facilities to Students of Industrial Training Institutes

1613. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the nature of facilities being provided to those students of the Industrial Training Institutes of Delhi who stand first in the final year examination of Delhi State Competitions and thereafter in All-India Competitions ;

(b) the number of such students of Industrial Training Institutes as have stood first in All-India Competitions during the past three years ;

(c) whether they have been assured employment and scholarships and if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) (i) The trainees who stand first in the final trade test under Craftsman Training Scheme in nine specified trades in various Industrial Training Institutes in Delhi are allowed to sit for the State Competitive test.

(ii) The trainees, who stand first in Delhi State Competition, are sent for participating in the All-India Skills Competition organised by the Government of India, and are also awarded merit certificates and bronze medals.

(iii) Each trainee, who stands first in the All-India Skills Competition, is awarded merit certificate, tool-kit, a cash award of Rs. 5,000/- and Silver Medal. He is also sent on a tour of visits to industrial centres.

(b) One.

(c) Though no employment or Scholarship was assured, the trainee concerned has been employed as a Craft Instructor (Junior) at one of the I.T.I.'s in Delhi.

(d) The pattern of the State and All-India Competitions provide only for merit-certificates, medals, tool-kits and cash awards and industrial visits and does not assure Employment and Scholarships.

ग्राम दान आन्दोलन को सहायता

1614. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आचार्य विनोबा भावे तथा श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा चलाये रहे ग्राम दान आन्दोलन को सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल कितना धन दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को कोई जानकारी है कि इस सामाजिक क्रांति को किसी अन्य देश द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितना धन प्राप्त हुआ है तथा इसमें कौन-कौन से देश सम्बद्ध हैं और दिलचस्पी रखते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

राज्यों में ग्राम दान अधिनियमों का न होना

1615. श्री कार्तिक उरांव : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार ही केवल एक ऐसा राज्य है जहां ग्राम दान अधिनियम पारित किया गया है जब कि भूदान अधिनियम कई राज्यों में पारित किये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सभी राज्यों में इसकी क्रियान्विति में असमानता के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). आंध्र प्रदेश, असम, बिहार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा तामिलनाडु में ग्रामदान भूमि को उपहार रूप में देने तथा उसके प्रबन्ध के लिये कानून बनाये जा चुके हैं।

भूमि राज्य का विषय है। अतः भूदान तथा ग्राम के सम्बन्ध में कानून बनाना मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय भूदान तथा ग्रामदान कार्यकर्त्ताओं के सुझावों को भी ध्यान में रखती हैं। यथा सम्भव वे अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ द्वारा तैयार किये हुये माडल ग्राम-दान बिल को विचार में रखते हैं।

बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में ग्रामदान आन्दोलन

1616. श्री कार्तिक उरांव : क्या खाद्य कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सहायता से बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के क्षेत्रों में ग्रामदान आन्दोलन में तेजी लाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में ग्रामदानों को अवैध घोषित करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). ग्रामदान एक विशुद्ध स्वेच्छिक गैर-सरकारी आन्दोलन है। इस आन्दोलन के प्रचार में सरकारी एजेन्सी को कोई दखल नहीं है। फिर भी दानपत्रों के सत्यापन करने, दान की गई भूमि को मापने और अन्य प्रासंगिक कामों में सहायता दी जाती है। इस आन्दोलन के प्रचार में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के भाग लेने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचना नहीं मिली है।

ग्रामदानों की घोषणा उसके अधीन बनाये कानून और नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। सरकार स्वेच्छा से किसी ग्रामदान को वैध या अवैध घोषित नहीं कर सकती है।

Setting up of a Financial Advisory Service

1617. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up such a Financial Advisory Service as would make a study regarding the uneconomic and small holdings, arrange loans for them after preparing a phased programme for their development and implement the programmes in such a way which would lead to more income than expenditure as a result of which a petty farmer could also attain self-sufficiency ; and

(b) if so, the details of the scheme and of the action taken thereon so far ?

Tho Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). It is not proposed to set up any Financial Advisory Service to tackle the problems of small farmers. However a pilot scheme is being undertaken to set up 'Small Farmers' Development Agencies' to study the problems of small farmers and to find and provide solution for them. The broad features of the scheme have already been given in reply to Unstarred Question No. 691 answered on 20th November, 1969.

राजस्थान के जालौर जिले में नलकूप लगाना

1618. **श्री देवकी नन्दन पट्टोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के जालौर जिले में 200 नलकूप लगाने की योजना को यू० एन० डी० पी० द्वारा और अधिक विचार किये जाने के लिये हस्तांरित किया था; यदि हां तो, यू० एन० डी० पी० को यह परियोजना कब सौंपी गई और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन स्थानों पर भी अभी तक कोई नलकूप नहीं लगाये गये जो इसके लिये उपयुक्त पाये गये थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जालौर जिले में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यदि इसका समुचित उपयोग किया जाये तो यह जिला कमी वाले क्षेत्र की श्रेणी से निकलकर विपुलता वाला क्षेत्र बन जायेगा ; और

(घ) इस जिले में नलकूप लगाने की कुल अनुमानित लागत कितनी है और साधारण लागत को देखते हुए इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की तकनीकी और वित्तीय सहायता से भारत सरकार की समन्वेषी नलकूप संस्था ने पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत जल संसाधनों का निर्धारण के लिये एक परियोजना प्रारम्भ की है। जिला जालौर इस परियोजना के क्षेत्र में आता है। जालौर क्षेत्र में दिसम्बर, 1966 में कार्य प्रारम्भ हुआ था। क्षेत्र भूविज्ञान और छिद्रण सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जलोल्का विज्ञान सम्बन्धी दित्ते, ऊपरी

सतह के सिंचाई दित्ते के संग्रह और क्षेत्र में फसल-चक्र के दित्तों का अभिलेख विषयक कार्य जारी है। आशा है 1970 के अंत तक परियोजना पूर्ण हो जायेगी।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) परियोजना के अन्तर्गत जालौर क्षेत्र की जांच पड़ताल 1969 के अन्त तक पूरी नहीं हो सकेगी। फिर भी, प्राथमिक पर्यवेक्षणों से पता चला है कि जालौर के कुछ भागों में पहले ही अत्यधिक पानी बाहर निकाला जा चुका है और उसके फलस्वरूप पानी की सतह नीचे चली गई है और शुद्ध जल में खारी पानी के मिलने के चिह्न दिखाई देने लगे हैं। अतः जालौर क्षेत्र में सीमित स्तर पर भी नलकूपों के निर्माण का कोई भी कार्यक्रम उस समय तक प्रारम्भ करना उपयुक्त नहीं है जब तक कि एक्वी-फायर्स से सम्बन्धित आंकड़े संगृहीत कर उनकी व्याख्या नहीं कर ली जाती। जिला जालौर में वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर नलकूपों के निर्माण के औचित्य की स्थापना के उपरांत ही नल-कूपों के निर्माण का कोई कार्य इस क्षेत्र में किया जा सकता है।

राज्य वार चीनी मिल

1619. **श्री भगवान दास :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने चीनी मिल हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में कितनी चीनी मिलें हैं ;

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में चीनी मिलों को कुल कितनी राशि ऋण और सहायता के रूप में दी है ;

(घ) कितना ऋण चुकाया जा चुका है और कितना धन बाकी है ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में कितनी ऐसी चीनी मिलें हैं जिनमें पुरानी मशीनरी लगी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2128/69]

(ग) गत तीन वर्षों में भारत सरकार ने चीनी मिलों को कोई ऋण तथा राज सहायता नहीं दी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नही है।

Incidence of Strikes and Lock-Outs in Public and Private Sector Industries

1620. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ranjeet Singh :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of strikes held in Public and Private Sector industries during the year 1968 and 1969 to date ;

(b) the total estimate loss of production as a result of these strikes ;

(c) the number of lock-outs declared by the industrialists in their industries during the above mentioned period ; and

(d) whether in view of these strikes and lock-outs Government propose to make some changes in their industrial policy so that the number of lock-outs and strikes could be reduced ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2129/69]

(d) The Government's policy on industrial relations is being reviewed in the light of the recommendations of the National Commission on Labour.

सुपर बाजार, दिल्ली में माल के स्टाक का निर्धारण

1621. **श्री जय सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने कम बिक्री होने और स्टाक में ऐसी वस्तुएं पड़ी होने के बारे में कभी जांच की है, जो बिकने वाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म की वस्तुओं की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का मूल्य कितना कितना है ;

(ग) ऐसी वस्तुओं की बिक्री शीघ्र करने के लिए और ऐसी न बिकने वाली वस्तुओं की सूची में बड़ी मात्रा में पूंजी रुकी न रहने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या वस्तु सूचियों को संगणक के अन्तर्गत लाने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) जी हां, सुपर बाजार के प्रबन्धकों द्वारा स्टाक में कम बिकने वाली तथा अविक्रेय वस्तुओं का समय-समय पर आंकन किया जाता रहा है ;

(ख) ठीक-ठीक जानकारी संकलित की जा रही है ;

(ग) प्रबन्धकों ने इन वस्तुओं को कम लाभ पर और कुछ मामलों में तो क्रय मूल्य से कम पर भी बेचने की अनुमति दे दी है ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली के सुपर बाजारों में पूंजी विनियोजन

1622. श्री जय सिंह : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कुल कितने सुपर बाजार चल रहे हैं और इनमें से प्रत्येक में कुल कितना धन विनियोजित हैं ;

(ख) उक्त उपक्रमों में यदि कोई अन्य अंशधारी है तो उनकी तथा सरकार की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या वे लाभ में चल रहे हैं और यदि नहीं, तो उनको गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितनी हानि हुई है ; और

(घ) उनको लाभ कमाने योग्य बनाने के लिए उनके कार्य संचालन को दृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) चार; इनमें से तीन सुपर बाजार—अपना बाजार नाम से कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली द्वारा चलाये जाते हैं और एक 'कोआप्स' के नाम से दिल्ली होलसेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, दिल्ली द्वारा चलाया जाता है। इन बहु-विभागी भण्डारों में सरकार द्वारा लगाया गया तथा बकाया पूंजीगत धन पहले वाले भण्डार के मामले में 48.47 लाख रु० है और बाद वाले के मामले में 4.50 लाख रु० है।

(ख) कोआपरेटिव स्टोर लि० के मामले में सरकार द्वारा अभिदत्त 31 लाख रु० की अन्शपूंजी के मुकाबले में सदस्यों ने 2.54 लाख रु० की अंशपूंजी एकत्र की है। दिल्ली होलसेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि० एक संघीय संस्था है, और प्राथमिक भण्डार इसके सदस्य हैं। सदस्य समितियों ने 1.40 लाख रु० की अंशपूंजी एकत्र की है और सरकार ने 8.65 लाख रु० अंशपूंजी दी है। कोआपरेटिव स्टोर लि० की सम्पूर्ण प्रबन्ध समिति भारत सरकार द्वारा पहले पांच वर्षों के लिए मनोनीत की गयी है और उसके बाद सरकार को प्रबन्ध समिति में अधिक से अधिक तीन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, जैसी कि इसकी उप-विधियों में व्यवस्था है। जहां तक दिल्ली होइसेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि० का संबंध है, प्रबन्ध समिति के तीन सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और 12 सदस्यों में से शेष सदस्य-समितियों द्वारा चुने जाते हैं। तथापि, स्टोर की प्रबन्ध समिति 4 अक्तूबर, 1969 से सरकार द्वारा विस्थित कर दी गई है और दिल्ली प्रशासन द्वारा नई प्रबन्ध समिति मनोनीत की गई है।

(ग) कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार) को वर्ष 1966 67 में 7.08 लाख रु० व 1967 68 में 22.70 लाख रु० की हानि हुई ; 1968-69 की स्थिति का पता तब चलेगा जब लेखाओं की लेखा-परीक्षा हो चुकेगी। दिल्ली होलसेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि० द्वारा चलाये जा रहे 'कोआप्स' बहु-विभागी भण्डार को 1966-67 में लाभ हुआ; बाद की अवधि की स्थिति का पता लेखा-परीक्षा पूरी हो जाने के बाद चलेगा।

(घ) जहां तक कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली (सुपर बाजार) का सम्बन्ध है, इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं परिचालन सम्बन्धी व्ययों में कमी करना, प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, सुधरी क्रय नीति अपनाना, स्टाक स्तर का नवीन व्यवथाकरण, स्टाक से वस्तुओं के अनधिकृत रूप से बाहर जाने तथा उनमें होने वली कमी को रोकना, सुदृढ़ सुरक्षा प्रबन्ध, व्यापार में विविधता लाना और सेवाओं का विस्तार करना। 'कोआप्स' बहु-विभागी भण्डार के कार्यकरण में सुधार करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं निर्वाचित प्रबन्ध समिति के स्थान पर मनोनीत प्रबन्ध समिति नियुक्त करना, इसके महा प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के लिए एक पी० सी० एस० अधिकारी को नियुक्त करना और स्थापना तथा आकस्मिक व्ययों में कमी करना।

विषय : नाशिकीटों की रोकथाम के लिये अभियान

1623. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री जनार्दनन :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री जगेश्वर यादव : **श्री सीता राम केसरी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी आपरेटरों की सहायता से बड़े पैमाने पर नाशिकीटों की रोकथाम का अभियान आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नाशिकीटों की रोकथाम करने का कार्य कृषि विकास कार्यक्रमों का एक सामान्य अंग है और यह कार्य राजकीय कृषि विभागों की निगरानी में भूमि पर तथा हवाई-जहाजों द्वारा किया जाता है। भूमि पर होने वाला कार्य किसानों द्वारा पौध रक्षा स्टाफ और विस्तार कार्यकर्त्ताओं की सहायता से स्वयं ही अनिवार्य रूप से किया जाता है, जबकि हवाई छिड़काव भारत सरकार के हवाई जहाजों या उन गैर सरकारी कम्पनियों के साथ हुए करार के अन्तर्गत किया जाता है जिनके पास अपने फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट और हेलिकाप्टर हैं। आशा है राज्य अनुदान से इन कार्यक्रमों के लिए प्लान बजट के अन्तर्गत विभिन्न अनुपातों में सहायता उपलब्ध होगी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि उत्पादों की बिक्री प्रणाली में परिवर्तनों को लागू करना

1624. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री जनार्दनन :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री बेणीशंकर शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रेता के रूप में वास्तविक उत्पादक की स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार वर्तमान कृषि उत्पादों की बिक्री पद्धति में कुछ परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन लाने का विचार है :—

1. ऐसे स्थानों पर असैम्बलिंग मार्किटों को नियमित करना जहां वास्तविक उत्पादक विक्रेता है ।

(क) "क्लोजड बिड" (हत्था) को खुले नीलाम की बिक्री में परिणित करना ;

(ख) उत्पादक—विक्रेताओं को बिक्री स्लिप जारी करने के लिए कमीशन एजेन्ट को बाध्य करना ;

(ग) बिक्री के बाद उत्पाद का शीघ्र वजन करने के लिए बाध्य करना ।

(घ) उत्पादक—विक्रेता को अदा की जाने वाली बिक्री कीमत से अनधिकृत कमी को रोकना ;

2. उत्पादकों के द्वारा बिक्री से पहले उत्पाद का श्रेणीकरण, जिससे कि उन्हें गुण के अनुकूल कीमत प्राप्त हो ।

3. उत्पादकों को विपणन की लागत कम करके, उत्पाद के विपणन के लिए उत्पादकों के सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना ; और

4. जब विपणन कीमत कम हो तो अग्रिम धन से उत्पाद को गोदामों के द्वारा जो केन्द्रीय तथा राजकीय गोदाम निगमों ने बनाये हैं, संगृहीत करके रखने के लिए सुविधायें प्रदान करना ।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के लिए धनराशि

1625. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री जनार्दनन :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को पर्याप्त धन न दिये जाने से कृषि को कठिनाई हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में बंगलौर में 21 से 25 अक्तूबर 1969 तक हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में महा निदेशक ने अपने वक्तव्य में कहा था कि राज्य तथा संघ सरकारें संयुक्त रूप से कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को काफी धन देकर उनकी सहायता न करें तो विकास की गति को धक्का लग सकता है ।

(ख) भारत सरकार कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में धन देने की आवश्यकता से अवगत है और चौथी योजना की अवधि में कृषि अनुसंधान के लिए उसने 85 करोड़ रुपये की राशि नियत की है जिसमें से 28 करोड़ रुपये कृषि शिक्षा के लिए हैं।

चलचित्र परिषद

1626. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री जनार्दनन :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र उद्योग के विनियमन और वर्धन के लिये एक चलचित्र परिषद् की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी यह सही बताना सम्भव नहीं कि परिषद् की स्थापना कब होगी। तथापि, प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

जोतों की चकबन्दी में धीमी प्रगति के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट

1627. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री जनार्दनन :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययनानुसार भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जोतों की चकबन्दी के कार्य की गति बड़ी ही धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि की चकबन्दी की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) भूमि की चकबन्दी के कार्य की प्रगति को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कार्यक्रम मूल्याकन संगठन के जोत कार्यक्रम की चकबन्दी के मूल्यांकन के विषय में प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हरियाणा और पंजाब में चकबन्दी कार्य सर्वथा पूरे हो गये हैं और उत्तर प्रदेश में चार चुनीन्दा जिलों के 67 प्रतिशत गावों में तथा लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र में चकबन्दी हो चुकी है। एक राज्य मैसूर को छोड़कर, जहां कार्यक्रम की प्रगति धीमी पड़ गई थी, या अस्थायी रूप से निलम्बित कर दी गई थी तृतीय योजना की अवधि से आगे प्रगति हुई है। राजस्थान में जयपुर और मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले ने अद्यतन महत्वपूर्ण प्रगति दिखलाई है। यद्यपि भूमि चकबन्दी के कार्यक्रम को कुछ सीमा तक गतिमान किया गया है तो भी कुल मिलाकर देखा जाये तो कार्य धीमा और रुकता रहा है। जब तक इस

कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं दी जाती और वर्तमान कृषि विकास के संदर्भ में इसके महत्व का अनुभव नहीं किया जाता, बड़े राज्यों में चकबन्दी के कार्यों को पूरा करने में एक लम्बा समय लगेगा। कार्यक्रम के द्वितीय क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली अड़चनें निम्न लिखित हैं —

1. **क्षेत्रों का चयन** : गुजरात और महाराष्ट्र के अनुभवों से स्पष्ट हो गया है कि माध्यमिक और अधिक सिंचाई कार्यों के अधिपत्य में आने वाले क्षेत्रों और सघन खेती कार्यक्रम से आवरित क्षेत्रों में प्रगति अधिक तेज रही है। पिछड़े क्षेत्रों में चकबन्दी का अधिक विरोध होता है।

2. **अधिकारों के अभिलेख की तैयारी** : चुनीदे क्षेत्रों में से अधिकांशों ने सूचित किया है कि अधिकारों का अभिलेख अद्यतन नहीं था और उसको अद्यतन बनाना बड़ा कठिन कार्य था।

3. चकबन्दी योजना को शुरू करने से पहले चकबन्दी के लाभों के बारे में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया।

4. कुछ राज्यों में चकबन्दी के कार्य के लिये समुचित प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रबन्ध नहीं किया गया था।

5. चकबन्दी स्कीमों के लिये राज्य योजनाओं में वित्तीय प्रावधान पर्याप्त रूप से नहीं किये गये थे।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्यों को भेज दिया गया है। इस मामले पर 28 और 29 नवम्बर, 1969 को होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार किया जायेगा।

वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कमी

1628. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जनार्दनन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में अधिकांश वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कितना कम हुआ है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). गन्ने और आलू के सिवाय अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कमी हुई है। निम्न तालिका 1967-68 की तुलना में 1968-69 की अवधि में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में हुई कमी एवं वृद्धि को प्रदर्शित करती है :—

फसल	1967-68 की तुलना में 1968-69 के दौरान हुई कुल कमी (—) अथवा वृद्धि (+) यदि विशेष रूप से स्पष्ट न किया गया हो तो आंकड़े हजार मीटरी टनों को प्रदर्शित करते हैं)	1967-68 की तुलना में 1968-69 के दौरान उत्पादन में हुई प्रतिशत कमी (—) अथवा वृद्धि (+) (प्रतिशत)
मूंगफली (छिलके सहित)	( ) 1255.1	(—) 21.9
कपास (लिन्ट)	(—) 183.4	(—) 3.4
पटसन	(—) 3268.2	(—) 51.7
मेस्ता	(—) 365.8	(—) 28.7
गन्ना (गुड़)	(+) 2216.9	(+) 22.7
आलू	(+) 540.6	(+) 12.8

प्रत्येक 180 किलोग्राम की हजार गाठों में।

(ग) 1968-69 के दौरान मूंगफली, कपास, पटसन और मेस्ता के उत्पादन में हुई कमी का मुख्य कारण फसल के विकास की अवधि में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां अपर्याप्त वर्षा और बुवाई के क्षेत्र में हुई कमी बतलाये गये हैं।

(घ) वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उद्देश्यों से विशेष कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं :—

(क) उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था।

(ख) निर्यात के लिए अधिक मात्रा की उपलब्धि और (ग) आयात प्रतिस्थापन।

काश्मीर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना

1629. **डा० प० मंडल :**
श्री अविचल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काश्मीर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : जम्मू तथा काश्मीर सरकार 2000 मीटरी टन प्रतिदिन पेराई क्षमता की चुकन्दर से चीनी बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगा रही है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलते ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लेगी।

समाचार एजेन्सियों के सम्पादकीय कर्मचारियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यास

1630. **डा० प० मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पादकीय कर्मचारियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए समाचार एजेन्सियों और सम्पादकीय कर्मचारियों में से प्रसिद्ध व्यक्तियों के न्यास की स्थापना को प्रायोजित करने की क्या संभावनाएं हैं ; और

(ख) समाचार एजेन्सियों के कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस स्थिति को नहीं बने रहने दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रेस आयोग, 19 4 की सिफ़ारिशों के अनुरूप सरकार यह चाहेगी कि समाचार एजेन्सियां सार्वजनिक निगमों में बदल जायें तथा उनकी सम्पादकीय नीति की देखभाल एक ट्रस्ट द्वारा की जाये, जिस में प्रसिद्ध व्यक्ति हों । यह ट्रस्ट अन्य बातों के साथ साथ सम्पादकीय कर्मचारियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा भी करेगा । सरकार इन एजेन्सियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहती ।

(ख) विशेष कर एक समाचार एजेन्सी के असंतोषजनक संचालन के बारे में शिकायतें मिली हैं । इसकी मन्त्रालय में जांच की जा रही है ।

आकाशवाणी से प्रसारित विज्ञापनों की जांच

1631. **डा० प० मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवांछित विज्ञापन को ग्रहण न करने की दृष्टि से आकाशवाणी में उन विज्ञापनों की जांच करने के लिए क्या व्यवस्था है जिनमें माल की किस्म तथा कारगरता के बारे में "झूठ अथवा बढ़ा-चढ़ा कर" कहा जाता है ;

(ख) क्या ऐसी जांच करने की व्यवस्था किसी न किसी प्रकार मौजूद है और भविष्य में उसे मजबूत करने की आवश्यकता है अथवा यह एक नई व्यवस्था होगी ; और

(ग) अब तक प्रस्तावित व्यवस्था में ऐसी जांच न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). विज्ञापनों को प्रसारण करने की स्वीकृति देने से पूर्व उनकी सरकार द्वारा निर्धारित व्यापारिक प्रसारण संहिता के अनुसार जांच की जाती है । संहिता की पर्याप्तता पर बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है और जब भी जरूरी होगा, उसमें संशोधन किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मन्त्रियों के टेलीफोन बिल

1632. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री रा० कृ० यमीन :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री, प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1969 के कुल टेलीफोन बिलों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों से विज्ञापनों का प्रसारण

1633. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी मांग है कि विभिन्न राज्यों द्वारा किये जाने वाले वाणिज्य के लिए उन राज्यों में आकाशवाणी के प्रत्येक महत्वपूर्ण केन्द्र से विज्ञापनों का प्रसारण करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य आधार पर भी ऐसी सेवा प्रारम्भ की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कृ० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस सेवा का विस्तार उन केन्द्रों में जहां विज्ञापनों से अधिक आय होने की संभावना है, क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में खाद्य उत्पादन के लिए भूमि का सर्वेक्षण

1634. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतम खाद्य उत्पादन करने हेतु स्थिति का सर्वेक्षण करने और तरीकों का सुझाव देने तथा भूमि का पूर्ण उपयोग करने के लिये राजस्थान को एक विशेषज्ञ दल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र के दल ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या इस दल ने यह सिफारिश भी की है कि सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए केन्द्र का योगदान आवश्यक है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान नहरी क्षेत्र में मार्गदर्शी आधार पर एकीकृत बन्दोबस्त तथा विकास परियोजना की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए डा० क्रुस्टोडोलोव के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के दल ने अक्तूबर/नवम्बर, 1968 में राजस्थान का दौरा किया था ।

(ख) दल ने निम्न सिफारिशें की हैं :—

(i) राजस्थान नहरी परियोजना के अनूपगढ़ क्षेत्र में एक लाख एकड़ भूमि में एक समीकृत बस्ती और विकास मार्गदर्शी तथा प्रदर्शन परियोजना की स्थापना करना ;

(ii) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भूमि बन्दोबस्त विशेषज्ञ तथा एक जल प्रबन्ध तथा उपयोग विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करना ;

(iii) राजस्थान नहरी क्षेत्र के विकास कार्यों में लगे हुए वरिष्ठ आयोजक तथा प्रबंधकों वाले एक उच्च स्तरीय प्रेक्षण दल के शिष्टमण्डल को उन दूसरे देशों में भेजना जिन्होंने बस्ती बसाने के कार्यक्रम को सफलता पूर्वक शुरू किया हो ।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दल की सिफारिशों पर विचार कर रही हैं । परियोजना तैयार होने पर इसमें केन्द्रीय सरकार के भाग लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । फिलहाल केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र दल की सिफारिश के अनुसार दो तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के सम्बन्ध में कदम उठाये हैं ।

कृषि ऋण समितियों के द्वारा ली गई अधिक ब्याज दर

1635. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही कृषि ऋण समितियां 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक ब्याज ले रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस ब्याज-दर को उचित समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ब्याज-दर को घटाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण समितियों द्वारा लिये जाने वाली ब्याज की दर के बारे में अभी हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1967-68 के

बारे में भारत के सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित जो सांख्यिकी विवरण प्रकाशित किये हैं, उनसे पता चलता है कि देश के कुछ भागों में कृषि ऋण समितियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की उच्चतम दर 12 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत तक है। परन्तु अल्पकालीन ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की सामान्य दरें 7½ प्रतिशत से 10½ प्रतिशत तक और मध्यकालीन ऋणों पर 7½ प्रतिशत से 12½ प्रतिशत तक हैं।

(ख) और (ग) 12 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की दरें ऊंची हैं। प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर परिचालन लागत उधार लेने की लागत और शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक ऋण समिति के स्तर पर रखे जाने वाले मार्जिन से सम्बद्ध होती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी बैंकों की कार्य-कुशलता में सुधार करके अधिकतम सम्भव सीमा तक सूद की दरों में औचित्य स्थापित करें।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता

1636. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से 1950 तक के पश्चात् भारत आये प्रव्रजकों के लिये वित्तीय सहायता के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मन्त्री के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या प्रस्ताव रखे थे ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). सम्भवत: माननीय सदस्य दिसम्बर, 1950 के बाद बनाई गई उपवेशी बस्तियों के नियमित करने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मन्त्री के साथ हाल ही में हुई चर्चा के सम्बन्ध में निर्देश कर रहे हैं। वर्तमान नीति के अधीन, ऐसी उपवेशी बस्तियों को नियमित नहीं किया जाता। तथापि पश्चिम बंगाल सरकार से कहा गया है कि इस विषय पर भारत सरकार के विचार के लिये वह व्यापक प्रस्ताव भेजें।

अंतर सरकारी समुद्री परामर्शदातृ संगठन की दसवीं वर्षगांठ पर हिन्दी में स्मृति टिकटें

1637. **श्री० वि नरसिम्हा राव** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर सरकारी समुद्री परामर्शदातृ संगठन की दसवीं वर्षगांठ

की समृति पर 14 अक्तूबर को जारी किये गये टिकट के डिजाइन का सरकारी फोलडर में दिया गया हिन्दी में विवरण अंग्रेजी अनुवाद से भिन्न है ;

(ख) यदि हाँ, तो स्मृति टिकटों में भूलों की श्रृखला में ऐसी भयंकर भूल का क्या कारण है ; और

(ग) गलती को सुधारने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां। हिन्दी में डिजाइन के विवरण में गलती से यह छप गया था कि अन्तशासन समुद्री परामर्श संगठन का प्रतीक चिह्न बायें तरफ अंकित है, जबकि यह डाक-टिकट में दाई तरफ था, जैसा कि इसके अंग्रेजी पाठ में दिया गया है।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलती छपाई के दौरान हुई है और प्रूफ-शोधन के समय इस पर नजर नहीं गई।

(ग) इस मामले की छानबीन की जा रही है और इस चूक के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कारवाई करने पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

1969 में चीनी का निर्यात

1638. **श्री नरसिम्हा राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में भारत से चीनी का अबाध कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन को चीनी का निर्यात किया गया ; और

(ग) इन देशों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सूचना इस प्रकार है :—

देश	निर्यात की गई मात्रा (मी० टन)	अनुमानित अर्जित विदेशी मुद्रा जहाज तक निष्प्रभार के रूप में (करोड़ रुपये में)
1. ब्रिटेन (एन० पी० क्यू०)	25,400	2.18
2. संयुक्त राज्य अमेरिका	68,550	7.57
जोड़	93,950	9.75

पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं का आयात

1639. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार के कृषि विभाग ने भारत को 15.75 करोड़ रुपये के मूल्य का गेहूँ खरीदने के लिए दो पी०एल० 480 अधिकारपत्र जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कुल कितना गेहूँ दिया जायेगा ; और

(ग) भारत में यह गेहूँ कब तक पहुंचने की संभावना है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), से (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने 7 नवम्बर, 1969 को भारत द्वारा 4 लाख मीटरी टन गेहूँ खरीदने के लिए कुल 21,186,000 डालर (15.89 करोड़ रुपये) के दो क्रय प्राधिकार जारी किये हैं। इस सारी मात्रा के मार्च, 1970 के मध्य तक पहुँचने की आशा है।

पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का बसाया जाना

1640. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल में पहले आये हुए शरणार्थियों को बसाने का कार्य पूरा हो चुका है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):31-3-1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 31.47 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आये थे। इन शरणार्थियों का पुनर्वास कार्य 1960-61 तक अधिकांश रूप में पूरा हो गया था।

पुराने प्रवासियों के सम्बन्ध में शेष पुनर्वास कार्य तथा 'नये प्रवासियों' (1 जनवरी 1964 को तथा इसके पश्चात भारत आने वाले) जो पश्चिम बंगाल में ठहरे रहे, द्वारा उत्पन्न समस्याओं की गम्भीरता तथा स्वरूप के बारे में श्री एन० सी० चटर्जी संसद सदस्य की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुर्नविलोकन समिति द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है।

डाकघर बचत प्रोत्साहन बोनस योजना

1641. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :　　**श्री भगवान दास** :
श्री कं० हाल्दर:　　**श्री गणेश घोष** :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर बचत प्रोत्साहन बोनस योजना कब लागू की गई थी ;

(ख) क्या इस योजना का उद्देश्य बचत बैंक और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की शाखाओं के कर्मचारियों को सामान्य संख्या में क्रमशः 1/6 और 1/11 की कमी करनी थी और यदि नहीं, तो योजना का वस्तुतः क्या उद्देश्य था ;

(ग) पश्चिम बंगाल में अनुमानित उन उम्मीदवारों की सूची और तिथियां क्या है जिन्हें कलकत्ता के बड़े डाकघर की बचत बैंक और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र शाखाओं में काम करने का निर्देश दिया गया था ; और

(घ) क्या इन प्रोत्साहन कलर्कों की योजना के अनुसार पूरा बोनस दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1-7-1962 ।

(ख) इस योजना का आशय सक्षम स्टाफ को स्वेच्छा से अधिक तथा बेहतर काम करने का मौका देकर तथा बदले में उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक देकर अल्प-बचत कार्य व्यवस्था में सुधार करना था । अधिक काम की गुंजाइश के प्रोत्साहन के लिए बचत-बैंक तथा बचत पत्र शाखाओं में निर्धारित समय परीक्षण के आधार पर न्यायसंगत स्टाफ में से क्रमशः 1/6 तथा 1/11 स्टाफ की कटौती करना योजना की प्रमुख शर्त थी ।

(ग) कलकत्ता के बड़े डाकघर में काम करने के लिए 19 कर्मचारियों को 29 अप्रैल, 1962 तथा 13 कर्मचारियों को 29 जनवरी, 1963 को मंजूरी दी गई थी । कर्मचारियों के ब्यौरे वाली विवरणिका सभा-पटल पर रखी जा रही है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी० 2130/69] ।

(घ) स्टाफ कटौती वाली योजना की प्रमुख शर्त के पूरा न किये जाने के कारण कलकत्ता के बड़े डाकघर में वास्तव में प्रोत्साहन योजना लागू ही नहीं की गई । फिर भी, 1-4-1963 से 29-2-1964 की अवधि के दौरान 10 रुपये प्रति माह की खुली दर से स्टाफ को बोनस के हिस्से की अदायगी की गई । वास्तव में खुली दर से अदायगी किये जाने का कोई औचित्य नहीं था किन्तु चूंकि वह स्टाफ को सद्भावना के बतौर दिया जा चुका था, अतः उन्हें परेशानी में न डाल कर उस रकम की उनसे वापिस वसूली नहीं की गई ।

25 अक्तूबर 1969 को प्रेस रिपोर्टरों को सान्ता क्रुज में जाने से रोकना

1642. **श्री सीताराम केसरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अक्तूबर, 1969 को प्रधान मंत्री के सान्ता क्रुज हवाई अड्डा, बम्बई से विदा होते समय प्रेस रिपोर्टरों को वहां नहीं जाने दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). विषय पर समाचारपत्रों में छपी खबरों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । तथापि, महाराष्ट्र सरकार से विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है । सूचना यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

रोजगार प्रधान योजनाएं

1643. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री बृज भूषण लाल : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रोजगार प्रधान योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) चौथी योजना प्रारूप में, सड़कें, छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामों में बिजली पहुँचाना, ग्रामीण एवं लघु उद्योग आवास एवं नगर विकास जैसी श्रम केन्द्रित योजनाओं पर पर्याप्त जोर दिया गया है ।

Non-Implementation of Wage Board Awards

1644. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recommendation of the various Wage Board are not implemented ;

(b) whether Government are taking any action to make the said recommendations obligatory : and

(c) if so, the details thereof ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Difficulties have been experienced, of late, in securing implementation of the recommendations of some Wage Boards.

(b) and (c). The National Commission on Labour has made recommendations on the various aspects of the Wage Board system including implementation of their recommendations. These are being cansidered.

Constitution of Fertilizer Promotion Directorate

1645. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 633 on the 24th Jully, 1969 and state :

(a) whether a decision has been taken to constitute the Fertilizer Promotion Directorate ; and

(b) if so, the details of the plan ; if not, the reasons for the inordinate delay ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No final decision has yet been taken. The proposal is presently under active consideration of the Government.

भूमिहीन किसानों की सहकारिता

1646. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन किसानों तथा कृषि-मजदूरों को ऋण देने की व्यवस्था करने वाले सहकारिता अधिनियम अथवा नियम हैं, यदि नहीं, तो ऐसे अधिनियम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी संस्थाओं से कितने भूमिहीन किसानों तथा कृषि-मजदूरों को ऋण प्राप्त हुए हैं ;

(ग) विशेष रूप से कृषि-मजदूरों के लिये सहकारी संस्थाओं का गठन करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डा० एरिंग): (क) वर्तमान राज्य सहकारी अधिनियमों अथवा नियमों में भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋण देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्तमान अधिनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक ऋण समितियां भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋण दे सकती हैं।

(ख) 30 जून, 1968 को देश में 1,74,534 प्राथमिक ऋण समितियां थीं। उन भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है जिन्हें पिछले तीन वर्षों में ऋण दिये गये हैं।

(ग) व (घ). एकमात्र कृषि श्रमिकों के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि वर्तमान समितियां स्वयं भूमिहीन किसानों तथा कृषि मजदूरों को ऋण दे सकती हैं, अतः एकमात्र कृषि श्रमिकों की सहकारी समितियां गठित नहीं की गई हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी

1648. **श्री कं० हाल्दर :** **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री गणेश घोष :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी दो समाचार एजेंसियों—एक अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी आन्तरिक बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की इस प्रस्तावित समाचार एजेंसी की मुख्य-मुख्य बातें क्या होंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) से (ग). एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक और आन्तरिक समाचार एजेन्सी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Expenditure on National Commission on Labour

1649. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the date when the National Commission on Labour, the report of which was published in 1969, commenced its work ;

(b) whether copies of the said report were distributed among the Members of Parliament ; and

(c) the total expenditure incurred on this Commission from the date of commencement of its work to the date of publication of its report ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) January 18, 1967.

(b) No.

(c) Rs. 34.95 lakh approximately.

Government Advertisements to Newspapers

1650. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Shri Chand Goyal** :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of newspapers published in Hindi, English and Urdu, separately in the country at present ;

(b) the number of newspapers having circulation of more than 30,000 but not getting advertisements from the Central Government ; and

(c) the number of newspapers having circulation of less than 30,000 but getting advertisements from the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The requisite information is given below :

Language	Number of Newspapers
Hindi	2,381
English	2,074
Urdu	902

(b) 45

(c) 1,441

बीजों की बिक्री के लिए बीज समीक्षा समिति का सुझाव

1651. **श्री मयाबन** : **श्री रा० बरुआ** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य रूप से सरकारी जांच किये बिना

बाजारों में बीजों को स्वतन्त्रतापूर्वक बेचने के बारे में वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखने सम्बन्धी बीज समीक्षा समिति के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, और उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह महसूस किया गया कि यदि यह सिफारिशें मान ली जातीं तो अधिक प्रचार तथा विपणन सम्बन्धी तकनीकों के दबाव के कारण भारतीय कृषक को सन्देहात्मक किस्मों के बीज उपलब्ध होने का खतरा उत्पन्न हो जाता ।

(ग) बीज पुनरीक्षण दल की रिपोर्ट के खण्ड 1 के अध्याय 5 में दल की सिफारिशें, परिणाम और सार आदि दिये गये हैं । बीज पुनरीक्षण दल की रिपोर्ट की एक-एक प्रति सदनों के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

सिफारिश 1 और 3 के सिवाय जिनमें सरकारी जांच-पड़ताल और परीक्षण के बिना जीव सम्बन्धी परिस्फुटता की जरूरत को समाप्त करने के बारे में सिफारिशें हैं दल की सब सिफारिशें मान ली गई हैं । क्रियान्विति हेतु ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों को भेज दी गई हैं । इस मंत्रालय से सम्बन्धित सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है ।

वाणिज्यिक विज्ञापनों से लाभ और "प्रायोजित कर्यक्रमों को चालू किया जाना"

1652. **श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक सेवा के लागू किये जाने के पश्चात् आकाशवाणी द्वारा प्राप्त की गई सफलता के कारण अब उनका मंत्रालय "प्रायोजित कार्यक्रमों" को चालू करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(ग) वाणिज्यिक सेवा के चालू किये जाने के पश्चात आकाशवाणी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). आकाशवाणी की व्यापारिक सेवा के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास-त्रिरूचि केन्द्रों से व्यापारिक कार्यक्रम चालू करने का निर्णय किया गया है ।

(ग) व्यापारिक सेवा (कुल राजस्व में से खर्चा निकाल कर) से हुआ लाभ इस प्रकार है :

1967-68	10,59,257 रुपये (अनन्तिम)
1968-69	52,72,895 रुपये (अनन्तिम)

फिल्म वित्त निगम

1653. **श्री मयावन :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फिल्म वित्त निगम से कहा है कि वह कम लागत वाले ब्लैक एण्ड व्हाइट प्रकामोत्तेजक चलचित्रों के निर्माण के लिये ऋण देने की नीति निर्धारित करे ;

(ख) यदि हाँ, तो ये ऋण किस प्रकार के चलचित्रों को और किन शर्तों पर दिये जायेंगे ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ग). जी नहीं। तथापि, फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने कल बजट वाली, सादी तथा आफ बीट फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का साधारण निर्णय किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन डायजेस्ट

1654. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार "इण्डियन डायजेस्ट" प्रकाशित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस डायजस्ट के प्रकाशन का उद्देश्य क्या होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जल्दी ही।

(ग) प्रस्तावित डायजेस्ट का उद्देश्य देश के एक भाग के जीवन, साहित्य तथा विचारों को देश के दूसरे भागों में अच्छी तरह परिचित करा कर राष्ट्रीय एकता बढ़ाना तथा भारतीय पाठकों तथा विशेषकर नवयुवकों में स्वस्थ अध्ययन प्रवृत्ति पैदा करना है।

विजीनजाम (केरल) में समुद्री अनुसंधान केन्द्र

1655. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजीनजाम (केरल) स्थित समुद्री अनुसंधान केन्द्र एक स्थायी संस्थान है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र के भवन के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस केन्द्र में अनुसंधान अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इस केन्द्र का अधीक्षक अधिकारी कौन है तथा गत एक वर्ष में कितनी बार इस केन्द्र का दौरा किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान का विजीनजाम उप-केन्द्र एक स्थायी संस्था है।

(ख) विजीनजाम बन्दरगाह मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में उप-केन्द्र के लिए स्थायी स्थान हेतु जगह के आवन्टन सम्बन्धी प्रश्न को केन्द्रीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने मात्स्यकी, केरल राज्य ; त्रिवेन्द्रम के निदेशक के सामने रखा है जिन्होंने वायदा किया है कि बन्दरगाह मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में अर्जन सम्बन्धी कार्यवाहियों के पूरा होने पर इस प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

(ग) तीन अधिकारी और स्टाफ के अन्य आठ कर्मचारी सदस्य।

(घ) निदेशक केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, मण्डापम कैम्प (तमिलनाडु)। उसने अक्तूबर, 1969 में समाप्त होने वाले गत एक वर्ष में इस केन्द्र का चार बार दौरा किया।

अनाज के आवंटन के लिये राज्य सरकारों की मांग

1656. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अनाज के आवंटन के लिये राज्य सरकारों की मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन मांगों को पूरा करने के बाद केन्द्रीय सरकार के पास कितना स्टाक रह जायेगा ; और

(ग) वसूली के पूरा हो जाने के बाद सरकार के पास कितना स्टाक होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969 में अब तक राज्य सरकारों से खाद्यान्नों के आवंटन के लिए प्राप्त मांगें बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2131/69]**

(ख) राज्यों से प्राप्त मांगें हमेशा पूर्णरूप से पूरी नहीं की जा सकती हैं और न ही की जाती हैं। अक्तूबर, 1969 के अन्त तक जितनी भी सप्लाई की व्यवस्था की जा सकती थी, करने के बाद केन्द्रीय सरकार के खाते में गोदामों में खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष उपलब्ध स्टाक लगभग 25.9 लाख मीटरी टन था।

(ग) खाद्यान्नों का अधिप्राप्ति वर्ष भर की जाती रही। ऐसा कभी समय नहीं आया है जबकि सभी अनाजों का अधिप्राप्ति कार्य पूरा किया जा सका हो। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि अधिप्राप्ति कार्य पूरा हो जाने के बाद स्टाक-स्थिति क्या होगी।

अनाज का आयात

1657. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक सभी साधनों से कितने अनाज का आयात किया गया है ;

(ख) अनाज की और कितनी मात्रा के लिये करार किया गया है, जिसके चालू वर्ष के दौरान ही प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस आयात का देश में वसूली तथा किसानों को अब तक मिलते रहे लाभप्रद मूल्यों को कायम रखने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क और ख). पहली जनवरी, 1969 से 31 अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में 35.13 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किए गए हैं और नवम्बर और दिसम्बर, 1969 के दौरान लगभग 3.75 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के पहुंचने की आशा है।

(ग) इन आयातों से स्थानीय अधिप्राप्ति और भारतीय कृषकों की आर्थिकता पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर बिक्री के लिये पेश की जाने वाली उचित औसत किस्म के सभी खाद्यानों को सारी मात्रा खरीदने के लिए तत्पर रहती है। ये मूल्य उस स्तर पर रखे गए हैं जोकि उत्पादक के लिए लाभकारी हैं।

भारत में अनाज भण्डारों में जमा रखने की क्षमता

1658. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किसी समय सरकार के भण्डारों में अनाज की अधिकतम मात्रा कितनी थी ;

(ख) विभिन्न राज्यों में कुल कितनी क्षमता के भण्डार बनाये गये हैं ;

(ग) क्या यह चालू वर्ष में आयात किये जाने वाले 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज तथा देश में वसूली के अन्तर्गत इकट्ठा किये जाने वाले अनाज के लिये पर्याप्त होगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सारे भण्डार को सुरक्षित रूप में जमा रखने के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पूल में और राज्य सरकारों के पास जून, 1969 के अन्त में खाद्यानों का कुल प्रत्यक्ष स्टाक सब से अधिक था अर्थात् यह स्टाक लगभग 54.81 लाख मीटरी टन था ।

(ख) पहली नवम्बर, 1969 को विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की अपनी क्षमता लगभग 26.39 लाख मीटरी टन थी ।

(ग) 1969 के दौरान सभी खाद्यान्नों का लगभग 40 लाख मीटरी टन आयात होने का अनुमान है । विभिन्न राज्य की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर कुछ खाद्यान्न दिए जाएंगे । अपनी क्षमता के अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न स्रोतों से गोदाम किराये पर भी लिए जाते हैं । राज्य सरकारों की भी अपनी भण्डारण क्षमता है । इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है । पहले से उपलब्ध क्षमता और अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए उठाए पगों से भण्डारण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना होगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्नों को गोदामों में रखने तथा लाने-ले जाने में हुई हानि

1659. **श्री एस० आर दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खाद्यानों को गोदामों में रखने तथा उनके लाने-ले जाने में कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के खाद्यानों की हानि हुई है ;

(ख) चालू वर्ष में कितनी हानि होने का अनुमान है जबकि सरकार को आयात तथा स्थानीय वसूली द्वारा 60,000 से लेकर 70,000 मीटरी टन खाद्यानों को गोदामों में रखना पड़ेगा और लाना-ले जाना पड़ेगा ;

(ग) क्या हानि को समाप्त करने के लिये कोई तरीका ढूंढा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 तथा 1968-69 के वर्षों में केन्द्रीय भण्डारण डिपों में खाद्यानों का भण्डारण करने तथा उनके लाने-ले जाने में जो हानि हुई थी, वह निम्न प्रकार थी ।

वर्ष	हानि की मात्रा (मी० टन)	मूल्य
1966-67	26,468	1,49,57,551 रुपये
1967-68	12,144	87,86,364 रुपये
1968-69	7,866	68,36,165 रुपये

(ख) वर्ष 1969-70 में खाद्यान्नों के भण्डारण तथा उनके लाने-ले जाने में 1.12 लाख मीटरी टन जिसकी लागत लगभग 8.97 करोड़ रुपये हैं, की हानि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). इन हानियों पर काबू पाने हेतु बहुत से उपाय किये गये हैं। कुछेक किए जा रहे आवश्यक उपाय इस प्रकार हैं :

1. खाद्यान्नों की खरीदी के बारे में नमी की मात्रा आदि सम्बन्धी निर्दिष्टियों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
2. खाद्यान्नों को खुले वैगनों में (कभी-कभी) भेजने की बजाय ढके वैगनों में भेजने के सतत प्रबन्ध किए जा रहे हैं।
3. वर्ष भर लदाई, उतराई तथा तुलाई स्थानों पर छापे मारे जाते हैं।
4. रेल द्वारा संचलन को इस ढंग से आयोजित किया जाता है ताकि यथासम्भव लम्बी अवधि के संचलन तथा पोतान्तरण से बचा जा सके।
5. भण्डारण संबंधी हानि में कमी सुनिश्चित करने हेतु गोदामों का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, गैर-सरकारी पार्टियों से किराये पर लिये गये निम्न कोटि के गोदामों को धीरे-धीरे छोड़ा जा रहा है और जहां कहीं भी वे सरकार के पास रहेंगे उनको निर्दूषण करने आदि जैसे उपाय किये जा रहे हैं ताकि खाद्यान्न को अच्छी हालत में रखा जा सके और हानि को कम किया जा सके। तकनीकी तथा प्रशिक्षित स्टाफ स्टाकों की दशा का आवधिक निरीक्षण करते रहते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है पर्याक्रमण विरोधी उपाय किये जाते हैं।
6. भण्डारण हानि को कम करने के लिये एक ग्रुप प्रोत्साहन योजना को चालू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

Printing of P and T Department Forms in Hindi

*1660. **Shri Molahu Prashad :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many forms are printed by Post and Telegraph Department to conduct business ;

(b) if so, the number of forms printed in Hindi and English separately during the period between 1965 and 1968 ; and

(c) the reasons for not printing more forms in Hindi ?

The Minister of State for Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A decision has been taken that all P and T forms are to be issued in bilingual scripts *viz.* Hindi-English but forms used by the public will be brought out in trilingual scripts including the regional language. A few forms used by the public on a local basis like application forms for Savings Certificates, also forms used by branch pos

offices will be brought out separately in the regional languages, in addition to Hindi and English.

86 forms are now being printed in Hindi and English. In the case of another 425 forms, the translation work has been completed and the printing has been taken in hand. In the case of the remaining 350 forms, the translation work is in progress.

Cancellation of panel of Teleprinter Supervisors in P. & T. Circle, Lucknow

*1661. **Shri Molahu Prashad :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a panel of such Teleprinter Supervisors as are now working as Assistant Telegraph Masters has been formed according to Post Master General, U. P. Lucknow, Memo No. Staff. V. 24 XA/General/62 dated the 3rd February, 1962 ;

(b) whether it has been ordered to cancel such panel vild Director General, Post and Telegraphs, Delhi's Memo No. 208/8/69 STV-I/PT dated the 30th June, 1969 ;

(c) if so, the number of Teleprinter Supervisors, working on regular terms, affected thereby ; and

(d) the reasons for issuing such orders ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) No. However the names of these officials who did not fulfil the conditions stipulated in the letter quoted by the Member were removed from the panel.

(c) Five (viz. those who had worked less than six month in an allowanced Post).

(d) The matter was reconsidered and the conditions prescribed earlier, were relaxed by the competent authority.

Conversion of Reserved Posts into General Posts

1662. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to Office Memorandum No. 8/1/69 Establishment (S. C. T.) dated the 28th January, 1969 of the Ministry of Home Affairs, the approval of Ministry of Home Affairs has to be obtained before converting any reserved post into a general post ;

(b) if so, the number of cases sent to the Ministry of Home Affairs for approval under this rule in 1968-69 and the details thereof ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In so far as the posts included in the Central Secretariat Service, Central Secretariat Clerical Service, and Central Secretariat Stenographers Service borne on the cadre of the Ministry of I & B. and the posts included in the Central Information Service are concerned, no occasion arose to convert any reserved post into a general post. The information about the other posts in the Media Units is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

खाद्यान्नों का फालतू भंडार

1663. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में अनाज का कितना रक्षित भण्डार बनाने का विचार है ;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है और क्या वास्तव में जितना अनाज इकट्ठा किया गया है, वह इस दिशा में मूल प्राक्कलनों से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अक्तूबर, 1970 तक लगभग 40 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक करने का विचार है ;

(ख) अक्टूबर, 1969 के अन्त तक पूरा करने के लिए 30 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपभोक्ता सहकारी समितियों के आधार ढांचे में परिवर्तन

1664. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के आधार ढांचे में कुछ परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना अवधि में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास करने से संबंधित कार्यक्रम में इनकी व्यवस्था है :

(1) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां, जो कमजोर हैं और आर्थिक तौर पर चल सकने योग्य नहीं हैं, जो परिसमाप्त अथवा केन्द्रीय/थोक भण्डारों में मिला देना चाहिए ।

(2) केन्द्रीय/थोक भण्डारों का बहु-खुदरा एकक सहकारी समितियों के रूप में निर्माण करने की दृष्टि से इन भण्डारों को पुनर्गठित तथा मजबूत किया जाना चाहिए ।

(3) अच्छी तथा चल सकने की सम्भावना वाली प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि वे व्यापार के बहुविध विस्तार वाले बड़े खुदरा भण्डारों के रूप में कार्य कर सकें ।

(4) केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों को आधुनिक आधार पर अपनी शाखाओं के रूप में बड़े पैमाने के खुदरा निकास स्थापित करने चाहिएं ।

पश्चिम बंगाल में अनाज की कमी

1665. **श्री देवेन सेन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मई में पश्चिम बंगाल राज्य में अनाज की कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो अनाज की कितनी कमी होने की संभावना है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनाज की समस्त कमी को पूरा करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). 1969-70 के खाद्यान्न-उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध न होने से अगले वर्ष में बंगाल के सम्भावित खाद्य कमी के संबंध में कोई ठीक-ठीक मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं है। तथापि, 27 9-1969 को नई दिल्ली में हुये मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा गया था कि 1970 में पश्चिमी बंगाल में लगभग 2? लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की कमी होने की सम्भावना है और केन्द्र से इस सारी कमी को पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(घ) भारत सरकार केन्द्रीय भंडार में उपलब्ध स्टाफ तथा अन्य कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पश्चिमी बंगाल को उचित आवश्यकताओं को, पूर्ववत्, पूरा करेगी ।

Retirement and Transfer of Producers and Assistant Producers

1666. **Shri Ram Charan :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4331 on the 21st August, 1969 and state :

(a) the number of Producer and Assistant Producers who have retired and of those who have been transferred outside Delhi, out of those whose list had been laid on the Table of the House in reply to the question referred to above ;

(b) whether a list giving the names of the aforesaid producers and Assistant producers would be laid on the Table of the House ; and

(c) the number of years for which the persons, who have not been transferred, have been working in Delhi and the reasons for not transferring them from Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Four Producers have since retired. None has been transferred. This information has already been supplied in reply to Unstarred Question No. 758 on 20-11-1969.

(b) Names of the four producers who have retired are :

1. Shri Pratap Singh
2. Shri Kuldip Singh Akhtar
3. Shri B. R. Paliwal
4. Smt. Syeeda Raza

(c) The dates from which the persons mentioned in the list enclosed with Question No. 4331 have been working in Delhi have already been indicated in column 6 of that list. The transfers are made in accordance with the exigencies of Public Service.

Mohiuddinpur Sugar Factory in U. P.

1667. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the amount of arrears to be paid by Mohiuddinpur Sugar Factory, U. P. to the farmers as a price of their sugar-cane ;

(b) the period for which this amount has been outstanding ; and

(c) the action taken by Government for the payment of the arrears to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The amount of arrears of price of sugar-cane to be paid by the Mohiuddinpur Sugar Factory as on the 30th September, 1969 is Rs. 5.21 lakhs.

(c) The Government of Uttar Pradesh has been asked to take necessary action for early realisation of the arrears.

Press Commission

1668. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether Government propose to get up a Press Commission ;

(b) if so, its terms of reference ; and

(c) the names of members of the Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The matter is under consideration.

आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा राजनीतिक लेख लिये जाना

1669. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा प्रकाशन के लिये लिखे गये लेखे के बारे में 28 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर के भाग (ग) में बताई गई जांच कराई गई है और उक्त प्रोड्यूसर को दोषी पाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन लेखों में सरकार की नीतियों की आलोचना की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रोड्यूसर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उन लेखों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). जांच अभी चल रही है और जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा, निर्णय किया जायेगा ।

बाल चलचित्र संस्था के भूतपूर्व मन्त्री पर धन के गबन करने का कथित आरोप

1670. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल चलचित्र संस्था के भूतपूर्व मंत्री श्री महेन्द्रनाथ द्वारा संस्था के धन का गबन किये जाने का पता किस तिथि को लगा तथा किस तिथि को उन्होंने काम करना बन्द कर दिया ;

(ख) उनके विरुद्ध किस तिथि को तथा कितनी राशि दीवानी मुकद्दमा दायर किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) उनके विरुद्ध किस तिथि को तथा किस धारा के अन्तर्गत फौजदारी मुकद्दमा दायर किया गया और किस न्यायालय में तथा किस स्थान पर दायर किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) ऐसे अपराधी के संबंध में न्यायालय का निर्णय प्राप्त करने में विलम्ब कब तक होता रहेगा और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जांच करने वाले अधिकारी ने 15 जुलाई, 1965 को अपनी रिपोर्ट में बाल चलचित्र समिति के भूतपूर्व मंत्री श्री महेन्द्रनाथ को वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाया। श्री महेन्द्रनाथ ने 13 जून, 1962 से समिति में काम करना बन्द कर दिया था।

(ख) 50,000 बेल्जियम फ्रैंक जो 4,600 रुपये के बराबर हैं, की वसूली के लिये दीवानी मुकद्दमा 27 जुलाई 1965 को दायर किया गया था। मुकद्दमे की अभी सुनवाई होनी है।

(ग) बम्बई के पुलिस कमिश्नर के पास 5 अक्तूबर, 1967 को एक फौजदारी शिकायत की गई थी जो भारतीय दण्ड विधान की धारा 408 के अन्तर्गत सी० आर० संख्या 27/68 के अन्तर्गत रजिस्टर की गई है। पुलिस जांच चल रही है।

(घ) दीवानी मुकद्दमे की सुनवाई होनी है और फौजदारी मुकद्दमा चल रहा है।

भारत में शूटिंग की गई पश्चिम जर्मनी की फिल्म "बिलविड इंडिया" का नाम "कामसूत्र" रखा जाना

1671. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी के एक टेलीविजन तथा फिल्म यूनिट, म्यूनिच के कोन्टी फिल्म ने "बीलविड इंडिया" फिल्म तैयार की थी, जिसके कुछ अंशों की भारत में शूटिंग की गई थी और बाद में इसका नाम "कामसूत्र" रखा गया था ; यदि हां, तो क्या इसका विषय एक अश्लील फिल्म के विषय से बेहतर नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि बर्लिन फिल्म समारोह में "कामसूत्र" पश्चिम जर्मनी की अधिकृत प्रविष्टि थी, परन्तु विवाद से बचने के लिये इसे तुरन्त वहां से हटा लिया गया ;

(ग) विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म बनाने की अनुमति देने की कसौटी क्या है ; और

(घ) क्या केवल फिल्मों के कथानक की ही जांच की जाती है और अन्तिम रूप में तैयार फिल्म की जांच नहीं की जाती ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां । प्राप्त सूचना के अनुसार, वहां के स्थानीय नियमों के संदर्भ में इस फिल्म को अश्लील नहीं समझा गया था ;

(ख) जी नहीं । बर्लिन समारोह में इसकी प्रविष्टि नहीं था । इसे बर्लिन के एक छोटे थियेटर में दिखाया जा रहा था और समारोह चालू होने पूर्व हटा लिया गया था ।

(ग) भारतीय स्थानों की शूटिंग करने की सुविधायें देने से पूर्व स्क्रिप्टों की जांच की जाती है । ऐसी सुविधायें न तो कान्टीफिल्म द्वारा मांगी थी और न ही सरकार द्वारा दी गई थीं ।

(घ) सामान्यत: केवल फिल्म स्क्रिप्टों की ही जांच की जाती है । तथापि, कुछ मामलों में मंजूरी पत्र में यह निर्धारित किया जाता है कि फिल्म को रिलीज किए जाने से पहले उस देश में जिसका शूटिंग दल होगा स्थित भारतीय दूतावास को दिखाया जाएगा ।

दिल्ली में राशनकार्ड धारियों को बासमती चावल की सप्लाई

1672. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशनकार्ड धारियों को बासमती चावल की सप्लाई बन्द कर दी गई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राशनकार्ड धारियों को घटिया चावल उसी दर पर दिया जाता है जिस पर बासमती चावल दिया जाता था ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार राशनकार्ड धारियों को बासपती चावल देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) परमल चावल के स्टाक की निकासी करने की आवश्यकता और बासपती के कम स्टाक के कारण सितम्बर और अक्तूबर, 1969 के दौरान दिल्ली में खाद्य कार्ड धारियों को बासपती चावल के स्थान पर परमल चावल जोकि बढ़िया चावल ही होता है, दिया गया था ।

(ख) जी नहीं । दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाले बासमती और परमल चावल का खुदरा भाव क्रमश 1.31 रुपये और 1.23 रुपये प्रति किलोग्राम है ।

(ग) और (घ). दिल्ली में नवम्बर, 1969 में खाद्य कार्डधारियों बासपती चावल दिया जा रहा है और अगर इस विशिष्ट किस्म के चावल की उपलब्धि रही तो यही चावल दिया जाता रहेगा ।

Loss to Crop in North Bihar due to 'Madhua' Insects

1673. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Gunanand Thakur :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent to which crops in North Bihar have been damaged by 'Madhua' insects this time ; and

(b) whether Government propose to grant aid to the farmers in the rabi season and postpone the recovery of loan and land revenue from them for the time being, keeping in view with the damage caused to the Kharif Crops ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The extent of damage to crops by Jassids (Madhua) in North Bihar is reported to be about 4.6 per cent in affected areas. The total infested area was estimated at 2.61 lakh acres out of 55.60 lakh acres under kharif paddy.

(b) As the damage to crops in the affected areas is considerably less than 50%, there is no proposal for a general postponement of the recovery of outstanding land revenue and loans. Crop loan assistance through co-operative institutions and banks will, however, be available for *rabi* operations.

Minor Irrigation Scheme of Khardah River in Saharsa District of Bihar

1674. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Gunanand Thakur :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that production of foodgrains can be much increased, if irrigation facilities are provided under the Small Irrigation Scheme from Kharodah River in Saharsa District of Bihar ;

(b) whether Government propose to make arrangements for supply of water to the peasants from the said river keeping in view the usefulness of Khardah River "Grow More Food" Movement ;

(c) whether it is a fact that the local authorities and the State Government have also recommended the above proposal ; and

(d) if so, the time by which Government propose to make use of the water of the said river for increased production of foodgrains and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). The material is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha on its receipt.

Creation of Postal Division in Saharsa, Bihar

*1675. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Gunanand Thakur :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand is being made for many years for a Postal Division in Saharsa ;

(b) whether it is also a fact that Saharsa fulfils all the requisite conditions for opening a Postal Division ;

(c) whether it is also a fact that one of the reasons for not opening a Postal Division in Saharsa is that certain parts of it are governed from Monghyr, certain parts from Darbhanga and others from Purnea ;

(d) whether it is also a fact that a Postal Division in Saharsa is not only necessary but essential keeping in view the fact that it is a border area and also backward ; and

(e) if so, the time by which the office of the Postal Division is likely to be set up in Saharsa ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) A demand was received (in 1968) last year.

(b) No.

(c) Seven small departmental Sub-Offices employing 13 clerks, alongwith its Subordinate Branch Post Offices, in Saharsa District are under Bhagalpur, Monghyr and Darbhanga Postal Divisions. The transfer of these to the Purnea Postal Division under which all the Post Offices under Saharsa Head Post Office call, is under consideration. But even after taking this into account a separate division for Saharsa District is not justified. The clerical staff employed will be only about 108 against the minimum standard of 150 in a Postal Division.

(d) No. It is also not declared a backward area.

(e) Does not arise, as the proposal is not justified.

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार वसूल किये गये अनाज के मूल्य का किसानों को बन्ध पत्रों (बांडों) के रूप में भुगतान

1676. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को किसानों से वसूल किये गये अनाज के मूल्य का कुछ भाग प्रति क्विंटल 5 रुपये के हिसाब से, बन्ध पत्रों (बांडों) के रूप में देना चाहिये ; और

(ख) क्या उनका मन्त्रालय किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस प्रस्ताव पर 27-9-1969 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और यह स्वीकार्य नहीं था ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिये कृषकों द्वारा दी गई रजिस्ट्री फीस तथा मुद्रांक शुल्क

1677. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में

राज्यों के रजिस्ट्रेशन विभाग की रजिस्ट्री फीस के लिए तथा मुद्रांक शुल्क पर कृषकों को बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है और वे इन बैंकों से ऋण लेने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ऋण लेने के लिए इच्छुक कृषकों को परेशानी तथा कठिनाइयों से बचाने के लिए कोई हल निकालने के संबंध में विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1968 में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा वाणिज्य बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर आयोजित सेमिनार की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि सरकारी समितियों के सदस्यों को सहकारी संस्थाओं से उधार लेने में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क की रियायतें वाणिज्य बैंकों से ऋण लेते समय अन्य कृषकों को भी उपलब्ध की जायें । वर्तमान जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने सहकारी समितियों के सदस्यों को रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा जांच शुल्क पर ऋण भार प्रमाण पत्र देने के विषय में अन्य कृषकों को भी वाणिज्य बैंकों से ऋण लेने के संबंध में इस प्रकार की रियायतें उपलब्ध की है । अन्य राज्य सरकारें रियायतें देने के लिये, अपनी पूर्ण आय की स्थिति तथा राजस्व की संभावित हानि को दृष्टिगत रखते हुये, इन सुझावों पर विचार कर रही है ।

Powerful Transmitter for Leh

1678. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state whether a powerful transmitter is proposed to be installed in Leh, Ladakh in the near future so as to conveniently broadcast the Indian news to Tibet and Chinese area ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : A radio station will be set up at Leh during the Fourth Five Year Plan.

खाद्यान्नों के नियंत्रण पर छूट

1679. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत सितम्बर मास के दूसरे सप्ताह में उन्होने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा ऐसे ही अन्य बड़े शहरों में खाद्य वस्तुओं पर नियंत्रण कम करने के लिये कहा था, वह क्या है ;

(ख) उपभोक्ताओं को क्या लाभ पहुंचे हैं ;

(ग) गत वर्ष की अच्छी फसल तथा आगामी वर्ष में अच्छी फसल की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण में छूट देने की दिशा में क्या उपाय किये जाने का विचार है ; और

(घ) क्या नियंत्रण में छूट देने अथवा नियंत्रण को हटाने के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखा जा सकेगा ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि मंत्री ने केवल यही कहा था कि खाद्य स्थिति में सुधार

को देखते हुए वे राशन वाले प्रमुख नगरों में कुछ ढीलें देने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं। तथापि, सितम्बर, 1969 के मध्य से कोई ढीलें नहीं दी गई हैं।

(ग) गत दो वर्षों में खाद्य स्थिति में सुधार होने से नियंत्रण काफी ढीलें कर दिये गये हैं। देश भर में दाल तथा जौ के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में से अधिकतर क्षेत्रों में मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्ध में ढील दे दी गई है। जम्मू तथा कश्मीर से पश्चिमी बंगाल तक सारे उत्तर भारत में गेहूँ के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फिलहाल नियंत्रणों में कोई और ढील देना उचित नहीं समझा जाता है।

(घ) बाजार में उपलब्धि में वृद्धि होने की स्थिति में नियंत्रणों में ढील देने से सामान्यतः मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव नहीं होता है।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का पुनः आना

1680. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बंशनारायण सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी पुनः आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रव्रजन के क्या कारण हैं और पाकिस्तान के साथ स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। जनवरी, 1969 से पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन का वही स्वरूप है जोकि तदनुरूपी अवधि का पिछले वर्ष था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Upward Revision of Pay-Scales of Transmission Executives

1681. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the time since when the case of upward revision of pay-scales of the Transmission Executives of the A. I. R. has been under the consideration of Government ;

(b) the number of representations received by Government from the Transmission Executives during the last three years together with the date of each of the representation ;

(c) the action taken thereon so far ; and

(d) if the above case is still under the consideration of Government, the justification for keeping it pending for such a long time ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) On representations received from Transmission Executives from time to time, the question of revision of their pay scale was considered but dropped in view of Government ban on upward revision of scales.

(c) the information is given in the statement placed on the Table. [*Placed in Library. See* No. LT-3132/69.]

(c) The representationists were last informed through a circular on 4-7-1968 that it was not possible so make any revision in the scale of pay attached to the posts of Transmission Executive in A. I. R.

(d) Does not arise.

Modernization of Farming

1682. **Shri Yashwant Singh Kushwah : Shri R. K. Birla : Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the detatils of the recommendations made by the Expert Committee constituted under the Chairmanship of Dr. S. R. Sen for the modernization of farming ; and

(b) the steps taken by the Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A summary of the important recommendations made in the Fourth Report of the Expert Committee on Assessment and Evaluation of the IADP, entitled "Modernising Indian Agriculture", is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2133/69]

(b) Copies of the report have been circulated to all State Governments and other concerned organizations for taking necessary action on the recommendations.

So far as the Government of India is concerned, the recommendations have been considered in a series of meetings and the views of the Government are being finalised.

Sino-Pak. Instigation Over Radio Broadcasting to Ladakhi People

1683. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fullfledged anti-India broadcasting campaign has been started in Bodhi and Walter languages by Pakistan and China Radios in order to instigate the Ladakhi people ; and

(b) the steps taken by Government of India in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Chinese and Pakistani radio stations broadcast anti-Indian propaganda in Ladakhi, Tibetan and Balti languages.

(b) All India Radio regularly broadcasts programmes in Ladakhi from Srinagar. It is also proposed to introduce programmes in Balti which is spoken in the Kargil area and is slightly different from Ladakhi. Besides, a Radio Station is being set up at Leh for broadcasts in Ladakhi and other dialects.

Ground Stations under Intelsat-3 (International Telecommunications Satellite Cooperation) Programme

1684. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the time by which the ground stations to be established in India under 'Intelsat-3' (International Telecommunications Satellite Cooperation) Programme are expected to be established and their location ; and

(b) the brief details of the achivements attained so far by the above said 'Intelsat' ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Satellite Communications Ground Station at Arvi near Poona is expected to be completed by end of February, 1970. This is the only Satellite Communications Ground Station which is being set up in India for the present for working with the INTELSAT-III Satellite over the Indian Ocean.

(b) The International Telecommunications Satellite Consortium, INTELSAT for short, is responsible for the design, development, construction, establishment, maintenance and operation of the Space Segment of the Global Commercial Communications Satellite System. The INTELSAT launched the world's first communications satellite known as INTELSAT-I, also named "Early Birds" in April, 1965. A series of four satellites were launched under the INTELSAT-II Programme, two in the Pacific and one in the Atlantic Ocean ; one satellite failed to activate. Under the INTELSAT-III Programme, four more satellites were launched one each over the Indian, Pacific and Atlantic Ocean ; one satellite in this series also failed to activate. With the launching of these satellites, world-wide communications through the satellite system have become available for providing international telegraph, telephone, telex and television facilities.

Employment to Unemployed Villagers

1685. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether there is a proposal under consideration of Government to register the names of the large number of unemployed villagers in their respective village in order to provide employment to them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : No However, there are 183 Employment Information and Assistance Bureaux functioning in selected Community Development blocks in the country where unemployed villagers can seek employment assistance.

Talks on Bank Nationalisation and Rabat Conference Relayed from A.I.R.

1686. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of talks, discussions and commentaries in respect of bank nationalisation and Rabat Conference relayed from A.I.R. and the number of time such news were broadcast in the news bulletins ; and

(b) the details of rules framed regarding the number of talks to be broadcast on a particular subject ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The number of talks, discussion and commentaries on bank nationalisation and Rabat Conference as broadcast from All India Radio is respectively 522 and 62. It is, however, difficult to give the number of times each of those items was broadcast in the news, as it would require scanning of thousands of bulletins.

(b) The number of broadcast talks on a given subject depends on the importance of the subject and the period for which the subject is of interest in the country.

सूरतगढ़ फार्म (राजस्थान) की फसल को क्षति

1687. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़ (राजस्थान) फार्म की खड़ी फसल की भारी क्षति हुई है ;

(ख) क्या फसल को हुई इस क्षति का सीधा कारण यही था कि उचित समय पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी हानि हुई तथा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी, नहीं । चने के कुछ खेतों पर खेती को काट डालने वाले कीड़ों (एग्रोटिस) का मामूली आक्रमण हुआ था । कीड़ों के दिखाई देने पर तुरन्त ही समस्त चने के खेतों में बी०एच०सी०-10 प्रतिशत का छिड़काव करके हानि को रोक दिया गया । केवल नाम मात्र हानि हुई है ।

चीनी का निर्यात तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में गिरावट

1688. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में मंदी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका हमारे चीनी के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में निर्धारित मात्रा में चीनी निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य में कितनी गिरावट आई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मूल्य कम हैं लेकिन हाल में मामूली बढ़ोत्तरी का रुख आया है ।

(ख) चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के कारण भारत से चीनी के निर्यात से हानि होती है और इस पर बहुत ही अधिक राज सहायता देनी पड़ती है । एक वर्ष चीनी के निर्यात की मात्रा निश्चित करते समय इस तथ्य को भी ध्यान रखा जाता है ।

(ग) निर्यात के लिए चीनी की बिक्री पंचांग वर्ष के आधार पर की जाती है । 1969 में 0.94 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया है । 1970 के लिए चीनी निर्यात की नीति विचाराधीन है ।

(घ) लंदन डेली प्राइस जोकि चीनी के मूल्य का अन्तर्राष्ट्रीय सूचकांक है, में भारी अन्तर है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :—

वर्ष	वार्षिक औसत लंदन डैली प्राइस प्रति टन लागत भाड़ा सहित यू०के० 96 आधार
1963	71.70
1964	51.11
1965	21.51
1966	17.87
1967	19.35
1968	21.83

पहली जनवरी, 1969 से अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अस्तित्व मे आने के बाद लंदन डैली प्राइस अक्तूबर, 1968 के 17.25 पौंड से बढ़कर अक्तूबर, 1969 में 34.00 पौंड प्रति टन लागत भाड़ा सहित यू०के० 96 आधार हो गयी थी ।

अनिकापल्लि मे (आन्ध्र प्रदेश) में मैक्स (मेन आटो एक्सचेंज) की स्थापना

1689. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिकापल्लि, आन्ध्र प्रदेश में एक मैक्स (मेन आटो एक्सचेंज) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह एक बड़ा व्यापार केन्द्र और बढ़ता हुआ नगर है ; और

(ख) यदि हां, उसका काम कब आरम्भ होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित एक्सचेंज की स्थापना का काम 1970-71 की प्रथम तिमाही मे आरम्भ हो जायेगा ?

विशाखापत्तनम में कर्मचारी राज्य-बीमा अस्पताल

1690. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में मल्कापुरम स्थान पर एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर 40 लाख रुपये व्यय हुए हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी लेकिन उपकरणों के अभाव के कारण अस्पताल खोलने के लिये डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई ;

(ग) क्या सरकार के विचार से अस्पताल का कार्य चलाने के लिए चार लाख रुपये की अतिरिक्त धन राशि पर्याप्त होगी ;

(घ) यदि हां, तो उक्त धन राशि की व्यवस्था करने और डाक्टरों की नियुक्ति करने में विलम्ब के क्या कारण है और कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :

(क) मल्कापुरम में 36.20 लाख रुपये की स्वीकृत लागत पर एक 110 पलंगों के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ;

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने, जो कि इस प्रयोजना को लोक निर्माण विभाग से पूर्ण करवा रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वीकृत लागत में 4.16 लाख रुपये की वृद्धि करने की प्रार्थना की है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकार से इस प्रस्ताव के औचित्य को बताने वाली कुछ अतिरिक्त सूचना भेजने की प्रार्थना की है । उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । जब भवन उपयोग के लिए तैयार हो जायेगा तभी चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है ।

Experiments for Evolution of High-Yielding and Tasty Varieties of Paddy

1691. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government agree with the view that scientific research and experiments should persistently continue for the evolution of high yielding and tasty Paddy varieties with a view to meeting the country's needs of rice ;

(b) if so, whether any further progress has been made in this direction after the evolution of Japa, Padma, Taichung Native and IR varieties ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes. It is well appreciated that the research and experiments should continue for the development of high yielding and more palatable paddy varieties which appeal to the Indian taste. The emphasis is being laid on the both the production potential of the varieties as well as their quality. Research programme under All-India Coordinated Scheme on Rice as well as at the Central Rice Research Institute, Cuttack and IARI is directed to the development of fine Basmati-like varieties to achieve this end.

(b) The researches have led to the development of fine varieties, Basmati-like, which have slender grain and have better quality than IR-8, Taichung Native I and Jaya Padma or similar other varieties which have been released in recent years.

(c) BC. 5, BC. 6 and BBS. 873 are such varieties which are of fine quality and resemble Basmati in grain shape. They have been developed by IARI and All India Coordinated Rice Project. Further tests are being carried out for studying their adaptibility and suitability for different areas. Andhra Pradesh Agriculture University has developed another fine variety *Hamsa* which has become quite popular in some parts of Andhra Pradesh. Further research is in progress to develop even better varieties than the above mentioned ones.

(d) Does not arise.

Distribution of Fallow Land in Bihar During Gandhi Centenary Year

1692. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of families to whom Government fallow land has been distributed in Bihar during the Gandhi Centenary year ; the number of people who have benefited therefrom and the total acreage of Government land that remains to be distributed or consolidated ;

(b) whether the said distribution is not a necessary step towards agricultural progress and social justice ; and

(c) if so, the concrete steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). According to available information, an area of about 22,79,899 acres of land in Bihar have been classified as culturable waste-land. It has been the declared policy of the State Government to settle landless Harijans, Scheduled Tribes and backward communities on culturable wasteland and agricultural land in rural areas. Five acres are given for agricultural purposes and one-eighth of an acre for homestead purposes. This policy is being followed by the Government of Bihar in the Gandhi Centenary Year in the form of a special campaign. Instructions have been issued to the District officers to accelerate the progress of settlement. The details as to how much land have been settled in the Gandhi Centenary Year are not readily available with the Government of Bihar, but on the basis of reports so far received, an area of about 1,81,918 acres has been settled with 1,13,135 families.

गांधी शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की संख्या

1693. **श्री ए० श्रीधरन :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी वर्ष के सिलसिले में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किये गये ; और

(ख) प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र द्वारा उक्त प्रसारणों को कितना समय दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1 अक्तूबर, 1969 से 20 नवम्बर, 1969 तक ।

(ख) दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम सभी केन्द्रों द्वारा रिले किये जाने के लिये उपलब्ध हैं, परन्तु इस बात का पता नहीं है कितने केन्द्रों ने 31 कार्यक्रमों में से किस किस को रिले किया । अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों में पुनर्वास

1694. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्थापित अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के

लिये तुरन्त विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर विभागीय दल ने यह सुझाव दिया था कि फरवरी, 1965 में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों की यात्रा करने के बाद पूर्वी बंगाल के 75,000 शरणार्थियों को 1971 तक पूर्ण रूप से बसाया जाना चाहिये तथा आगामी पांच वर्षों की अवधि में 150,000 और शरणार्थियों को बसाया जाना चाहिये ।

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इन द्वीप समूहों में केवल 600 शरणार्थी परिवारों अथवा 3,000 लोगों को बसाने का लक्ष्य सरकार ने क्यों बनाया है ;

(ग) क्या उपयुक्त दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य अन्दमान, हेतापुर काचमैंट, लिटल अन्दमान, नेती, हैवलक, रटलैण्ड, मंगरोब फारेस्ट, कच्चाल ग्रेट निकोबार, मानकौराई, कामोरटा, ट्रिंकट द्वीपसमूहों में 45,300 एकड़ भूमि तथा अगली योजना अवधि में 81,000 एकड़ और भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन द्वीपसमूहों में शरणार्थी बसाने के लक्ष्य पूरे न कर सकने के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2134/69]

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में बसाने के लिये भूमि को खेती योग्य बनाया जाना

1695. श्री समर गुह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लिटल अन्दमान" द्वीप में 284 वर्गमील चपटा भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है ;

(ख) क्या इस द्वीप में कृषि योग्य बनाये जा सकने वाली 60,000 एकड़ भूमि पर, 5 एकड़ प्रति परिवार के आधार पर कम से कम 12,000 परिवारों को बसाया जा सकता है जब कि वहां पर अब तक केवल 26 परिवारों को ही बसाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो शरणार्थियों के वहां पर बसाये जाने में इस विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थी पहले अन्दमान और निकोबार द्वीप में जाकर बसने के अनिच्छुक थे किन्तु अब वहां पर पुनर्वास की अच्छी सम्भावना होने के कारण वे वहां जाने के लिये बिल्कुल तैयार है ; और

(ङ) सरकार इन द्वीपों में बड़ी संख्या में बसने के लिये उनकी पूरी सुविधायें क्यों नहीं दे रही है और क्या ऐसी खेती योग्य बनाई गई भूमि की कमी के कारण अथवा इन द्वीपों में शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण है ?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

जी, नहीं। लिटल अन्दमान द्वीप का क्षेत्र 282.4 वर्गमील है ; इस लिये, यह कहना ठीक न होगा कि द्वीप में उद्धार करने योग्य चपटी भूमि का क्षेत्र 284 वर्गमील है।

(ख) अनुमान है कि इस द्वीप में उपनिवेशन के लिये लगभग 60,000 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। अन्य स्थानों में सरकार के अनुभव से प्रतीत होता है कि उद्धार किये गये क्षेत्र में से लगभग 20% क्षेत्र सामुदायिक सुविधाओं-जैसे कि सड़कों, क्रीड़ा स्थलों के लिये खुले स्थानों, चराई, प्रशासनिक भवनों, स्कूलों, हस्पतालों औषधालयों, ग्रामीण टैकों, सिंचाई इत्यादि-के लिये आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, जब तक विस्तृत भूमि सर्वेक्षण नहीं किया जाता, यह नहीं कहा जा सकता कि उद्धार किये गये क्षेत्र का सारा शेष भाग खेती करने के योग्य होगा। द्वीप के विस्तृत सर्वेक्षण तथा उसमें उपनिवेशन के अन्य उपायों के लिए योजनाऐं बनाई जा रही हैं। विभिन्न आबाजाही शिविरों में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आये जिन प्रवासी परिवारों ने पिछले वर्ष तक अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में जाने की इच्छा प्रकट की थी, उन्हें पहले ही उन द्वीपों में भेजा जा चुका है।

(ग) लिटल अन्दमान द्वीप में शरणार्थियों के पुनर्वास में कोई परिचार्य देर नहीं हुई है। जैसा कि उपरोक्त (ख) के उत्तर में कहा गया है, आवाजाही शिविरों में रहने वाले उन सभी परिवारों को जिन्होंने पिछले वर्ष तक अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में जाने की इच्छा प्रकट की थी वहां भेजा जा चुका है। चालू वर्ष में 16 परिवारों ने वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की है ; उन्हें आगामी कार्यकाल के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में भेज दिया जायेगा।

(घ) सरकार की अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में पुनर्वास देने की पेशकश पर आवाजाही शिविरों में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासी परिवारों की प्रतिक्रिया से यह प्रकट नहीं होता कि वह उन द्वीपों में जाने के लिये सामान्यत: इच्छुक हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों तथा शरणार्थियों का बसाया जाना

1696. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अन्तर विभागीय दल के प्रतिवेदन के अनुसार ग्रेटर निकोबार में लगभग 18,800 एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा सकती है जिसमें से, 1,500 एकड़ धान की खेती के लिये उत्तम है और शेष नारियल सुपारी और फलों की खेती के लिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम से कम 2,000 परिवारों को वहाँ बसाया जा सकता है परन्तु केवल 69 भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को वहां अब तक बसाया गया है ;

(ग) क्या इस द्वीप में पुनर्वास कार्य की गति तीव्र करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ;

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों और बर्मा और

लंका से आये भारतीयों को भी वहां पर बसाने का विचार है ताकि अन्दमान की तरह वहां पर भी एक मिश्रित समाज का विकास किया जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे विकास की क्या योजना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के विकास संभाव्य का मूल्यांकन करने के लिये जो अन्तर्विभागीय दल गठित किया गया था, उसके अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में उद्धार करने के लिये 15,000 एकड़ क्षेत्र उपलब्ध होने का अनुमान है । तथापि, इससे पूर्व 1960 में जो सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार, इस द्वीप में लगभग 18,800 एकड़ भूमि का उद्धार हो सकने का अनुमान था । यह अनुमान लगाया गया था कि इसमें से लगभग 1,500 एकड़ धान की फसल के लिये और शेष भूमि आर्कानट तथा कोकोनट (नारियल) रोपण के लिये उपयुक्त होगी ।

(ख) से (ङ). इस द्वीप में कृषि तथा बागान के लिये भूमि की उपयुक्तता स्थापित करने, कृषि तथा बागान के प्रयोजन के लिये प्राप्य क्षेत्र सुनिश्चित करने और बताने, तथा सिंचाई के संभाव्य इत्यादि के सम्बन्ध में इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करना अभी शेष है । इस द्वीप में बड़े पैमाने पर उपनिवेशन करने से पूर्व, सभ्य रहन-सहन के लिये कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्थापना) नये सिरे से बनाना पड़ेगा । अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों तथा मुख्य भूमि के साथ संचार सुविधाएँ अधिक सन्तोषप्रद आधार पर स्थापित करनी होंगी । "कैम्पबैल बे" में घाट के कार्य को पूरा करने का काम हाथ में ले लिया गया है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है । भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवार बसाने की एक मार्गदर्शी परियोजना पिछले वर्ष मंजूर की गई थी जिसके अन्तर्गत 69 परिवार द्वीप में भेजे गये हैं । शेष परिवारों को आने वाले शुष्क मौसम में वहाँ भेजा जायेगा । 1971 तक भूत-पूर्व सैनिकों के अन्य 100 परिवारों को इस द्वीप में भेजे जाने की योजना तैयार की जा रही है । आवश्यक परिवहन सुविधाओं का निर्माण हो जाने तथा सभ्य जीवन के लिये प्रत्येक प्रकार की सुविधा की स्थापना करने के उपरान्त, द्वीप में उपनिवेशन के लिये पूर्ण कार्यक्रम तैयार किया जायेगा । वर्तमान उपनिवेशी उन भूत-पूर्व सैनिक परिवारों में से चुने गये हैं जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है । तथापि इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस द्वीप का उपनिवेशन सरकार केवल भूत-पूर्व सैनिकों के परिवारों तक ही सीमित रखेगी । इसके अतिरिक्त, यदि चुनाव केवल भूत-पूर्व सैनिकों के परिवारों तक ही सीमित रखा जाये तो भी इससे द्वीप में सर्वदेशीय समाज की स्थापना में कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि भूत-पूर्व सैनिकों के परिवार देश के सभी भागों से आते हैं ।

अन्दमान में बसे शरणार्थियों की समस्यायें

1697. **श्री सगर गुह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में बसाये गये पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को, यद्यपि वे उचित पुनर्वास की संभावना से प्रसन्न हैं, कुछ समस्याओं अर्थात् भूमि को खेती योग्य बनाने की धीमी गति, भू-संरक्षण के लिये समुचित उपायों का अभाव, पास के अन्य क्षेत्रों से आने वाले

जंगली सूअरों और हिरणों द्वारा धान की बोई गई फसल नष्ट किये जाने का निरन्तर खतरा, उनके कृषि उत्पादों के लिये परिवहन सुविधाओं की कमी, सड़क, जहाज और संचार सुविधाओं की कमी, उनके स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों का न होना, अस्पताल और डाक्टरों की कमी, बसने वालों के प्रत्येक परिवार के लिये भूमि के वितरण की असमान नीति जिसके अन्तर्गत कुछ मामलों में 10 एकड़ और अन्य मामलों में 5 एकड़ भूमि दी जाती है, रोजगार सुविधाओं की कमी और पुनर्वास ऋणों की वसूली के लिये दबाव डाला जाना ; और

(ख) यदि हां, तो इसद्वीप समूह में शरणार्थियों के उचित, शीघ्र उपयुक्त पुनर्वास के हेतु इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को संघ शासित क्षेत्र, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में उस क्षेत्र सम्बन्धी 1949 में चालू की गई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत और फिर 1964 में शुरू किये गये त्वरित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाया गया। पहले बसाये गये लोगों का पुनर्वास हर पहलू से पूर्ण हो चुका है। और वे संघी क्षेत्र में पहले से ही रहने वाले समुदाय के साथ पूरी तरह घुल मिल गये हैं। जहां तक भूमि के असमान वितरण की शिकायत का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी। पूर्व बसाये गये शरणार्थियों के जत्थों के पुनर्व्यवस्थापन को सुगम करने के लिये उनको कुछ ऋण दिये गये थे और उन परिवारों से प्रशासन की सामान्य रीति के अनुसार वह ऋण वसूल किये जा रहे हैं। इन ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बारे में समय समय पर मांगें की गई हैं किन्तु सरकार के लिये ऐसी मांगों को मानना संभव नहीं हो सका। वे परिवार, जो हाल ही में चालू किये गये त्वरित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाये गये हैं, अभी पूर्ण रूप से नहीं बस पाये हैं। उनके पुनर्वास के लिये जो प्रशासनिक मशीनरी स्थापित की गई हैं, वह उन्हें उनके दिन प्रतिदिन की उन समस्याओं के सम्बन्ध में जिनका वह प्रायः स्वयं निजी साधनों द्वारा समाधान नहीं कर पाते, आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है बसाये गये व्यक्तियों को पूर्ण रूप से उद्धार की गई भूमि दी जाती है। इन भूमियों के सम्बन्ध में भूमि संरक्षण उपाय किये जा रहे हैं ; इस बारे में उचित उपायों में बसाये गए व्यक्तियों को स्वयं भी आवश्यक योगदान देना होगा। इन सभी उपनिवेशनों में सड़कों और समुद्र संचार की पर्याप्त मात्रा में व्ययस्था की गई है और प्रगति पूर्वक इस में सुधार किया जा रहा है बसाए गए व्यक्तियों को चिकित्सा तथा उनके बच्चों के लिये स्कूलों की सुविधाएं पहले से दी जा रही हैं ; दूरस्थ तथा नये खोले गये क्षेत्रों में, इन के स्तर मुख्य भूमि के विकसित क्षेत्रों के स्तर के बराबर सदैव नहीं है किन्तु ये सुविधाएं अपर्याप्त नहीं है। बसाये गये व्यक्तियों को कृषि सम्बन्धी सभी वस्तुएं दी जा रही है और पर्याप्त कृषि विस्तार सेवा स्थापित कर दी गई है। मुख्य भूमि के विभिन्न भागों की तरह इन द्वीपों में भी जंगली सूअरों तथा हिरणों का खतरा है। बसाये गए व्यक्तियों को उत्साह दिया गया है कि वे पर्याप्त सावधानी रखें जिससे कि वे इन पीड़िक जन्तुओं से अपनी फसलों की हानि को बचा सकें। बसाये गए व्यक्ति प्रसन्न तथा सन्तोषप्रद जीवन बिता रहे हैं और आशा की जा सकती है कि एक या दो वर्ष की अल्प अवधि में, वे भी पूर्व बसाये गए व्यक्तियों की तरह अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखने योग्य हो जायेंगे।

Exclusion of News of Bank Nationalisation from Hindi Bulletins

1698. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the news in respect of proclamation of the ordinance regarding bank nationalisation was excluded from the Hindi Bulletin ;

(b) whether it is also a fact that the said news had been broadcast in the regional language bulletins broadcast prior to the Hindi Bulletin ;

(c) whether it is also a fact that in the English news Bulletin, broadcast immediately after the Hindi Bulletin, the said news got first place ;

(d) if so, whether the order to exclude the said news from the Hindi Bulletin was issued to make the Hindi Bulletin insignificant ; and

(e) whethr it is a fact that the pro-English officers had made the Hindi Bulletins in respect of one or two items insignificant in this manner previously also ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. In Punjabi, Kannada, Marathi and Gujarat bulletins.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

(e) No, Sir.

ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलना

1699. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों में नये डाकघर खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान कार्यालयों में डाकघरों का व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग), ग्रामीण इलाकों में नए डाकघर खोलने के बारे में सरकार की नीति सभापटल पर दिये गए विवरण में दी गई है।

मौजूदा स्थिति यह है कि यदि अनुबन्ध में दिए गए विभागीय मानक पूरे हों, तो ग्राम पंचायत के मुख्यालयों में डाकघर खोले जा सकते हैं। जो गांव ग्राम पंचायतों के मुख्यालय हैं, वहां घाटे की कुछ वित्तीय सीमाओं की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न चरणों में डाकघर खोलने के लिए एक अलग योजना विचाराधीन है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2135/69]

आयातित चावल के लिए राज्य सहायता

1700. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़िया किस्म के आयातित चावल को भी राज्य सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सहायता की दर प्रति क्विंटल क्या थी ; और

(ग) मोटे चावल को दी जाने वाली प्रति क्विंटल राज्य सहायता की दर की तुलना में यह कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) विदेशों से आयात किया गया चावल आमतौर पर मोटा चावल होता है। केवल हाल ही में पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर किस्म के चावल का कुछ स्टाक प्राप्त हुआ है। क्योंकि आयातित चावल के निर्गम मूल्य चाहे वह मोटा या बढ़िया चावल हो, देसी चावल की तुलनात्मक किस्मों के स्तर पर रखे जाते हैं और तथ्य यह है कि आयातित चावल देसी चावल से महंगा होता है, इसलिये बढ़िया तथा मोटे आयातित चावल के वितरण में राजसहायता निहित होती है।

(ख) आयातित बढ़िया चावल के बारे में लगभग 31.00 रुपये प्रति क्विंटल।

(ग) आयातित मोटे चावल के मामले में निहित राजसहायता लगभग 23.00 रुपये प्रति क्विंटल है।

सोयाबीन को पण्योपयोगी बनाने, उसके उपयोग तथा विपणन सम्बन्धी सम्मेलन

1701. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सोयाबीन को पण्योपयोगी बनाने, उसके उपयोग तथा विपणन के सम्बन्ध में हाल में नैनीताल में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन

1703. **श्री अदिवचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर

विचार कर रही है ताकि इंजीनियरी स्नातकों को तथा डिप्लोमाधारियों को रोजगार प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) आवश्यक विधान कब लाया जायेगा।

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरणों को सम्बन्धित हितों से विचार-विनिमय द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीकरण

1704. **श्री अविचन :** **श्री प्रेमचंद वर्मा :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीकरण के बारे में केन्द्रीय आदेश प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो पत्र में क्या लिखा था; और

(ग) इस संबंध में क्या केन्द्रीय निर्देश दिये गये है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को भेजे गये अपने पत्र में यह सुझाव दिया कि विचार-विमर्श द्वारा चीनी उद्योग के राष्ट्रीकरण के प्रश्न पर एक अखिल भारतीय नीति तैयार की जानी चाहिए और वे ऐसी नीति का स्वागत करेंगे।

(ग) इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जांच हो रही है।

A. I. R. Station for Kota

1705. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Radio Stations are functioning in several Districts of Rajasthan ;

(b) the basis on which the provision of a Radio Station is made ; and

(c) the reasons for not making provision of a radio station in Kota, Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There are five transmitting Centres in Rajasthan, namely, at Jaipur, Bikaner, Udaipur, Ajmer and Jodhpur.

(b) Location of Radio Station is decided keeping in view considerations of public policy, area, population language and culture of the region concerned, its seat of administration, availability of talent and technical feasibility.

(c) The Radio Stations at Ajmer and Indore provide adequate broadcast coverage to the Kota region.

Non-delivery of Evening Mail marked as 'Express Delivery in Kotah, Rajasthan

*1706. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the evening mail marked as 'Express Delivery' is not delivered in Kotah, Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that arragements exist in other cities for delivering such mail ; and

(c) if so, the reasons for not delivering the mail when the Frontier Mail arrives there at half-past eleven ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broodcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. Mails received upto 16.16 hours by Frontier Mail are included in the evening delivery.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

शीतलपुर चीनी मिल, बिहार, श्रमिकों को मजूरी का भुगतान

1707. **श्री वेणी शंकर वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में गारौल स्थित शीतलपुर चीनी मिल गत दो वर्षों से बन्द पड़ी है जिसके कारण 1200 बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों को गत दो वर्षों मजूरी नहीं दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या श्रमिकों अथवा प्रबन्धकों से वित्तीय सहायता के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या उस पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां ।

(ग), (घ) से (ङ) : राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के लिए मैनेजमेंट से एक अभ्यावेदन मिला है और चालू मौसम के दौरान उसके कार्य चालन की सम्भावना को समुचित रूप से ध्यान में रखकर राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है ।

उपग्रह संचार व्यवस्था

1708. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में 1976 तक उपग्रह संचार व्यवस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : मामले की जांच की जा रही है तथा निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा ।

गांधी जी के श्रम सम्बंधी सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए एक श्रम अध्ययन संस्थान की स्थापना करना

1709. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा सितम्बर, 1969 के अन्त में नई दिल्ली में "गाँधी जी और श्रमिक" विषय पर आयोजित की गयी दो दिन की विचार गोष्ठी में यह विचार किया गया था कि गांधी के श्रम संबंधी सिद्धान्तों का प्रचार करने और महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित शांति प्रधान समाज का निर्माण करने के लिए श्रम अध्ययन सम्बन्धी एक संस्थान स्थापित किया जाये;

(ख) क्या विचार गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ राजनीतिक उद्देश्यों से की गयी हड़तालों पर नियंत्रण करने के लिए भी कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारवाही करने का विचार है?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री भागवत झा आजाद) : (क) गोष्ठी ने सिफारिश की कि ट्रेड युनियन संगठन तथा क्रियाकलाएं व औद्योगिक सम्बन्धों के तकनीक के बारे में गांधी दर्शन की जानकारी कराने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में एक श्रम अध्ययन सम्बन्धी गांधी संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए । इस संस्थान द्वारा श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अनुसन्धान करना चाहिए, पत्रिका लिखवानी चाहिए और सूचना के लिए एक परिसूचन केन्द्र के रूप में काम करना चाहिए तथा सामन्यतः श्रमिकों के सम्बन्ध में गांधी दर्शन के प्रचार का काम करना चाहिए ।

(ख) गोष्ठी ने राजनैतिक आर्थिक हड़तालों में भेद करने का सुझाव दिया । आर्थिक हड़तालें वैध और कभी-कभी आवश्यक भी हो सकती है; लेकिन राजनैतिक हड़तालों को टाला जाना चाहिये !

(ग) इन और इसी प्रकार के अन्य विषयों पर सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में विचार कर रही है ।

संसद् सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना

1710. **श्री वि० प्र० मन्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक संसद् सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में उसके निवास स्थान पर टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी स्थान पर रह रहे संसद् सदस्यों में वे संसद् सदस्य शामिल होंगे जो गांवों में रह रहे हैं और जहां टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं। लेकिन टेलीफोन लाइनें उन गाँवों से गुजरती हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। यह व्यवस्था आवास तथा टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) संशोधन नियमावली 1969 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। ये कनेक्शन सदस्यों की ओर से राज्य/लोक सभा सचिवालय के माध्यम से मांग पत्र प्राप्त होने पर दिये जाते हैं।

(ख) जी हां, बशर्ते कि जहां टेलीफोन लगवाना हो, वह जगह किसी मौजूदा टेलीफोन केन्द्र के प्रचालन क्षेत्र के भीतर स्थित हो।

आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रम से प्राप्त राजस्व

1711. **श्री वि० प्र० मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रम से कुल कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के पटना केन्द्र से विज्ञापन कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारम्भ करने की कोई योजना है ; यदि हां, तो कब ; और यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) 1968-69 वर्ष के लिए 82,22,548 रुपये।

(ख) व्यापारिक सेवा का अन्य केन्द्रों में विस्तार करने की सम्भावना के बारे में जांच की जा रही है। इस सेवा को पटना केन्द्र से निकट भविष्य में चालू करने का विचार नहीं है क्योंकि पटना केन्द्र से विज्ञापन आय अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

A. I. R. Broadcasts in Foreign Languages

1712. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the foreign languages in which broadcasts are made by the External Services Division of the A. I. R. ;

(b) whether it is a fact that the broadcasts for South-East Asian Countries (Indonesia, Malaya, Japan, Burma, Thailand etc.) are not made by the A. I. R. in their respective languages ;

(c) if so, the reasons therefor and whether Government propose to start the broadcasts for Japan in Japanese language keeping in view our increasing economic and cultural relations with that industrially advanced country ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Indonesian, Swahili, French, Burmese, Tibetan, Chinese (Kuoyu and Cantonese), Pushtu, Arabic, Persian, Dari, Sinhala, Thai, Nepali and English.

(b) No, Sir. All India Radio broadcasts to South-East Asian countries in all the languages except Japanese, Malay, Vietnamese, Laotian and Cambodian.

(c) (i) A service in Malay has already been sanctioned and it will be started shortly. Steps are also being taken to start Vietnamese, Laotian and Cambodian.

(ii) A proposal to start a service in Japanese in under consideration.

(d) Does not arise.

खेतों पर डी० डी० टी० के छिड़काव का प्रभाव

1714. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या खाद्य, कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अमरीका तथा अन्य पश्चात्य देशों ने खेती पर डी० डी० टी० का छिड़काव करने पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये हैं क्योंकि इससे बहुत विषयक्तता हो जाती है, इसका प्रभाव संचयागत होता है तथा यह भूमि से सब्जियों और फिर पशुओं और बाद में मनुष्यों में चला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कीटनाशी औषधियां, जिनमें मनुष्यों को नुकसान होता है, बनाने के लिए देश में डी०डी०टी० का एक बड़ा कारखाना स्थापित करने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) डी०डी०टी० के दीर्घकाल तक होते रहने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए कुछ देशों में चल रही अनुसन्धान परियोजनाओं पर भारत सरकार दृष्टि रखे हुए हैं। इस बारे में अभी तक कोई पक्का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है कि मिट्टी, वनस्पति और पशुओं से डी०डी०टी० के दुष्प्रभाव मानव पर भी आ जाते हैं। देश में डी०डी०टी० का प्रयोग मुख्यत: मकानों को अन्दरूनी दीवारों, छतों पर मलेरिये से छुटकारा पाने के लिए ही सीमित स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना में हानि नाममात्र ही है। डी०डी०टी० का प्रयोग जारी रखा जा रहा है क्योंकि अन्य कीटनाशक औषधियां अधिक नशीली तथा महंगी हैं।

(ग) देश की कीटनाशक औषधियों की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और विदेशों से डी०डी०टी० आयात करने में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए डी०डी०टी० सरकारी क्षेत्र के पैट्रोलियम और रासायनिक और खान और खनिज मन्त्रालय के अधीन लगाये गये प्लान्टों में ही तैयार होती है।

भारत के खाद्य निगम द्वारा आटा मिलों को सड़े हुए गेहूँ की सप्लाई

1715. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत का खाद्य निगम, जिसे आटा मिलों को गेहूँ सप्लाई करने का एकाधिकार प्राप्त है, आटा मिलों को बढ़िया गेहूँ के साथ सड़ा हुआ गेहूँ, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा है ;

(ख) क्या निगम मिलों को इस बात की धमकी भी देता है कि अन्यथा उन्हें कोई गेहूं नहीं दिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा खाद्य निगम द्वारा किये जाने वाले ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग). जी नहीं । कोई सड़ा हुआ गेहूं सप्लाई नहीं किया जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम को स्थायी आदेश है कि केवल मानव उपयोग के उपयुक्त गेहूं ही दिया जाना चाहिए । इसमें रोलर-फ्लोर मिलों को दिया जाने वाला गेहूं भी शामिल है ।

Application fee for Telephone Connections

1716. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 10/- will be charged for every application for a telephone connection from the 1st December, 1969 ;

(b) whether applicants on the waiting list will also have to pay a similar sum ; and

(c) if so, what are the reasons for charging this money from applicants on the waiting list ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) A priced form of application for a new telephone connection is being introduced so that only those persons apply for telephone connections who genuinely need them. This will be conductive to proper maintenance of waiting list registers. The price of Rs. 10/- for the form, besides the cost of printing and sale of the form is meant to cover the expenditure incurred in clerical work for registration of the application, maintenance of waiting list and subsequent correspondence with the applicant till the connection is sanctioned.

The application of this decision to those already on the waiting list is done with the view to make the existing waiting lists more realistic by weeding out the spurious applications, or multiple applications in different names when only one telephone is actually required.

गांधी शताब्दी वर्ष में नलकूप लगाना

1717. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार गांधी शताब्दी वर्ष में नलकूप नहीं लगाये गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में साधारणतया और विशेषकर मधुबनी उपमंडल में खण्डवार कितने-कितने नलकूप लगाए गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय या बिहार सरकार ने

गांधी शताब्दी वर्ष की अवधि में देश/राज्य में किसी निश्चित संख्या में नलकूप खोदने की कोई योजना नहीं बनाई है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) 1968-69 के अंत में बिहार राज्य में 10,239 गैर सरकारी नलकूप और 1,205 राजकीय नलकूप मौजूद थे । इनके अतिरिक्त सन् 1969-70 में 4,600 गैर-सरकारी नलकूप और 125 राजकीय नलकूप खोदने का कार्यक्रम है । जहां तक विशेषकर मधुबनी उप-प्रभाग में खण्ड-वार नलकूप लगाने का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

बिहार में नीमा छोटी सिंचाई योजना

1718. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मधुबनी उपमण्डल (बिहार) में नीमा छोटी सिंचाई योजना 1966 से मंजूर हुई पड़ी है, परन्तु अभी तक इसका कार्य आरम्भ नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है । और कार्य शीघ्र कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक तथा विकास सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). मधुबनी उपमण्डल में नीमा (छोटी) सिंचाई योजना एक सिंचाई एवं जल निकासी की योजना है, जो 1966 में स्वीकृत की गयी थी । योजना की कुल लागत 3.98 लाख रुपये थी । योजना के दो भाग हैं (i) जल निकास के लिये एक सम्पर्क नाली का निर्माण (ii) सिंचाई कार्यों के लिए एक बांध का निर्माण सम्पर्क नाली का निर्माण सन् 1966 में प्रारम्भ किया गया था और 8,000 रुपये की राशि व्यय की गई है । किन्तु इस कार्य को स्थगित करना पड़ा क्योंकि इसके लिए अपेक्षित भूमि को पूर्णतः अर्जित नहीं किया गया था । भूमि अर्जन की औपचारिकता को पूर्ण कर दिया गया है और नाली का कार्य भी पूरा कर दिया गया है । जहां तक बान्ध के निर्माण का प्रश्न है इसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित स्थल को बदलने का प्रस्ताव रखा है । योजना का मौजूदा कमाण्ड-क्षेत्र 2,651 एकड़ है, जबकि स्थल में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कमाण्ड-क्षेत्र बढ़कर 2650 एकड़ हो जायेगा। ईंटों और सीमेंट आदि भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने और स्थल में परिवर्तन होने के कारण पूर्व अनुमानों में संशोधन करने की आवश्यकता है । आशा है कि कार्य के पुनर्शोधित अनुमान राज्य सरकार द्वारा एक अथवा दो माह के अन्तर्गत संस्वीकृत कर दिये जायेंगे और उसके उपरान्त तुरन्त आगामी निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

सहकारिता आन्दोलन

1719. **श्री बेद व्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिन्न भिन्न राज्यों में सहकारिता आन्दोलन को भिन्न भिन्न प्रकार की सफलता प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है ; और

(ग) जिन क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन को कम सफलता मिली है उनमें उसे सहायता देने हेतु क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) जी हां । सहकारी आन्दोलन का विकास विभिन्न क्षेत्रों में असमान है ।

(ख) जी हां । भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक राज्यों के सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित समस्याओं की समय समय पर समीक्षा की गई है । अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने भी अपनी हाल ही की रिपोर्ट में क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों का विश्लेषण किया है । मुख्य कारण ये हैं संस्थागत ढाँचे में संगठनात्मक तथा संरचनात्मक कमजोरियां और क्षेत्र के पिछड़ेपन जैसे बाह्य कारण ।

(ग) राज्य सरकारों को संरचनात्मक तथा संगठनात्मक कमजोरियां प्राथमिक ऋण समितियों के जीव्यता कार्यक्रम, कमजोर केन्द्रीय बैंकों के पुनर्स्थापन और सहकारी कार्मिकों के सामान्य संवर्गों के गठन के माध्यम से ठीक करने के लिए सुझाव दिये जा चुके हैं और मार्गदर्शक सिद्धांत सूचित किये जा चुके हैं । जिन राज्यों में सहकारी आन्दोलन कमजोर हैं वहां कृषि ऋण निगमों की स्थापना करना भी स्वीकार किया जा चुका है और इस प्रयोजन के लिये एक अधिनियम पारित किया गया है । पूर्वी राज्यों तथा राजस्थान जहां सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर था, में सहकारी समितियों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का एक कार्यक्रम 1968-69 के अन्त तक लागू था । इन राज्यों को इनके ऋण-पत्र कार्यक्रमों में अनुपातत: विकास की उच्च दर स्वीकार की जाती है । तथापि, आर्थिक पिछड़ेपन से पैदा होने वाली क्षेत्रीय विषमताओं को केवल इन क्षेत्रों के सामान्य आर्थिक विकास द्वारा ही दूर करने की आशा की जा सकती है ।

बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन

1720. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बढ़िया किस्म के बीज पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है जिसके लिए राष्ट्रपति ने 10 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में हुए तीसरे अखिल भारतीय बीज उत्पादन सम्मेलन में जोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अन्तर्गत बीजों का उत्पादन और वितरण करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । समस्त राज्यों के अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्य-क्रमों की बीज सम्बन्धी आवश्यकताओं का, प्रत्येक कृषि मौसम के प्रारम्भ होने से बहुत पहले राज्य प्रतिनिधियों के साथ पुनरीक्षण किया जाता है । जब कभी कोई कमी दिखाई देती है उसे राष्ट्रीय बीज निगम की सहायता से विशेष उत्पादन कार्य-क्रमों के माध्यम से या अधिशेष क्षेत्रों से सप्लाई भेज कर पूरा कर दिया जाता है ।

केन्द्र, राज्य सरकार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बीज उद्योग द्वारा किये गये वर्षों को एकत्रित प्रयत्नों से देश में बीजों में आत्म निर्भरता ला दी है। वस्तुतः अब हमारे पास काफी फालतू बीज (और विशेषतः संकर बीज) मौजूद है।

चतुर्थ योजना की अवधि में कृषि उत्पादन कार्यक्रम में सुधरे बीज को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। सुधरे कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1·00 लाख एकड़ भूमि लाने का प्रस्ताव है जिसमें अधिक उत्पादनशील किस्में भी सम्मिलित है। उच्चजीन गुण के बीजों के समुचित उत्पादन एवं वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में कितने ही कार्य क्रमों को शुरू किया जायेगा।

बीजों की उपलब्धि के विषय में उठाये गये अन्य कदमों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बीज उत्पादन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की हुई विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने वाली परियोजना का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य यह है कि परियोजना पूरी होने पर विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों का उत्पादन 56,000 टन कर दिया जाये।

खाद्य नियंत्रण ढील

1721. **श्री जे० के० चौधरी :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत अच्छी खरीफ फसल को देखते हुए देश में खाद्य नियंत्रण में ढील करने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खुले बाजार और सरकार दोनों के पास दीर्घावधि तक लगातार उपलब्धि रहने वाले खाद्यान्न स्टाक को देखते हुए ही खाद्य-नियंत्रण में ढील दी जाती है न कि आवश्यक रूप से केवल अच्छी फसल के आधार पर। मोटे अनाजों पर से नियंत्रण बहुत हद तक पहले ही हटा लिया गया है।

संवाददाताओं को परेशान किया जाना

1722. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों के अफसरों, मालिकों तथा सम्पादकों द्वारा संवाददाताओं को परेशान किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) दिनमान तथा समाचार भारती के मामलों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पटना में बिड़ला के एक दैनिक पत्र 'सर्चलाईट' के संवाददाता द्वारा मुंगेर के जिलाधीश की इच्छा के विरुद्ध एक सच्चा समाचार दिये जाने पर उसे हटा दिये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त संवाददाता को सर्चलाइट में पुनः बहाल कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (घ). समाचार भारती तथा सर्च लाइट के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं। सर्चलाइट के संवाददाताओं का मामला श्रम तथा रोजगार विभाग को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। समाचार भारती के कर्मचारियों के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया जाता हैं।

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों का मुनाफा

1723. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में उत्तरदायी क्षेत्रों में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उस राज्य में सहकारी चीनी मिलों ने एक वर्ष में केवल 40 करोड़ रुपये लगाकर 48 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है ;

(ख) इस मुनाफे में से कितनी राशि करों के रूप में सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र के ऐसे देहाती क्षेत्रों में जहां अब तक सिंचाई और बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है, सिंचाई और बिजली की व्यवस्था करने के लिए मुनाफे की इस अत्यधिक राशि का प्रयोग करने के लिए मार्गोपाय ढूंढेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी योजना न बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में राज्य सरकार का सहयोग न प्राप्त करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चीनी का उत्पादन तथा निर्यात

1724. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगा लिया है कि 1969-70 की फसल में मोटे रूप में चीनी का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ख) चीनी के अनुमानित उत्पादन में से कितनी मात्रा में उसका निर्यात किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) सरकार निर्यातकर्ताओं का चयन किस आधार पर करती है ; और

(घ) आगामी वर्ष में निर्यातकर्ताओं को कितनी राजसहायता देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969-70 के मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 38 से 40 लाख मीटरी टन के बीच होने की आशा है।

(ख) 1970 के लिए चीनी निर्यात नीति विचाराधीन है।

(ग) वर्ष 1964 से भारत सरकार द्वारा निर्यात के लिये चीनी की बिक्री की मात्रा निर्धारित की जाती है और चीनी निर्यात सम्बर्धन अधिनियम, 1958 के अधीन निर्यात एजेन्सी के रूप में नियुक्त चीनी उद्योग की प्रतिनिधि निकाय चीनी के प्रत्यक्ष निर्यात को सम्भाली रही है। विदेशों में जो पार्टियां हमारी चीनी बेचती हैं वे टेंडर के आधार पर चुनी जाती हैं। ये टेंडर, टेंडर देने वाली पार्टियों के सामने खोले जाते हैं।

(घ) यह अभी तय नहीं किया गया है।

श्रम जीवी पत्रकारों तथा व्यंग्य-चित्रकारों का कथित तंग किया जाना

1725. **श्री मधु लिमये :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रम जीवन पत्रकारों तथा व्यंग्य चित्रकारों द्वारा सरकार तथा समाचार पत्रों के मालिकों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखने, विचार व्यक्त करने तथा व्यंग्य, चित्र बनाने पर उन्हें सरकार तथा समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा परेशान किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या "टाईम्स आफ इण्डिया" "दिनमान" तथा अन्य समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के कार्यालयों में कार्य कर रहे श्रम जीवी पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) बड़े उद्योगपतियों तथा सरकार के नियंत्रण से समाचार पत्रों की वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी, नहीं। जहां तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सम्बन्ध है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा संविधान द्वारा की गई है।

(ग) सरकार के सामने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि संविधान में दी गई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सरकार के लिए एक विश्वास की धारा है।

धनवाद (बिहार) के टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

1726. **श्री मधु लिमये :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में धनवाद स्थित टेलीफोन केन्द्र के बारे में पटना

से निकलने वाले 9 जुलाई, 1969 के "इण्डियन नेशन" में प्रकाशित शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 'ट्रंक काल' केवल उन व्यक्तियों का मिलाया जाता है और केवल उन ग्राहकों से कम शुल्क लिया जाता है जो टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं ;

(ग) क्या लम्बी डोरी लगाने के लिए "बखशीश" ली जाती है ;

(घ) क्या रिश्वत न देने की स्थिति में स्थानीय 'काल' के लिए ग्राहकों से अधिक शुल्क लिया जाता हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने का आदेश दिया है तथा ग्राहकों की इन कठिनाइयों का निवारण के लिए कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी हां, 9 जुलाई, 1969 को "इण्डियन नेशन" में छपे समाचार में सम्बन्धित मामले की छानबीन की गई थी, लेकिन उसमें लगाये गये आरोपों में कोई सचाई नहीं पाई गई ।

Subsidy to States for Foodgrains

1727. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of the States and the amount of subsidy being provided by Government to the States for foodgrains and its relevant data for the last three years ;

(b) whether Government propose to abolish subsidy for foodgrains keeping in view the improved food-situation of the country ;

(c) if so, since when ; and

(d) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No subsidy as such is given to the State Governments. The concessional prices at which some of the foodgrains are supplied from the Central stocks, however, involve subsidy which is borne by the Central Government as a loss in the trading account. The total losses so incurred by the Central Government during 1966-67, 1967-68 have been as under :

Year	Loss in crores of Rupees
1966-67	93.28
1967-68	93.69

The accounts for the year 1968-69 are yet to be finalished.

(b) to (d). The subsidy is at present mainly involved in the distribution of imported rice and milo. With the increased production of foodgrains in the country, the imports of foodgrains are likely to be reduced gradually, ultimately resulting in the elimination of the subsidy.

हरियाणा के लिए आकाशवाणी केन्द्र

1728. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 24 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करना कब सम्भव होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : हरियाणा में, रोहतक में रेडियो केन्द्र 1972-73 तक स्थापित हो जाने की आशा है ।

खरीफ फसल के लिये खाद्य निर्धारित लक्ष्य

1729. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 की खरीफ फसल में खाद्य उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं ; और

(ख) क्या वर्ष 1969 के लिए चावल की वसूली का निर्धारित लक्ष्य भी पूरा हो गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित नहीं किये जाते हैं ।

(ख) 1968-69 विपणन मौसम हेतु निर्धारित चावल के अधिप्राप्ति लक्ष्य को बहुत हद तक प्राप्त कर लिया गया है क्योंकि लक्ष्य में से 93 प्रतिशत तक की अधिप्राप्ति हुई है ।

हरियाणा राज्य द्वारा चावल का उत्पादन

1730. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में चावल की वसूली लक्ष्य से अधिक हो चुकी है ;

(ख) क्या हरियाणा कुछ बहुत बढ़िया किस्म का चावल पैदा कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार हरियाणा को क्या प्रोत्साहन देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार हरियाणा में 1968-69 की फसल में से

145 हजार मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया था जबकि अधिप्राप्ति लक्ष्य 150 हजार मीटरी टन था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हरियाणा सरकार को केन्द्रीय पूल को सप्लाई के लिए प्रोत्साहन बोनस दिया जा रहा है ।

Films on National Leaders

1731. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the leaders in respect of whom Government have produced films and the expenditure incurred thereon separately ;

(b) whether Government propose to produce films in respect of Sardar Patel and Shri Lal Bahadur Shastri also ;

(c) if so, by when, and if not the reasons therefore ; and

(d) whether Government propose to produce the films in respect of the opposition leaders also if so the names thereof and if not the reasons therefor ?

The Minister of State for Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral) : (a) Films have been produced in respect of the undermentioned (political) leaders. The expenditure incurred has been indicated against each :

Name of Leader	Film produced	Cost of Production
1	2	3
1. Lokmanya Tilak	Lokmanya Tilak	73,962.00
2. Mahatma Gandhi	Mahatama	174,408.00
	The Last Journey	8,263.00
	His Memory We Cherish	1,064.00
3. Lala Lajpat Rai	Lala Lajpat Rai	58,100.00
4. Jawahar Lal Nehru	Thoughts in the Museum	65,000.00
	Our Prime Minister	25,392.00
	The Last Chapter	30,365.00
	Prime Minister	
	Nehru Passes Away	3,880.00
	End of An Epoch	8,590.00
	The Great Confluence	22,490.00
	And So To Sleep	27,950.00
5. Dr. Radhakrishnan	Sarvapalli Radhakrishnan President of India	147,534.30
6. Dr. Zakir Hussain	Dr. Zakir Hussain A Life of Dedication	13,700.00
	Dr. Zakir Hussain at Rest.	37,665.00
7. Indira Gandhi	Indira Gandhi Prime Minister of India.	21,279.00

	1	3	2
8.	Lal Bahadur Shastri	Homage to a Patriot	19,331.00
		A Man of Peace	60,595.00
		A Triumph and Tragedy at Tashkent	17,519.00
		Journey to Holy Sangam	18,662.00
9.	Annadurai	Anna A Tribute	31,915.00
		Anna is No More	9,045.00

(b) and (c). A film on Sardar Patel is on an advanced stage of production and is likely to be completed shortly. Films on Lal Bahadur Shastri have already been produced.

(d) No Sir, because no proposal to this effect has been received so far.

दिल्ली दुग्ध योजना का अग्रेतर विकास

1732. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस समय दिल्ली में कुल कितना दूध वितरित किया जाता है ;

(ख) इसकी कुल मांग कितनी है ;

(ग) मांग को पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना का अग्रेतर विकास करने की भावी योजनायें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 2,65,000 लिटर दूध वितरण कर रही है।

(ख) विशेषज्ञ दल के अनुसार, जो दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकलापों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1964 में नियुक्त की थी, नगर को प्रतिदिन लगभग 5,00,000 लिटर दूध की आवश्यकता है। तब से शहर की दूध की मांग और भी बढ़ चुकी है और एक मोटे अनुमान के अनुसार नगर को प्रतिदिन लगभग 6,00,000 लिटर दूध की आवश्यकता है।

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) दिल्ली दुग्ध योजना को दूध सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के साथ पक्के करार तय किये गए हैं। यदि वे वर्ष भर स्वीकृत दूध की मात्रा सम्भरण न करें तो उन्हें 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर दंड देना पड़ता है।

(2) ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको दी जाने वाली कमीशन की दर बढ़ा दी गई है।

(3) दिल्ली दुग्ध योजना का उपलब्धि क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में करनाल से लगभग 20 मील की दूरी पर एक नया उपलब्धि क्षेत्र शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला मुज्जफरनगर और राजस्थान में अलवर तथा भरत पुर जिलों के क्षेत्रों से भी दूध इकट्ठा किया जा रहा है।

(4) दिल्ली दुग्ध योजना के क्षेत्र के लिए, जिला सेरठ (यू० पी०) गुड़गांव और करनाल (हरियाणा) तथा बीकानेर (राजस्थान) में चार सघन पशु विकास कार्यक्रम मंजूर किये गये हैं।

(5) करनाल में सघन पशु विकास कार्यक्रम की सहकारी समितियों का संगठन-कार्य, सघन आधार पर शुरू कर दिया गया है। इन समितियों के उत्पादक सदस्यों को दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं।

(6) हरियाणा के रोहतक जिले के लिये एक पशु विकास योजना तैयार का गई है जो कि दिल्ली दुग्ध योजना के पास उपलब्ध विश्व खाद्य कार्यक्रम की नीधि से पूरी की जायेगी।

(7) मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन, मेहसाना (गुजरात) से दूध खरीदने का प्रबन्ध किया गया है। पिछले दिसम्बर से मेहसाना यूनियन से दूध का संभरण शुरू हो गया है और इस समय उनसे लगभग औसतन 5,000 लिटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है, इस मात्रा को बढ़ाकर 1,00,000 लिटर प्रतिदिन किया जा सकता है।

(8) दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय दुग्धशाला का इसकी अधिकतम क्षमता तक विस्तार किया जा रहा है। प्रथम चरण में केन्द्रीय दुग्धशाला की क्षमता प्रतिदिन 2,55,000 लिटर से बढ़ाकर 3,00,000 लिटर प्रतिदिन कर दी गई है।

(घ) 1. दिल्ली दुग्ध योजना की निकासी क्षमता को प्रतिदिन 4,35,000 लिटर दूध तक बढ़ाने के लिए एक परियोजना बनाई जा रही है।

2. राजस्थान में बीकानेर नामक स्थान पर एक वेलेंसिंग स्टेशन की स्थापना की जा रही है, जिसकी क्षमता प्रथम चरण में प्रतिदिन 50,000 लिटर दूध होगी।

3. योजना की प्रबन्ध समिति तथा शासी निकाय से दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूसरी दुग्धशाला खोलने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

4. दिल्ली दुग्ध योजना, भारत के चार मुख्य शहरों में दुग्ध विकास के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत लाई जायेगी।

Acquisition of Agricultural Land for House Building in Bihar

1733. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar Government is acquiring 259.01 acres of land

belonging to farmers of Saguna-Nayatola ; Danapur in Patna District of Bihar for giving it to the so-called Co-operative Society for house building ;

(b) if so, whether it is a fact that the District Agriculture Officer has, in his letter No. 166, dated the 22nd January, 1968 made it clear that this land is best for cultivation and there are adequate arrangements for irrigation for this land ;

(c) if so, the propriety of acquiring this land against Government policy ;

(d) whether it is also a fact that the farmers of the said village have sent a memorandum to him, Bihar Governor, Commissioner of Patna Division and other officials in protest ; and

(e) whether it is also a fact that the Member of Parliament representing Patna constituency had written to him and other officials concerned in protest against such acquisition ; and if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e). The Government of Bihar has reported that a proposal for acquisition of 259.01 acres of land for the Dinapur House Building Society was submitted to the Government. This was examined and an enquiry was instituted under the Land Acquisition Act, which revealed that the land proposed to be acquired was good and fertile agricultural land and enjoyed the benefit of irrigation facilities, and that about 158 persons would be rendered homeless by the proposed acquisition. The objections raised by the Raiyats were considered by the Collector and also at higher levels in the State Government including representation received from a Member of Parliament. The matter was placed before the Bihar Land Acquisition Committee, constituted under Rule 3 of the Land Acquisition (Companies) Rules 1963, The said Committee considered proposal at its meeting held on 8-11-1968 in the light of the reports of the local officers and declined to approve the acquisition of the said land for the Society. Accordingly, the proposal is being rejected by the Government of Bihar.

Application of Employees Provident Fund Scheme to Beedi Industry Labourers

1734. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of labourers working in the beedi industry of the country ;

(b) the number of beedi industries where twenty or more labourers are working ;

(c) whether it is a fact that in view of the social security of labourers working in the beedi industries, Government have not implemented Employees' Provident Fund Scheme so far ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether it is also a fact that Government are considering a proposal to make applicable this scheme to the Beedi workers also and if so, the time by which a decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). According to available information, the estimated average daily employment in working beedi factories was 63,000 and the number of such factories was 1,253 during the year 1967.

(c) to (e). The Employees' Provident Funds Act, 1952 has not been extended to the Beedi Industry so far. The Employees' Provident Fund Organisation is now conducting a survey of the industry so as to assess the feasibility of extending the Act to this industry.

बिहार सर्किल में 'गारन्टी' और 'गैर-गारन्टी' के आधार पर डाक घर

1735. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में बिहार सर्किल में 'गारंटी' और "गैर गारंटी" के आधार पर कितने डाकघर खोले गये हैं ।

(ख) उन डाकघरों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि में प्रत्येक ने कितना वास्तविक राजस्व अर्जित किया ;

(ग) 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में बिहार सर्किल में 'गारंटी' तथा "गैर गारंटी" वाले डाकघरों को कितनी हानि हुई ; और

(घ) इन डाकघरों के कार्य में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ऐसे डाकघरों का उल्लेख कर रहे हैं जो वापिस न किए जाने वाले अंशदान की वसूली करने पर खोले जाते हैं । सूचना इकट्ठी की जा रही है और विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बिहार सर्किल में ट्रंक लाइनों में रुकावटें

1736. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में 1 सितम्बर, 1967 से 31 अगस्त, 1968 तक की अवधि में ट्रंक टेलीफोन लाइनों में कितनी रुकावटें पड़ी और रुकावटों की अवधि कितनी थी ;

(ख) 1 सितम्बर, 1968 से 31 अगस्त, 1969 तक की अवधि में (1) ट्रंक लाइनों और (2) अन्य तार तथा टैलीफोन लाइनों में कितनी रुकावटें पड़ीं ; और

(ग) रुकावटों के क्या कारण थे और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) संख्या— 4018

अवधि— 56733 घंटे

(ख) (i) 6618

(ii) 6725

(ग) रुकावटों के मुख्य कारण तांबे के तार की चोरी और प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि बाढ़, तूफान, आदि है । तांबे की तार की चोरी के कारण होने वाले नुकसान जो कि आम तौर

पर रात के शुरू में होते हैं, अगले दिन दोपहर तक ठीक कर दिये जाते हैं। चोरी की वारदातें कम हों इसके निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(i) विभागीय अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क बनाये रखें।

(ii) राज्य के मुख्य मन्त्री को लिखा गया है कि तांबे के तार की चोरी रोकने के लिए पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को हिदायत दें।

(iii) टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अपराधियों को और भी कड़ा दंड दिया जा सके।

(iv) जहां कहीं संभव है तांबे के तार के स्थान पर तांबे से झला इस्पात का तार या ए० सी० एस० आर० तार लगाया जा रहा है।

बिहार सर्किल में तांबे के तारों की चोरी

1737. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार सर्किल में 1 सितम्बर, 1967 से 31 अगस्त, 1969 तक की अवधि में तांबे की तारों की चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं और उससे कितनी राशि की हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : संख्या 788 7

चुराये गये तांबे के तार का क्रय मूल्य 51.25 लाख रुपये (लगभग)

Selection of Producers for 'Yuva Vani' Programmes of A. I. R., Delhi

1738. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that applications have been invited for the post of English Producer for 'Yuva Vani' Programmes at Delhi Station of A. I. R. ;

(b) whether it is a fact that a lady has been working as Casual Producer on the said post for the last three months ;

(c) whether Government propose to appoint the same lady on the said post ; if so, the reasons for inviting the applications ;

(d) whether Government have also invited applications for the post of Hindi Producer for Hindi Programmes of 'Yuva Vani', if not, the reasons therefor ; and

(e) the reasons for such discrimination against Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) It is not possible to say who will be appointed as Producer, as Government have not yet received and considered the Report of the Selection Committee set up for this purpose.

(d) and (e). No, Sir. A Producer for Hindi programmes has been appointed on transfer from another office of All India Radio. The question of discrimination against Hindi does not, therefore, arise.

कारखानों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

1739. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा उपायों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के विचार में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कारखानों में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) आयोग की सिफारिशों पर संबंधित पक्षों के परामर्श से विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी के बारे में निर्णय

1740. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **श्रम, तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी नियत करने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया गया है : और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के लिए क्या न्यूनतम मजूरी नियत की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ इस समय चल रहे विचार विमर्शों के पूर्ण होने पर सरकारी निर्णय लिया जायेगा।

(ख) जब कभी ऐसा मजूरी निर्धारण संशोधन होता है तब अनुसूचित रोजगारों के लिए चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में सांविधिक न्यूनतम मजूरी दरें सरकारी राज-पत्र में अधिसूचित की जाती हैं।

उड़ीसा के बारगढ़ में सहकारी चीनी मिल

1741. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारगढ़, उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल स्थापित करने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) मिल में किस तिथि तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बारगढ़, उड़ीसा की सहकारी चीनी कारखाने को 130 लाख रुपये का अनाक पूंजीगत ऋण मंजूर किया जा चुका है। समिति द्वारा संयंत्र तथा मशीनों के आर्डरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) सामान्यतः कारखाना स्थापित करने के लिए कम से कम दो वर्ष चाहिए होते हैं; इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता है कि सरकारी चीनी कारखाना किस तारीख से उत्पादन करना आरम्भ कर देगा।

Import of Soyabean Seeds from U. S. A.

1742. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of soyabean seeds received from U. S. A. for soyabean cultivation during this year (Kharif season) ;

(b) the quantity thereof supplied to each State and the demand made therefor by each State ; and

(c) whether it is a fact that although the seeds had been received yet these were not distributed amongst the farmers ; if so, whether Government would ascertain the reasons therefor and take appropriate action in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No import of Soyabean seeds was made this year.

(b) and (c). Does not arise.

Loans to Farmers by Co-operative Societies

1743. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a peasant, having less than 5 acres of land, has been deprived of the loan facility in accordance with the policy regarding loans to farmers by Co-operative Societies ;

(b) whether it is also a fact that the number of such peasants as are having less than 5 acres of land is largest in the country ; and

(c) if so, whether Government propose to amend the rules regarding the loans and make necessary provision of losses to the peasants falling under this category ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D. Ering) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The crop loan system has been introduced for making all cultivators irrespective of the size of their holdings eligible for getting short term loans according to requirements for growing different crops as per prescribed per acre scales of finance. The effective implementation of this system is being constantly pursued with the State Governments.

मन्त्री द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ इंटरव्यू

1744. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 और 1969 में संचार विभाग में कितने असिस्टैंटों/अपर डिवीजन क्लर्कों ने उनके साथ इंटरव्यू माँगा और कितनों को इसकी अनुमति नहीं दी गई ;

(ख) इंटरव्यू मांगने के क्या कारण थे और उन्हें उनसे मिलने और उनके समक्ष अपनी शिकायतें रखने का अवसर न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) उनके विभाग में कितने अपर डिवीजन क्लर्कों का अधिक्रमण करके उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को असिस्टैंट के पदों पर पदोन्नत किया गया और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे दायर किये हैं और यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). एक ; क्योंकि उक्त पदाधिकारी के अभ्यावेदन में प्रस्तुत किये गये मुद्दों पर, पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान पहले ही अनेक अवसरों पर मंत्री स्तर पर जांच हो चुकी थी तथा उक्त पदाधिकारी ने सरकार के विरुद्ध वाद चलाने की सूचना भी दी थी, अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि उसे भेंट का अवसर प्रदान किया जाय। बाद में उसने सरकार के विरुद्ध वाद फाइल कर दिया तथा अब यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) तीन/दो को उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासिक मामलों के कारण तथा एक के पदोन्नति के उपयुक्त न पाये जाने के कारण।

Availability of Government Tractors to Small Farmers

1745. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to make available Government tractors for use in each block to small farmers on hire basis ; and

(b) if not, the steps proposed to be taken by the Government to see that small farmers are in a position to make intensive cultivation in their lands, particularly in backward areas like North Bihar, Orissa, Eastern U.P. etc. ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir, A scheme for establishment of 30 major agricultural machinery hiring centres with a large number of Sub-centres for the benefit of small farmers has been included in the Fourth Five Year Plan. According to the model scheme drawn up, each centre would be divided into 2 operational units and each operational unit will be divided into 4 field units with each unit having 6 to 7 tractors stationed at the site, The actual number of tractors, implements and other machines that may be selected for each centre would depend upon their need and usefulness under local conditions and would be determined by the Agro-Industries Corporations, where these have been established or by the State Governments concerned directly which will implement the scheme.

The Conference of the Chairman and Managing Directors of State Agro-Industries Corporation held in July, 1969, has also emphasised the need for setting up of sufficient number of centres for hiring out tractors and other agricultural machinery by the Agro-Industries Corporations as early as possible. The Conference also recommended that mobile work-shops may also be introduced for undertaking repairs and after-sale service of tractors and agricultural machinery so that the small farmers need not have to run to urban centres for these facilities. It has also been suggested that co-operatives and other private organisations could also be assisted to introduce customs centres at points, which are not covered by State Governments or Agro-Industries Corporations.

Under the "Small Farmers' Scheme", it is also proposed to set up an agency, which would provide essential service, such as digging of wells, land levelling and hiring of tractors and other machine, for which the agency itself would be equipped with tractors, drilling rigs, etc. It is proposed to introduce this scheme in 21 selected Districts.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय डाकतार कर्मचारी संघ की पुन: मान्यता

1746. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डाक तार कर्मचारी संघ को पुन: मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). यह निर्णय लिया गया है कि डाक तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ को इस आधार पर नये सिरे से और अन्तरिम मान्यता दे दी जाए जो एकमात्र उन्हीं के लिए न हो। डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ को यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन अभी भी उन्होंने ऐसी मान्यता प्रदान करने के लिये आवेदन नहीं किया है।

(ग) तथा (घ). जी नहीं। सरकार अपने कर्मचारियों की सही शिकायतें दूर करने के लिए वार्तालाप का रास्ता खोलने की दृष्टि से अन्य प्रतिनिधि संघों को मान्यता देने के लिए पहले ही कदम उठा चुकी है।

भविष्य निधि सेवाओं में सुधार

1747. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि सेवाओं में सुधार करने के कोई उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भविष्य निधि कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो बढ़े हुए कार्य के निवटारे के लिये पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यान्वयन कर रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टाफ सम्बन्धी स्थिति पर पुनर्विचार किया जायगा।

Payment of Wages to Workers in Collieries

1748. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri P. Ramamurti :
Shri Bhagban Das :
Shri Mohammad Ismail :
Shri Ganesh Ghosh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that colliery workers are not getting wages in accordance with the Wage Board recommendations even now ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to ensure implementation of the Wage Board recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to the available information the Wage Boards' recommendations have been implemented in respect of 1,47,622 colliery workers. In addition, 2,44,294 workers have been given the benefits of the Board's recommendations partially. This leaves 31,157 workers who have not been given the benefit.

(b) Efforts continue to be made to secure implementation through persuasion and such other administrative action as is open in the circumstances.

Telephone Bills of Central Minister

*1749. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the amount of telephone bills of the Central Ministers during the period from July, 1969 to the 16th August, 1969 and the amount of expenditure incurred on all the Ministers separately ; and

(b) the amount of expenditure incurred during the aforesaid period last year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha in due course.

Land Problem of Bihar

1750. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Food and Agricultural** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make any law to solve the land problem of Bihar State ;

(b) if so, the outlines there of ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The land problems of Bihar State are being examined with a view to formulating proposals for effective implemntation of the existing land laws and for further legislative measures, if necessary.

Compilation of Speeches of Indian Leaders

1751. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Publications Division propose to publish a compilation of important speeches of some eminent Indian leaders delivered by them before and after the Independence ;

(b) if so, whether any out-line of the programme has been prepared in this regard ; and

(c) the time by which it would be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting are already bringing out compilations of speeches of the President and the Prime Minister. The speeches delivered by Sardar Vallabhbhai Patel, as Deputy Prime Minister and Maulana Abul Kalam Azad, as Minister of Education, have also been published in book form. A volume containing selected speeches of Netaji Subash Chandra Bose has also been published.

The Division is bringing out in a series of volumes in speeches, writings and letters of Mahatma Gandhi. A special unit has been set up for the purpose.

(b) and (c). Speeches of the President and the Prime Minister are compiled and published on a regular basis and the speeches of other national leaders are brought out as and when considered appropriate.

Revision of Labour Code on the Basis of Report of the National Commission on Labour

1752. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether some new provisions are likely to be included in the Labour Code on the basis of the report of the National Commission on Labour ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The implementation of some recommendations of the National Commission on Labour, if accepted, may involve amendments to some of the existing labour laws or enactment of new ones. The Commission has, however, not favoured the formulation of a common labour Code.

चीनी के निर्यात में कमी

1753. **श्री एम० शिवप्पा** . क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में चीनी का निर्यात काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चीनी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। चीनी का निर्यात 1966 के 4.41 लाख मीटरी टन से घटाकर 1967 में 2.17 लाख मीटरी टन और 1968 में 0.99 लाख मीटरी टन कर दिया गया था क्योंकि 1966-67 और 1967-68 के मौसम में चीनी का उत्पादन गिर गया था। 1969 में भी 0 94 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात की गई है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य बहुत ही कम समझे गए थे।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

खाद्य सहायता अभिसमय

1754. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967 के अन्तर्गत खाद्य सहायता अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) खाद्य सहायता कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता केवल वही देश हो सकते हैं जोकि विकासशील देशों के लाभ के लिए खाद्य सहायता देने की स्थिति में होते हैं। क्योंकि भारत खाद्य सहायता देने की स्थिति में नहीं है इसलिए सरकार का इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई

1755. **श्री एन० शिवप्पा :** खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 तथा 1969 में केन्द्रीय पूल से दो विभिन्न राज्यों को दिए गए खाद्यान्न का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1969 के दौरान विभिन्न राज्यों को दिए गए खाद्यान्न की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय पूल से कुल सप्लाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। [**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 2136/69]

चावल का निर्यात

1756. श्री एन० शिवप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के दौरान भारत से अन्य देशों को कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया है ;

(ख) किन-किन देशों को चावल का निर्यात किया गया ; और

(ग) इस निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पहली जनवरी, 1969 से 51 अक्तूबर, 1969 तक भारत से विदेशों को 10358 मीटरी टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था ।

(ख) जिन देशों को यह आयात किया गया था वे ब्रिटेन, कनाडा, कुवैत, मसकत, साऊदी अरब, सीसैल्स, उगांडा, लेबनान, अदन, बहरीन, मौरिशस, सिंगापुर, फिजी और इथोपिया हैं ।

(ग) उपर्युक्त निर्यात के परिणाम स्वरूप अर्जित विदेशी मुद्रा 213.78 लाख रुपये है ।

किसानों द्वारा हाई स्पीड डीजल मिट्टी के तेल के अधिक मूल्य और कमी पर विरोध

1758. श्री अब्दुल गनी दार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए मूल्य और इनकी कमी के बारे में विरोध करते आ रहे हैं ; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय से दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए इन मूल्यों को रोकने और इन वस्तुओं की सप्लाई की उचित व्यवस्था के लिए कहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). हाई स्पीड डीज़ल और मिट्टी के तेल के अधिक मूल्यों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । परन्तु इस वर्ष के आरम्भ में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कमी के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । इस मामले में पैट्रोलियम रसायन तथा खान और धातु मन्त्रालय (पैट्रोलियम विभाग) से तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया गया । लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धि के बारे में कुछ अस्थाई कठिनाइयां भी थीं । जनवरी 1969 में बर्मा शैल तथा एस्सो रिफाइनरीज आपातिक स्थिति में बन्द हो गयी थी । इस कमी को दूर करने के लिए कोचीन से 1,000 मीटरी टन लाइट डीजल आयल सम्भरण किया था । रिफाइनरियों में सामान्य उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है । इन क्षेत्रों में कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी का तेल भी पहुंचाया गया है । उसके पश्चात कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

गैर-सरकारी उपक्रमों में विवाद

1759. श्री अब्दुल गनी दार : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रम विवाद प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को बड़ी हानि हो रही है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने विवाद हुए ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की संख्या में पिछले तीन वर्षों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार के विवादों की संख्या 1969 के दौरान 2211, 1967 के दौरान 2,374 और 1948 के दौरान 2390 (कच्ची) थी।

श्रमिकों को क्वार्टरों का आवंटन

1760. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को क्वार्टर तथा अन्य सुविधाएं दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आवास योजनायें हैं और इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्यमों में बस्तियों का निर्माण किया गया है, जहां अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ नियोजकों ने भी श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था की है। इस संबंध में सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिसके अधीन नियोजक अपने श्रमिकों के लिए मकान बनाते हैं। जहां तक बागान श्रमिकों का प्रश्न है, नियोजकों पर अपने श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था, करने का सांविधिक दायित्व है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में श्रमिकों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था का पुनरीक्षण किया है, इस रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल सरकार की मछली पकड़ने की प्रयोगात्मक योजना

1761. **श्री आ० ना० मुल्ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तटीय पीछे के पानी में मछली पकड़ने की कोई अन्य प्रयोगात्मक योजना चलाने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) राज्य से तटीय तथा पानी के क्षेत्रों में मत्स्य-पालन के लिये किसी मार्गदर्शी योजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। राज्य की चौथी योजना के निरूपण में

मछली की उचित किस्मों के खारा पानी संवर्धन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से रुके हुये पानी के अन्वेषण की व्यवस्था की गई है । चालू किये जाने वाले कार्यक्रमों के ब्यौरे केरल सरकार द्वारा तैयार किये जायेंगे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2137/69]

Broadcast of News Tending to Create Tension in Ahmedabad

1762. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that during riots in Ahmedabad the A.I.R. Station there had made a broadcast to the effect that poisoned milk had been sold in the city ;

(b) whether this news was contradicted by A.I.R. later on ; and

(c) if so, the action taken against the person responsible for increasing tension and communalism in the city by broadcasting such news ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). In the afternoon of 22nd September, 1969, A.I.R. Ahmedabad, made an announcement, at the instance of the Director of Information, Government of Gujarat, about a complaint lodged with the Police regarding suspected mixing of poisonous substance in milk supplied by municipal dairy and advising people not to use the milk till further announcement was made after the result of investigation was known.

Later in the evening, on receipt of information about the result of laboratory test, AIR Ahmedabad announced that the laboratory test had shown that there was no basis for the complaint and there was no poisonous substance mixed with the milk.

(c) Does not arise.

The announcement served as a timely advice to the people and the manner in which they were made did not increase tension and communalism in the city. On the other hand, this put a stop to further spread of rumour and consequent panic.

Use of Hindi in Offices Under Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation

1763. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of offices under his Ministry including the autonomous bodies in the Hindi speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by the which the same would be done in the remaining offices ;

(c) the time by which it is proposed to start entire correspondence with these offices in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one Translator in each of the offices under his ministry including the autonomous bodies in the aforesaid places so that the work could be started in Hindi ; and

(e) if so, the time by which it would be done, if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (e). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Extent of use of Hindi in Offices Under Ministry of Information and Broadcasting

1764. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state ;

(a) the number of offices under his Ministry including the autonomous bodies in the Hindi-Speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which the same would be done in the remaining offices ;

(c) the time by which it is proposed to start entire correspondence with these offices in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one Translator in each of the offices under his Ministry including the autonomous bodies in the aforesaid places so that the work could be started in Hindi ; and

(e) if so, the time by which it would be done ; if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT–2138/69]

(b) The Official Languages Act, 1963, as amended, provides for the use of both Hindi and English for various official purposes and the officials are free to use either language for noting and drafting. Therefore, the question of carrying out the entire work in Hindi alone in any office does not arise.

(c) It is not possible at this stage to indicate precisely as to by when the entire correspondence which these offices will be carried on in Hindi. Efforts are, however, being made to use Hindi in correspondence with the Hindi speaking States and Punjab, Gujrat and Maharashtra, to as large an extent as possible.

(d) and (e). The Hindi work is generally to be disposed of with the help of the Hindi knowing staff. The question of appointing special staff for this purpose is considered according to the requirements of different offices.

Use of Hindi in Offices under Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation Including Autonomous Bodies

1765. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number and names of places of offices under his Ministry including the autonomous bodies, in the Hindi speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start and carry on the entire work in Hindi in the remaining offices ;

(c) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one Translator in each of the offices as in part (a) above so that the work could be started in Hindi ; and

(d) if so, the time by which it would be done and if not, the manner in which the Hindi work is likely to be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d). The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Use of Hindi in Posts and Telegraphs Offices in Hindi-speaking States and in Punjab, Gujarat and Maharashtra

1766. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number and names of offices under his Ministry including the automomous bodies in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated :

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start and carry on the entire work in Hindi in the remaining offices ;

(c) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one translator in each of the offices as in part (a) above so that the work could be started in Hindi ; and

(d) if so, the time by which it would be done ; if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Minister of State in the ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कोयला खानों के कार्य के आधार पर और समय के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों को उपस्थिति बोनस

1767. **श्री सत्यनारायण सिंह : श्री बी० कु० मोडक :**
श्री उमा नाथ : श्री मुहम्मद इस्माल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में कार्य के आधार पर और समय के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों को उपस्थिति बोनस देने के लिए उनके द्वारा कम से कम कितने-कितने कार्य दिवस तक कार्य करना आवश्यक है ;

(ख) इस अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार कम से कम दिनों की संख्या की अपेक्षित शर्त में समानता लाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अस्थायी श्रमिकों को भी उपस्थिति बोनस दिया जाता है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2139/69]

(ख) चूंकि खनिकों और उजरती दर पर काम करने वाले श्रमिकों का काम श्रम-साध्य माना जाता है, इसलिए अर्हक उपस्थिति समयावधि अन्य वर्गों की अपेक्षा कम है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

(घ) जी हां, बशर्ते कि वे न्यूनतम उपस्थिति की शर्त पूरा करते हों ।

कोयला खानों में बोनस अधिनियम की क्रियान्विति

1769. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री राम मूर्ति : **श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में बोनस अधिनियम को उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक कोयला खान ने कितने प्रतिशत बोनस का भुगतान किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कुल मिलाकर क्रियान्विति की स्थिति संतोषजनक है । जब कभी निरीक्षण अधिकारी के ध्यान में क्रियान्वित न किए जाने का कोई मामला लाया जाता है या जब कभी विवाद खड़ा हो जाता है तब कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है ।

(ख) इस प्रकार की लगभग 750 कोयला खाने हैं जिनमें चार लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं । विभिन्न कोयला खानों द्वारा प्रतिवर्ष अदा किए गए बोनस के सम्बन्ध में सरकार सूचना संकलित नहीं करती ।

वर्ष 196 का अनाज के उत्पादन का लक्ष्य

1769. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अनाज का उत्पादन 10 करोड़ मीटरी टन के लक्ष्य से अधिक होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अनुमानतः अनाज का कितना उत्पादन होने की आशा है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनाज के आयात में कितनी कमी हो जाने की आशा है ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के परिणामस्वरूप कमी वाले राज्यों को अनाज का कितना अतिरिक्त कोटा देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख). 1969-70 में खाद्यान्नों का उत्पादन क्या होगा, उसके संबंध में कोई अनुमान लगाने का समय अभी नहीं है । आशा की जाती है कि ये अनुमान चालू कृषि कार्य की समाप्ति पर ही अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1970 तक उपलब्ध हो सकेंगे ।

(ग) इस समय आयात करना केवल सरकारी विवरण की वर्तमान आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् उपयुक्त रक्षित भंडार तैयार करने के लिए भी जरूरी है। 1970 में कितना आयात किया जाएगा, उसके संबंध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, अतः अभी तक यह कहना सम्भव नहीं है कि 1970 में 1969 से कम आयात होगा और यदि हां, तो किस हद तक।

(घ) केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध स्टाक और विभिन्न राज्यों के सरकारी वितरण की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय स्टाक से राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन माहवार किया जाता रहेगा। अभी यह बतलाना सम्भव नहीं है कि 1970 के कोटे 1969 का अपेक्षा अधिक होंगे और यदि हां, तो किस हद तक।

संसद सदस्यों को टेलीविजन सेटों की सप्लाई

1770. **श्री वि० प्र० मंडल**: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष संसद् सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें संसद सदस्यों को किराया खरीद के आधार पर टेलीविजन सेट देने का एक प्रस्ताव किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अब भी विद्यमान है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव अभी भी है परन्तु सेटों की उपलब्धि न होने के कारण सेटों का किराया खरीद आधार पर देना सम्भव नहीं हुआ है। सीमित संख्या में जो सेट उपलब्ध थे, उन्हें उन संसद सदस्यों को देने का प्रस्ताव किया गया है जो सीधे ही खरीदना चाहते थे।

Demands of Secretaries of Panchayats of U. P.

1771. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** to pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Secretaries of the Panchayats in Uttar Pradesh have submitted to the Prime Minister a memorandum detailing their demands ;

(b) whether it is also a fact that the said Secretaries have also started civil disobedience movement for some time past in support of their demands i

(c) if so, the details of their demands ; and

(d) the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) and (d). A memorandum for improving the service conditions of the Secretaries of Panchayats in Uttar Pradesh was presented to the Prime Minister by some representatives of the "Uttar Pradesh Panchayat Mantri Sangha" on the 3rd November, 1969. The Memorandum has been forwarded to the Government of Uttar Pradesh for appropriate action.

(b) and (c). Information has been called for from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House on receipt.

Underweight of Tins of Ghee of Delhi Milk Scheme

1772. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tins of ghee of Delhi Milk Scheme have been found to be underweight ;

(b) whether it is also a fact that four kilo tins have been found to be lesser in weight by 80 grams to 118 grams ;

(c) whether it is also a fact that about 150 tins in the sale depot were found to be underweight ;

(d) if so, whether it is also a fact that this is being done deliberately to save ghee ; and

(e) if so, the action taken by Government in this connection and the quantity of ghee saved in this manner so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). Reports to this effect have appeared in the Press. The matter is under investigation in consultation with the local authorities of Delhi Administration.

(d) No, Sir.

(e) Steps have been taken to ensure appropriate quantity of ghee in each tin. The question of any ghee being saved by deliberate under-weightment does not arise.

Horticulture Assistants and Agricultural Extension Officers Under Delhi Administration

1773. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Horticulture Assistants and the Agriculture Extension Officers working in the Department of Agriculture under the Delhi Administration are not transferred to other departments while the people of one department are sent to other department ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid employees being agriculture graduates can not be appointed to the post of Marketing Inspectors etc. while persons of other departments are appointed on these posts ;

(c) if so, whether Government made any suggestion to Delhi Administration to place the aforesaid posts in the executive cadre ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Horticulture Assistants, Agriculture Extension Officers and other employees working on the agricultural side of the Delhi Administration, under the Development Department (and not under the Department of Agriculture) have their own avenues of transfer and promotion in that Department and are, therefore, not transferred to other Departments.

It is the personnel of the Subordinate Services Cadre (Clerical and Executive) only of the Delhi Administration organised in February, 1967, who are transferred from one Department to another, in the interest of work. The posts of Horticulture Assistant, Agriculture Extension Officer etc., are not included in the aforesaid Subordinate Services Cadre.

(b) Employees of the two categories have their own separate avenues of transfer and

promotion. Persons on the Agriculture side, like Horticulture Assistant, Agriculture Extension Officer etc., are not transferred to the executive cadre posts of Sales. Tax Inspector, Marketing Inspector etc. Similarly, the persons of the Executive Services cadre are also not transferred to the posts under the Development Department of the Administration.

(c) and (d). No. The Delhi Administration who are to be competent authority had themselves considered this aspect and finally decided to keep the posts on the agriculture side outside the Subordinate Executive Cadre, so that their agricultural programme might go on smoothly and persons, without agricultural qualifications, might not be able to come in and affect its working adversely.

Land to Agricultural Graduates

1774. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been prepared by the Central and the State Governments to provide land to Agricultural Graduates and Agricultural technicians at reserved price to remove the increasing unemployment among them ;

(b) if so, the names of the States in which the said scheme has been enforced ; and

(c) the amount of the Central Government's financial assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The State Governments make allotment of lands at their disposal according to a prescribed procedure laid down for the purpose ; the Government of India normally does not come into the picture. According to information available with the Ministry, only the State of Madhya Pradesh has a scheme for allotment of land to agricultural graduates. The State Government scheme envisages loans and subsidies for facilitating the settlement of such persons on lands. There is no financial participation by the Government of India. All State Governments, however, have been requested to consider such a scheme in the light of local conditions. The Government of India have also suggested that, wherever such a scheme be taken up, the following points may be kept in view :

(i) The allotment per individual should not be large because that will soon exhaust availability of land and whould also not promote the utilisation of skills acquired by agricultural graduates.

(ii) It is desirable that the land to be allotted should be reclaimed before hand and irrigation provided.

(iii) Arrangements should be made for the flow of bank credit and supply of technical guidance in the initial stages.

(iv) Efforts should be made to enable the allottees to earn off-farm income through the sale of their skills and services such as through the dealership of fertilisers and pesticides etc.

Production of Priyadarshini Telephone Apparatus by Indian Telephone Industries Limited

1775. **Shri Manibhai J. Patel** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the production of sophisticated telephone instrument called 'Priya Darshini' has been stopped by the Indian Telephone Industries ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is under the consideration of Indian Telephone Industries Limited to have another attractive variety of telephone instrument on their production plan and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Development work in respect of certain new types of telephone instruments such as Desk Telephone Type 671, Wall Telephone Type 672, Panel Telephone Type 673 and Table Telephone Type 681 has been completed and the production thereof in small quantities is being taken up.

भारतीय टेलीफोन उद्योग, नैनी, इलाहाबाद के दूसरे एकक में उत्पादन

1776. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान पर स्थित राज्य अधिकृत भारतीय टेलीफोन उद्योग के दूसरे एकक में उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ;

(ख) उसकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) वहां तैयार किये जाने वाले इंस्ट्रूमेंटों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) आशा है कि नैनी स्थित कारखाना अप्रैल, 1971 के लगभग उत्पादन आरम्भ कर देगा ।

(ख) इसका पुनरीक्षित प्राक्कलित पूंजीगत व्यय 2 करोड़ 58 लाख 60 हजार रुपये होगा ।

(ग) यह कारखाना आरम्भ में निम्नलिखित उपस्कर का उत्पादन करेगा :—

( ) 12 चैनल वाले चैनलिंग ग्रुप टर्मिनल्स

(2) 12-चैनल वाले चैनलिंग बेज

(3) 8-चैनल वाले टर्मिनल बेज

(4) 8-चैनल वाले टर्मिनल्स ग्रुप्स

(5) ?-चैनल वाले कम्पोजिट टर्मिनल्स

(6) 960-चैनल वाले फ्रीक्वेंसी जेनरेटिंग बेज

(7) फ्रीक्वेंसी जेनरेटिंग प्लस चैनलिंग बेज

(8) सार्वजनिक काल घरों के लिए एक चैनल वाले अति-उच्च आवृत्ति (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी) उपस्कर

(9) स्पीच प्लस डुप्लेक्स

(10) रक्षा विभाग के लिए विशेषीकृत लाइन संचार (लाइन कम्यूनिकेशन) उपस्कर

मछलियों का निर्यात

1777. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछली उद्योग की निर्यात क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चालू किये गये कार्यक्रमों के फलस्वरूप भारत के तटीय पानी में मत्स्य उद्योग की निर्यात क्षमता को काफी सीमा तक उपयोग में लाया जा रहा है। मत्स्य पकड़ने के पोतों का यन्त्रीकरण करना एक मुख्य कार्यक्रम रहा है जिससे मत्स्य पकड़ने का क्षेत्र तथा उसकी क्षमता बढ़ी है। मछुओं को काफी उदार शर्तों पर नाव दी गई हैं जिसके फलस्वरूप पिछले 12 वर्षों के अन्तर्गत 7700 यन्त्रीकृत नावों को चालू करना संभव हुआ है। चौथी योजना के अन्तर्गत 5500 अतिरिक्त नावों को चालू करने की संभावना है। भारत के लगभग सभी समुद्र तटीय राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में इन नावों के संचालन के के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। मुख्यत यन्त्रीकृत पोतों की सहायता से मछली पकड़ने का कार्य चालू होने के फलस्वरूप मछली तथा मछली से बने पदार्थों से भारत की निर्यात आय 1964-65 में 7.15 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1968-69 में लगभग 25.00 करोड़ रुपये हो गई।

तटीय क्षेत्र से बारह मत्स्य उद्योग के विस्तार की ओर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पहले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ाने के लिए काफी कठिनाइयां, जैसे कि संसाधनों के सम्बन्ध में आंकड़ों की कमी, उपयुक्त जलपोतों तथा इन जलपोतों के संचालन के लिये प्रशिक्षित कार्मिकों की अनुपलब्धि तथा बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं की कमी थी। देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग की स्थापना के लिए अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान, जलपोतों की सप्लाई, कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा बन्दरगाहों की व्यवस्था के लिए सम्मिलित प्रयत्न की आवश्यकता है। अनुसंधान की सब आवश्यकताओं तथा वाणिज्य ढंग पर मछली पकड़ने के लिए जलपोतों के आयात द्वारा उद्योग बढ़ाने से हमारे विदेशी विनिमय संसाधनों पर बड़ा भार पड़ता। गहरे समुद्र में मत्स्य पकड़ने उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, देशी जहाज निर्माण क्षमता को व्यवस्थित करके उद्योग के बढ़ाने में एक नया अध्याय शुरू किया गया है। जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संख्या मे जलपोतों के आयात की व्यवस्था की जा रही है। तथापि भारतीय जहाज - निर्माण यार्ड में अब 40 जलपोतों का निर्माण हो रहा है और आशा है चौथी योजना के अन्तर्गत चालू किये जाने वाले 300 जलपोत इंडियन शिपयार्ड से उपलब्ध होंगी। 4 जलपोत अनुसंधान बेड़े के लिए प्राप्त किये जा रहे हैं। समुद्रतट के आस-पास मुख्य बन्दरगाहों पर पूर्ण संचालन तथा मरम्मत की सुविधाओं वाली मत्स्य पकड़ने की बन्दरगाह बनाने के लिए चौथी योजना में केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत 13.5 करोड़ रुपये

निर्धारित किये गये हैं। पूर्व तट पर एक अतिरिक्त संस्था खोलने से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलपोतों के कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

विकास कार्यकलापों के सम्बन्ध में सम्मिलित कार्यवाही के फलस्वरूप तटीय क्षेत्र के बाहर मत्स्य उद्योग के पर्याप्त विस्तार से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ जाने की आशा है।

दूर संचार इंजीनियरी पर्यवेक्षक संघ की वेतनमानों के पुनरीक्षण की मांग

1778, **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार इंजीनियरी पर्यवेक्षक संघ ने यह मांग की है कि इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1947 में प्रथम वेतन आयोग ने इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के लिए रु० 100-8-140-10-300 के वेतनमान की सिफारिश की थी। इसे सरकार ने मान लिया था। फिर भी इंजीनियरी पर्यवक्षकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देकर 124 रुपये से उनका वेतन शुरू किया गया। 1957 में द्वितीय वेतन आयोग ने रु० 180-10-290-15-380 के उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की तथा उसे भी सरकार ने मान लिया। 1 जुलाई, 1959 से उसे लागू किया गया। भरती किये गये इंजीनियरी स्नातकों को छः अग्रिम वेतन वृद्धि देकर उनका उच्चतर प्रारंभिक वेतन शुरू होता है। इस समय वेतन-मान में संशोधन करने के लिए केवल इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के संदर्भ पर अकेले विचार नहीं किया जा सकता। सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य वेतनमान में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा अगले वेतन आयोग की नियुक्ति होने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

लेखकों को लेख लौटाना

1779. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी को भेजे गये लेख, भेजने वालो को नहीं लौटाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लेखकों पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ; और

(घ) गांधी शताब्दी में गांधी जी पर लिखी गई लेख के सम्बन्ध में इन प्रतिबन्धों में छूट दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). योंकि स्क्रिप्टों का प्रयोग प्रसारण के लिए किया जाता है। अतः उन्हें प्रसारण करने के लिए आमंत्रित किये जाने वालों या प्रसारणों के लिये स्क्रिप्टें तैयार करने वालों को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता। बिना आमंत्रित स्क्रिप्टें जो प्रसारण के उपयुक्त नहीं पाई जातीं 'निश्चित रूप से लौटा' दी जाती हैं।

(ग) कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, शालीनता के सामान्य सिद्धान्तों मानहानि आदि के कानूनों के उपबन्धों, तथा निर्धारित आकाशवाणी संहिता को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्टों की जांच की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो प्रबन्धकों का पद-नाम बदलना

1781. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री लखन लाल कपूर :
श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के वितरण डिपुओं के प्रबन्धकों का पद-नाम बदलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परिवर्तन से डिपो प्रबन्धकों की सेवा की शर्तें भी बदल जायेंगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा तथा सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में कोई नये नियम तथा विनियम बनाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। डिपो प्रबन्धकों को अब डिपो एजेन्ट कहा जाता है।

(ख) इस तबदीली के परिणामस्वरूप, डिपो कर्मचारी अब दिल्ली दुग्ध योजना के अंशकालिक कर्मचारी नहीं रहे हैं। एजेन्ट होने के नाते, उन्हें अब दिल्ली दुग्ध योजना के साथ एक करार करना पड़ता है। फिर भी उनकी कुल आय में कोई महत्वपूर्ण तबदीली नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

सामुदायिक विकास विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के सुझाव देने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति

1782. **श्री देवराज पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास तथा सहकार विभाग की सलाहकार

समिति की 26 सितम्बर, 1969 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया था कि केन्द्रीय सरकार को सामुदायिक विकास विभाग के कार्यकरण की जांच करने तथा उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) व (ख). जी नहीं। तथापि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभागों से सम्बन्धित सलाहकार समिति ने 26 सितम्बर, 1969 को हुई अपनी बैठक में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

चौथी योजना में डेरी विकास

1783. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में डेरी विकास की एक विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ;

(घ) डेरी विकास के लिए किन-किन राज्यों को अपनी योजनायें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और प्रत्येक राज्य में किन-किन क्षेत्रों में डेरी विकास योजना क्रियान्वित की जायेगी; और

(ङ) इन क्षेत्रों और राज्यों के चयन का अधिकार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). चौथी पंचवर्षीय योजना में डेरी क्षेत्र के लिये 45.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास चार सरकारी क्षेत्र की डेरियों में दुग्ध प्रक्रिया सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने के लिए और उन्नत नस्लों, चारे और दुधारू पशुओं का प्रबन्ध करके चारों महानगरों के ग्रामीण दुग्धशालाओं के क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तथा अधिप्राप्ति में वृद्धि के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से केन्द्रीय सरकार ने अनुमानतः 95.40 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना तैयार की है। ये ग्रामीण दुग्ध क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के 10 राज्यों और दिल्ली के संघ क्षेत्र में स्थित हैं। इस परियोजना की कार्यान्विति के फलस्वरूप इन शहरों के दुग्ध क्षेत्रों में दूध का देशी उत्पादन बढ़ाया जायेगा, ताकि आयातित सपरेटा दुग्ध चूर्ण समाप्त होने तक दूध के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाकर डेरियों से आपूर्ति का प्रबन्ध हो जाय। यह परियोजना उस लगभग एक लाख अधिक दूध देने वाले पशुओं (और उनके बछड़ों) को बचाने में सहायक सिद्ध होगी जो शहरों में लाये जाते हैं और शुष्क होते ही असमय में ही नष्ट कर दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से इन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन

लोगों को पशुपालन सम्बन्धी कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार वे दुग्ध-उत्पादन बढ़ा कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे ।

कृषि योग्य भूमि तथा वन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण

1784. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में देश में समस्त कृषि योग्य भूमि तथा वन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का अखिल भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण संगठन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सर्वेक्षण के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) कृषि विभाग के अधीन अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए उनके महत्वानुसार मृदा सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है । सघन कृषि विकास क्षेत्रों, प्रमुख सिंचाई कार्यों के कमाण्डों में और इन परियोजनाओं के जल एकत्रण क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के मृदा सर्वेक्षण को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है । इन श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र और कृष्य भूमियों को भी इन मृदा सर्वेक्षणों के अन्तर्गत लाया जाता है ।

(ख) अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन मुख्यत: प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के एकत्रण क्षेत्रों, पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों और विशेष समस्या क्षेत्रों के सर्वेक्षण में लगा है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत, पांच सघन कृषि विकास कार्यक्रम जिलों का सर्वेक्षण भी प्रारम्भ किया गया है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन मृदा सर्वेक्षण एकक भी मृदा सह सम्बन्ध स्थापित करने, मृद्रा वर्गीकरण और उनकी व्याख्या के लिए पर्यवेक्षी सर्वेक्षण कर रहा है । इसके अतिरिक्त, राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठन भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये आवश्यक मृद्रा सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे कमाण्ड क्षेत्रों का सिंचाई पूर्व सर्वेक्षण, बेकार भूमि और अन्य समस्या ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण ।

(ग) विशिष्ट प्राथमिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, राज्य और केन्द्र दोनों की ही एजेन्सियों द्वारा मृदा सर्वेक्षण किया जा रहा है और कृष्य एवं वन भूमि की उत्तरोत्तर इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है । ऐसी भूमियों के सर्वेक्षण पूर्ण होने को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता । फिर भी, राज्य और केन्द्रीय मृदा सर्वेक्षण संगठन को उपयुक्त रूप से सशक्त करने के उपरान्त देश की सम्पूर्ण कृष्य और वन भूमि के विस्तृत सर्वेक्षण को पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 वर्ष तक लग सकते हैं ।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई अंकमाला का संकलन

1785. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार औद्योगिक कर्मचारियों के परिवार जीवन-

निर्वाह सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर वर्ष 1969-70 को आधार वर्ष मानकर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई अंकमाला संकलित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न मजदूर संघों से विचार विमर्श किया गया है ; और

(घ) यह सूचकांक कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। मूल कार्यक्रम के अनुसार, सर्वेक्षण 1969-70 के दौरान किया जाना था लेकिन यह नहीं किया जा सका। अब सर्वेक्षण 1970-71 के दौरान करने का प्रस्ताव है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई सीरीज के लिए सर्वेक्षण की समयावधि आधार वर्ष के रूप में लेने का विचार है।

(ख) अप्रैल, 1968 में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के 25वें अधिवेशन की सिफारिशों के अनुसार देश के 60 महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में नया परिवार रहन-सहन सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है, केन्द्रों की संख्या विभिन्न राज्यों में प्रत्येक राज्य के कारखाना/खनन/बागान क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के अनुसार यथानुपात बांटी गई। सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य 60 केन्द्र विशेषों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई सीरीज के संकलन तथा औद्योगिक श्रमिकों के नये उपभोग पैटर्न के आधार पर औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए नये "वेटिंग डाग्राम" निकलाना है सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट छापने का विचार है।

(ग) जी हां।

(घ) 1973 तक।

Telephone and Telegraph Facilities in Purnea District, Bihar

1786. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communcations be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Koyadhaman, Didhalbank, Jonki and Vaisa Blocks of District Purnea, Bihar have to face much difficulty in the absence of means of communications there ;

(b) if so, the time by which Government would provide Telephone and Telegraph facilities in the said Blocks and connect them with one another ; and

(c) whether it is a fact that Harwadanga in Didhalbank Bibiganj in Tebragachh, Angarh and Rotahal in Vaisa Kaliaganj in Palasi and Bishanpur in Koyadhaman are important places for providing telephone facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). No telecommunication facilities exist at Koyadhaman (correct name Kochadhaman), Didhalbank (correct name Dighalbank), Jonki (correct name Jonkihat) and Vaisa in District Purnea, Bihar. Opening of a Public Call Office at Dighalbank has been sanctioned. The work is pending for want of some important items of stores.

Proposals to open Public Call Offices at Kochadhaman. Jonkihat and Vaisa are

unremunerative. The facilites can be provided only on rent and guarantee basis is some interested party is willing to indemnify the loss separately in each case.

Proposals to provide Telegraph facility at Kochadhaman, Dighalbank. Jonkihat and Vaisa are now under examination. Action to provide Telegraph facility at all these places will be taken in accordance with the existing policy of the department.

(c) The proposals to provide Telephone facility at Harwadanga, Bibiganj, Rotahal (correct name Rotahat) Kaliaganj and Bishanpur have been examined. All the proposals are unremunerative and the losses cannot be condoned according to the existing policy of the department. The facility can be provided at these places on rent and guarantee basis if some interested party is willing to imdemnify the loss to the department separately in each case. No place called Angarh could be traced in Vaisa Block.

Construction of Post Office Buildings in Kishanganj and Bahadurganj in Purnea District, Bihar

*1787. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Minister of Communications, Dr. Ram Subhag Singh, had replied to the letter from Shri Lakhan Lal Kapoor, Member of Parliament vide his letter No. A.A.S. 55-14/68-PRP dated the 28th September, 1969 that a provision had been made in the Budget for the completion of Post Office buildings in Kishanganj and Bahadurganj in Purnea District, Bihar in 1969 ; and

(b) if so, the reasons for which the construction work of the said buildings has not yet been started ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) In the reply given vide Dr. Ram Subhag Singh's D.O. No. 55/14/68-PRP dated 28.9.1968 it was started that the construction of P.O. building at Kishanganj was budgeted for execution during 1968-69 and would commence as soon as all the formalities were completed. Reg. Bahadurganj it was stated that the project was being processed expenditiously and the work was likely to commence during the last financial year.

(b) The construction work in both the cases has since been awarded to the selected contractors on 1.9.1969 (Kishanganj) and 6.8.1969 (Bahadurganj) respectively.

Dairy Farms in Purnea and Saharsa Districts, Bihar

1788. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Purnea and Saharsa Districts of Bihar are mainly agricultural districts ; and

(b) whether the Dairy Farm Scheme to develop cattle-wealth in order to solve unemployment problem of landless farmers can become successful there, if so, whether Government propose to establish dairy farms there on a large scale ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

त्रिपुरा में बेरोजगारी

1789. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी प्राक्कलन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने बेरोजगारी का अनुमान लगाने की कार्य-विधि, श्रमिकों में वृद्धि तथा रोजगार-अवसरों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है यदि हाँ, तो उसक मुख्य सिफारिशें क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ख) रोजग र कार्यालयों में चालू रजिस्टरों में आंकड़ों के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में त्रिपुरा ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी जिन्हें गत दो वर्षों में रोजगार नहीं दिया जा सका था और यदि विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, तो इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए उस राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ग) त्रिपुरा की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष-वार तथा समस्त योजनाकाल में रोजगार के श्रेणी-वार कितने अवसर पैदा किये जाने की सम्भावना है और योजनाकाल के अन्त तक त्रिपुरा में अनुमानत: ऐसे कितने बेरोजगार व्यक्ति बच जायेंगे, जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सकेगा ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) समिति का कार्य अभी भी प्रगति में है यह कहना सम्भव नहीं है कि अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2140/69**] ।

(ग) ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है ।

सुपर बाजार दिल्ली के अध्यक्ष को दी गई सुविधायें

1790. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार दिल्ली के अध्यक्ष को कुछ सुविधाएं देने के लिये प्रतिमास लगभग 2000 रुपए व्यय किये जाते हैं, जिनकी व्यवस्था न तो सुपर बाजार के उपनियमों में है और न ही उसके लिये बजट में कोई व्यवस्था की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार को 20 लाख रुपये का ऋण देने तथा वर्तमान प्रबन्ध-समिति को बदलने के सरकारी निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया ; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त (क) की जांच की है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) यह सूचित किया गया है कि यह व्यय औसतन 1180/- रु० प्रति पास के लगभग है । इसके सहकारी भण्डार की उप-विधियों में अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसके बजट में अलग से दिखाए जाने की जरूरत है ।

(ख) इस मामले पर जो कि विचाराधीन है, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी नहीं इस मामले पर भण्डार की प्रबन्ध समिति को सहकारी समितियों के पंजीकृत के परामर्श से, यदि आवश्यक हो, निर्णय करना है ।

त्रिपुरा में पंचायतों की शक्तियां

1791. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 28 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5209 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की पंचायतों को देश के अन्य भागों की पंचायतों, विशेषतः मनीपुर, आसाम के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों, नेफा और उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष मामलों में और किस सीमा तक त्रिपुरा की पंचायतों और पंचायतों के प्रधानों को, देश के अन्य भागों, विशेषत: उक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पंचायतों और उनके प्रधानों की तुलना में बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त हैं ;

(ग) इन असमानताओं के कारण क्या हैं ; और

(घ) उन्हें देश के अन्य राज्यों एवं संघ क्षेत्र में पंचायतों और उनके प्रधानों के बराबर लाने के लिये यदि कोई कार्यवाही गई है, तो वह क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा का प्लाईवुड कारखाना

1792. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा त्रिपुरा में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक प्लाईवुड कारखाना स्थापित करने के करने के लिए दिया गया आवेदन पत्र किस तिथि से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) आवेदन पर किस स्तर तक कार्यवाही की जा चुकी है ;

(ग) इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) इसे अंतिम रूप दिये जाने से पहले अभी क्या औपचारिकताएं पूरी की जानी शेष हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). त्रिपुरा में प्लाईबुड स्थापित करने के लिये सर्वश्री जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज का आवेदन पत्र मई 1966 से इस मन्त्रालय के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव का सम्बन्ध जटिल कानूनी परिस्थितियों और रायल्टी की दरों से है। करार के मसौदे को दो बार संशोधित करना पड़ा। प्रस्तावित उद्योग के लिये कम्पनी द्वारा इमारती लकड़ी के उपयोग के हेतु स्वामित्व के निर्धारण पर प्रतिवेदन के साथ अन्तिम करार का मसौदा इस मन्त्रालय में, 4-11-69 को प्राप्त हुआ था। इस मामले पर विधि और वित्त मन्त्रालयों से विचार-विमर्श किया जाना है। इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इसे शीघ्र तय करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। करार को अंतिम रूप देने और रायल्टी निर्धारित होने के पश्चात ही कम्पनी सामान्य रूप से कारखाना स्थापित कर सकेगी।

Central Aid to Madhya Pradesh for River Lift Irrigation Scheme

1793. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the amount of contribution given by the Central Government for River Lift Irrigation Scheme in Madhya Pradesh in 1968-69 and the amount of contribution demanded from the Central Government for the scheme during 1969-70 ;

(b) the progress made so far in the implementation of the scheme ; and

(c) the date when the work would be completed and the latest statistics of the cost of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Lift Irrigation Schemes in the State are executed by the Cooperative Societies. The Central assistance was provided during 1968-69 under various Sub-heads *i.e.* Minor Irrigation etc. and not on a scheme-wise basis. According to the pattern of Central assistance in vogue during 1968-69, all minor irrigation schemes were entitled to 60% loan and 15% grants from the Centre. During 1968-69, an amount of Rs. 370.11 lakhs as loan and Rs. 92.53 lakhs as grant was released by the Centre as Central assistance for minor irrigation programme of the State of Madhya Pradesh.

The pattern of Central assistance has been revised from 1969-70. According to the revised pattern, the Central assistance to States for the Plan schemes is to be given as block loan and grants every year. Each State would receive 30% of the total assistance every year as grant and the balance 70% as loan. It is open to the State Governments to allocate the Central assistance to the various Plan schemes according to their discretion. The Planning Commission has approved an outlay of Rs. 650.00 lakhs for minor irrigation programme of Madhya Pradesh during 1969-70. The Central assistance for minor irrigation during 1969-70 will be released at the close of the financial year.

(b) and (c). The material is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha on its receipt.

Expenditure on Minor Irrigation Works in East Nimad, M.P.

1794. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total expenditure likely to be incurred on the minor irrigation works in the East Nimad district of Madhya Pradesh ;

(b) the names of the minor irrigation schemes whose implementation is likely to be tarted during the Fourth Five Year Plan period ; and

(c) the acreage of land likely to be irrigated under these schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be placed to the Table of the Sabha on its receipt.

Working of Telephone Exchange in Burhanpur City (Madhya Pradesh)

*1795. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware that several complaints about the working of the telephone exchange in Burhanpur City (Madhya Pradesh) are being received for the past few months, such as, defective working of telephones installed in the houses, noises in the telephone, not receiving the reply from the telephone exchange in time ;

(b) if so, the causes of defects and the action proposed to be taken by Government to remove the same ;

(c) whether it is also a fact that telephone No. 29 is not working properly for the past few days and has not been repaired despite complaints being made time and again ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) Some complaints have been received but they are very few.

(b) There were intermitant disturbances on local lines during the months of October and November as a result of annual maintenance of lines. So far as complaints relating to delay in answering are concerned, the manual exchange is proposed to be replaced by an auto exchange to avoid such complaints.

(c) There were only few faults one in September, two in October and two in November and these were rectified promptly.

(d) Does not arise.

Posts and Telegraphs Facilities in Rural Areas of Madhya Pradesh During Fourth Plan

*1796. **Shri G. C, Dixit ; Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the Telephone and Telegraph facilities are being provided in the Post Offices located in the rural areas of Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan in a larger number as compared to other places ; and

(b) if so, the names of the Districts where this provision is being made and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) Most of the new Puplic Call Offices and Telegraph Offices to be provided in Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan will be in rural areas.

(b) During the 4th plan about 120 PCOs and 150 telegraph offices are likely to be opened in Madhya Pradesh. These will cover all the districts of this state.

Refugees in Betul and Bastar (Madhya Pradesh)

1797. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of refugee families in the districts of Betul and Bastar in Madhya Pradesh :

(b) the forest area denuded so far ; and

(c) the amount spent so far on reclamation of land and other allied works ?

The Minister of State in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a), (b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

"फाइव पास्ट फाइव" नामक चलचित्र का निर्माण

1798. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फाइव पास्ट फाइव" नामक एक चलचित्र के सम्बन्ध में जिसे इस वर्ष केवल अंग्रेजी में निर्मित किया गया और भारत सरकार के केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा विधिवत पास तथा प्रमाणित किया बताया गया है तथा जिसे इस समय भारत और विदेशों में प्रदर्शित किया जा रहा है और जिसके माध्यम से निर्माताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा को समाप्त करने और उनके हत्यारे गोड्से का चरित्र बहुत महान् दिखाने का प्रयत्न किया है , के बारे में 7 नवम्बर, 1969 के "नेशनल हेरल्ड" के दिल्ली संस्करण में श्री पी० सी० जोशी द्वारा "एन्टी गांधी एण्ड प्रो-गोड्से फिल्म ओन" नामक लेख तथा लेखक द्वारा इस लेख के अन्तिम दो कण्डिकाओं में "दि लीस्ट" नामक शीर्ष के अन्तर्गत दिये गये सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस लेख में लिखी गई बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उपरोक्त फिल्म के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस लेख के लेखक के सुझावों के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केन्द्रीय सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित इस फिल्म के ऊपर इस लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

कम लागत की फिल्मों के लिए ऋण

1799. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री नि० रं लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत की फिल्मों को सहायता/ऋण देने के संबंध कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). फिल्म वित्त निगम, जो एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे भारत सरकार धन देता है अच्छे स्तर की फिल्में बनाने के लिए ऋण देता है ताकि देश में बनने वाली फिल्मों का स्तर ऊंचा हो सके। निगम ने अधिक मूल्य वाली फिल्मों के उत्पादन के लिये धन न देने का निर्णय किया है ताकि वह अच्छे स्तर की अपेक्षाकृत कम लागत वाली फिल्मों को ही सहायता दे सके।

दिल्ली में टेलीफोन से बेहूदा कालें

1800. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन से बेहूदा कालें होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष, महीने-वार, दिल्ली टेलीफोन के शिकायत विभाग में ऐसे कितने काल दर्ज किये गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में बेहूदे काल टेलीफोन संख्या 70402 तथा 70475 से आ रहे हैं जो जोर बाग केन्द्र के अन्तर्गत रामकृष्णपुरम स्थित सिविल एविएशन तथा एयर हैडक्वार्टर्स हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों के नम्बर हैं ; और

(घ) यदि हां, तो बेहूदे काल करने वालों का पता लगाने तथा उन्हें दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ महीनों के दौरान शिकायतों की संख्या महीने-वार इस प्रकार है :—

नवम्बर,	68	46	मई,	69	41
दिसम्बर,	68	37	जून,	69	48
जनवरी,	69	30	जुलाई,	69	55
फरवरी,	69	26	अगस्त,	69	40
मार्च,	69	36	सितम्बर,	69	37
अप्रैल,	69	56	अक्तूबर,	69	44

(ग) जी हां।

(घ) दोनों ही मामलों में दोषी उपभोक्ताओं को इस चेतावनी के साथ नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उनके कनेक्शन काट दिए जायेंगे। इन मामलों में आगे कार्यवाही की जा रही है ताकि ऐसे काल रोके जा सकें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी दिल्ली को कोतवाली की इमारत का हस्तांतरण

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported demand of over 16 lakhs of rupees by the Central Government from Gurdwara Prabandhak Committee, Delhi for the Kotwali Building which is to be converted into a memorial Gurdwara in memory of martyrdom of Guru Tegh Bahadurji."

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमति चन्द्र शेखर) : गुरु तेग बहादुर, भाई मोतीदास तथा अन्य शहीदों के स्मारक बनाने के लिए उप-राज्यपाल, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली राज्य की गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के बीच कोतवाली की भूमि के 0.7 एकड़ के एक भाग को उस पर खड़ी संरचनाओं सहित उन्हें हस्तान्तरित करने के लिए पत्राचार हुआ। उसी भूमि को हस्तान्तरित करने के लिये एक करार किया गया था जोकि दिल्ली राज्य की गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के द्वारा उप-राज्यपाल को लिखे गये उनके दिनांक 10 अक्तूबर, 1968 के पत्र में उल्लिखित थी। अन्य शर्तों में अधिक निम्नांकित हैं :

(1) प्रबन्धक कमेटी, दिल्ली प्रशासन को उनको दी जाने वाली भूमि तथा उसके ऊपर बनी संरचनाओं के वास के समान नई कोतवाली बिल्डिंग के निर्माण के लिए 16,35,000 रुपये देगी ;

(2) कुल राशि में से 10 लाख रुपये तुरन्त दिए जायेंगे तथा शेष छः महीने के भीतर।

करार के अनुसार, कमेटी, के द्वारा 10 लाख रुपये की प्रारंभिक अदायगी कर दी गयी तथा दिल्ली प्रशासन ने दरियागंज में नई कोतवाली का निर्माण आरम्भ कर दिया। नई बिल्डिंग निर्माणाधीन है तथा उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन सभी यथा सम्भव प्रयत्न कर रहा है। प्रशासन ने कमेटी से अभी तक शेष भुगतान की मांग नहीं की है, क्योंकि उनका यह विचार है कि नई बिल्डिंग का निर्माण हो जाने के बाद भूमि के दिये जाने के समय भुगतान लिया जाये।

कतिपय संगठनों ने गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को निःशुल्क भूमि दिये जाने के अनुरोध दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुए । क्योंकि यह मामला बात-चीत तथा करार के द्वारा तय हुआ था, अतएव इन अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है ।

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, Sir, our country has a high tradition of sacrifices and Guru Tegh Bahadur is a shining example of that. He was a martyr and he gave his life to the cause of his country and his religion at a time when Aurangzeb, intoxicated with the Islam theocracy, was ruling over the country. There is a long line of succession in that era who gave their lives in the Chandni Chowk, Delhi. Chandni Chowk, the Fountain of Chandni Chowk and the Kotwali are the hallowed by the blood of these martyrs and these places should have been converted into a giant memorial long back. But unfortunately before the regime of Jana Sangh in Delhi, the Congress Government did precious little in this connection. Now to our request of converting the Kotwali Building into a memorial of Guru Tegh Bahadur, they have asked for money from the Gurudwara Prabandhak Committee.

In this connection I have two or three specific questions to ask. First, is the Government prepared to give a grant of Rs. 20 lakhs to the G. P. C. for erecting the statue of Guru Tegh Bahadur ? Secondly, apart from the value of the land, will the Government make some donations for the erection of the statues of these martyrs ? Thirdly, will the Government erect a memorial to Bhai Mati Das at a point where he was sawn to death ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : I had thought that Prof. Madhok would at least speak justly. Money had been given to Delhi Administration. I have not received any resolution, referred to by Shri Madhok, from Delhi Administration.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : You know that the copy of the resolution was sent to Home Minister.

Shri K. K. Shah : It should have been sent to Education Ministry.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir. I rise on a point of order. It is your responsibility to ensure that the Minister gives a satisfactory reply. He says that he has not received any resolution while they maintain that they have sent a resolution. The Minister should categorically say that he is prepared to give the land free of charge and he should also state the amount the Central Government will give.

Shri K. K. Shah : I have clearly stated that the alleged letter is being traced in the Education Ministry.

Shri Ram Swarup Vidyarthi (Karol Bagh) : Unfortunately, there is no co-ordination at the Centre. Eight Ministries are dealing with the affairs of the Union Territory of Delhi. They have not cared to heed the demand of the Delhi Administration that one Ministry should be made responsible for matters relating to the Union Territory of Delhi.

The hon. Minister is misleading the House. The Metropolitan Council of Delhi passed a resolution and sent it to the Central Government. It was sent eight months before. Later on the Executive Council took a unanimous decision and forwarded it to the Centre for the action. Will he refute it also. That resolution says that a grant of Rs. 20 lakhs should be given to the G. P. C. Are Government prepared to do this ?

Shri K. K. Shah : The hon. Member may send a copy to me, then I shall find out from the various Ministries.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने यह बता दिया था कि वह पत्र शिक्षा-मन्त्रालय को भेजा जाये परन्तु उन्होंने उसे गृह-कार्य मन्त्रालय के पास भेज दिया। अब माननीय मन्त्री कहते हैं कि उसकी एक प्रति उन्हें भेज दी जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The Delhi Metropolitan Council is definitely of the opinion that the value of the land should not be charged from the G. P. C. and in addition to this they want to give them a grant of Rs. 20 lakhs for the erection of memorial. I do not know whether the letter has come or has not come to the Home Ministry. But the point is, do not make this discrimination. For the Teen Murti Museum no money was charged from the Nehru Memorial Trust as he was a national leader, so basically it will be wrong to charge money from the G. P. C.

Are the Government ready to revise their decision, if not now, on receipt of the resolution in case it has not reached them yet ? We want an assurance from the hon. Minister in this matter as Shri Randhir Singh says that the whole House backs it.

Shri K. K. Shah : The Delhi Administration should not have charged the value of land from them and so we are not involved in it. That is why I kept quiet and did not interrupt him.

Shri Kanwar Lal Gupta : Let me complete my question ?

अध्यक्ष महोदय : अब तक वह क्या कर रहे थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Minister should tell us whether the Government will revise its decision and return the value of the land to the G.P.C.

Are Government also prepared to give a grant of Rs. 20 lakhs for the erection of this memorial to the G. P. C. and if not, what are the reasons therefor ?

Shri K. K. Shah : The Delhi Administration adopts various resolutions and recommends them to the Centre. Why did'nt they recommend this thing when the negotiations were going on ?

Nothing transpired about charging the value of the land but an agreement was reached between the Delhi Administration and G. P. C. (Delhi State) under which the G. P. C. had agreed to pay Rs. 16,35,000 to the Delhi Administration for the construction of new Kotwali Building having accommodation equivalent to the structures standing on the land to be given to them. In the case of giving grant for the Ghalib memorial, a proposal was made and it was sent to the Education Ministry and they granted the money for it. In this case also the Education Ministry will be addressed as soon as a copy of the letter is received from the hon. Member or the Home Ministry. Whatever is possible will be done in this case also.

इन्डिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के बारे में

RE : ERECTION OF STATUE OF MAHATMA GANDHI AT INDIA GATE

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : पहले महात्म गांधी की मूर्ति इन्डिया गेट पर लगाने का

निर्णय किया गया था परन्तु हमें पता चला है कि सरकार ने इस स्थान में परिवर्तन करने का फैसला किया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। इसपर चर्चा होनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसपर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव आया हुआ है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

रायगुड्डा अम्ब और बोटाचो बांध की घातक दुर्घटना का जांच प्रतिवेदन और केन्द्रीय कोयला खान रक्षा केन्द्र समिति, धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : I beg to lay on the Table.

(1) A copy of the Report of Inquiry into the fatal accident at Raigudda Amb and Botacho Band (Nanora) Ferro Manganese Mine, Mysore, on the 21st May, 1969. [**ग्रन्थलय में रखी गई। देखिए संख्या** एल० टी० 2118/69]

(2) A copy of the Annual Report of the Central Coal Mines Rescue Stations Committee, Dhanbad, for the year 1968-69.[**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी० 2119/69]

बिहार गन्ना सम्भरण तथा क्रय का विनियमन अधिनियम

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहेब शिदे की ओर से बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1969, की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बिहार गन्ना (सम्भरण तथा क्रय का विनियमन) अधिनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1969 का अधिनियम संख्या 8) की एक प्रति जो दिनांक 31 अगस्त, 1969) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी० 2120/69]

बिड़ला काटन मिल्स में हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON BIRLA COTTON MILLS STRIKE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बिरला कौटन स्पिनिंग और वीविंग मिल, दिल्ली के श्रमिक 1968-69 के वर्ष के बोनस के प्रश्न 26 अक्तूबर, 1969 से हड़ताल पर हैं।

यह सूचित किया गया है कि प्रबन्धकों ने बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार 4 प्रतिशत बोनस ओफर किया है। लेकिन श्रमिक और अधिक बोनस की माँग कर रहे हैं। यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। दिल्ली प्रशासन ने सौहार्द-पूर्ण समझौता कराने के लिए प्रबन्धकों व श्रमिकों के प्रतिनिधि बुलाए। लेकिन इन विचार-विमर्शों से सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस विवाद को पंच-फैसले के लिए भेजने का एक सुझाव दिया गया। इसे श्रमिकों ने स्वीकार नहीं किया। इन परिस्थितियों में, दिल्ली प्रशासन ने इस विवाद को 8 नवम्बर को अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास न्याय-निर्णय के लिए भेज दिया है। उन्होंने साथ ही हड़ताल को निषिद्ध करने का आदेश भी निकाला। लेकिन हड़ताल अभी भी चल रही है अन्य मिलों के कपडा श्रमिकों ने बिरला कौटन स्पिनिंग तथा वीविंग मिल के हड़ताली श्रमिकों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए 20 नवम्बर, 1969 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की।

2. यह विवाद न्याय-निर्णय के लिए भेजा जा चुका है, फिर भी संबंधित पक्ष आपस में और विचार-विमर्श करके समझौता करा सकते हैं। दिल्ली प्रशासन तथा श्रम मन्त्रालय की मध्यस्थता इस कार्य के लिये उपलब्ध होती रहेगी। सरकार को आशा है कि संबंधित पक्ष उत्पादन की क्षति को रोकने तथा अच्छे औद्योगिक संबंध बनाये रखने के हित में इस विवाद को शीघ्र निपटाने के लिये फिर बात-चीत शुरू करेंगे।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय खाद्य तथा श्रम मन्त्री द्वारा हिदायतें दिये जाने पर उप श्रम मंत्री ने 22, 24, तथा 25 तारीख को बातचीत की थी। फिर 26 तारीख को हमारे मुख्य श्रम आयुक्त ने उन्हें बुलाया था। कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। हमें आशा है कि समझौता हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर चर्चा नहीं होगी।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : उन्हें 30 जनवरी मार्ग पर जाकर देखना चाहिये कि लोग जाड़े में बैठे होते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें दिल्ली प्रशासन के पास जाना चाहिये। क्योंकि उन्होंने हड़ताल को रोका है।

श्री म० ला० सोंधी : वे लोग सर्दी में कष्ट सहन कर रहे हैं तथा कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता। वे लोग नारे लगाते हैं कि श्री बिड़ला लाखों आदमियों का शोषण करके शान्ति की नींद सो रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें दिल्ली प्रशासन से पूछना चाहिए जिन्होंने हड़ताल पर रोक लगाई थी।

श्री म० ला० सोंधी : उन्हें जाकर उनकी दशा तो देखनी चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : मैं पहले ही वहां हो आया हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Shall the hon. Minister call both the parties d settle their dispute.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मेरी अनुमति के बिना ऐसे ही खड़े नहीं हो जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर, : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायें ताकि बातचीत करने के लिए श्री बिड़ला पर दबाव डाला जा सके क्योंकि अन्यथा वे लोग बातचीत को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अत मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि वह इस काम के लिए एक विशेष अधिकारी को, विशेषकर केन्द्र के मुख्य श्रम आयुक्त को, नियुक्त करेंगे तथा दिल्ली प्रशासन से यह आश्वासन लेंगे कि किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं किया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : This is my constituency you had said just now that the question of the concerned Member shall be replied to.

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पढ़ा है । उसके अन्तर्गत वक्तव्य पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है मैं उसी को दोहरा रहा हूं । जब मुझे इस बात का पता लगा तथा जब मिल के कर्मचारियों ने जलूस निकाला तो मैं ने मुख्य श्रम आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों से कहा कि वे इस मामले के बारे में दिल्ली प्रशासन से बातचीत करें क्योंकि यह मामला दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त के अन्तर्गत आता है । बातचीत चल रही है तथा आशा है कि कोई दल निकल आयेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had written a letter to the hon. Minister and had stated in it that about 6000 labourers are on strike. The present condition is that people are dying of starvation. I know that this matter comes under the jurisdiction of Delhi Administration. But they can have your over-all guidance. I want that an assurance should be given from Mill-owners' side that the mill-workers on strike will not be victimised.

Shri Jagjiwan Ram : I will again say that this watter relates to Delhi Administration. But the good offices of the central Government offices are always used. It is expected that this matter will he settled very soon.

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—जारी

MOTER VEHICLES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

खण्ड 2—जारी

अध्यक्ष महोदय : हम कल खण्ड 2 पर चर्चा कर रहे थे । श्री लोबो प्रभु ने दो संशोधन प्रस्तुत किये थे ।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : अन्य संशोधन पर्यटन बसों के विशिष्ट विवरण के सम्बन्ध में है । मेरा यह प्रताव है कि राज्य सरकार को नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार को विशिष्ट विवरण

निर्धारित करना चाहिये । इसका कारण यह है कि बसें पर्यटक लगभग सारे देश में जाती हैं तथा विशिष्ट विवरण समान न होने के कारण लाइसेंस के सम्बन्ध में उन्हें कठिनाई हो सकती है ।

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : विशिष्ट विवरण अर्थात् गाड़ियों की किस्म आकार आदि राज्यों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित किये जाते हैं । अतः इस संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हमारा सुझाव तो केवल पर्यटन बसों के सम्बन्ध में है जिनके मालिक एक से अधिक राज्यों में बसें चलाने के लिये लाइसेंस लेते हैं । ऐसी बसों के विशिष्ट विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए । यदि माननीय मंत्री इससे सहमत नहीं हैं तो उन्हें अन्तर-राज्य पर्यटक बसों के लिए निर्धारित स्तर को विशिष्ट विवरण परिचालित करने चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि समूचे भारत में उनका एक ही स्तर हो ।

श्री इकबाल सिंह : यह स्तर राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा मोटर गाड़ी निरीक्षकों द्वारा लागू किया जाता है । जब वे गाड़ियों का निरीक्षण करते हैं तो वे देखते हैं कि गाड़ियां विशिष्ट विवरण के अनुसार हैं । चूंकि विभिन्न राज्यों में विशिष्ट विवरण भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिये यदि हमें उसका निर्धारण करेंगे तो उससे अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी ।

जहां तक दूसरे सुझाव का संबंध है हम सभी राज्यों को इन सभी चीजों का स्वर निर्धारित करने के लिये कह रहे हैं ।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री लोबो प्रभु को संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 और 4

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 और के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है अतः प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3 and 4 were added to the Bill

खण्ड 5

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 लेते हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मेरे दो संशोधन संख्या 42 और 43 हैं । मेरा पहला संशोधन ड्राइवरों की पुनः परीक्षा के सम्बन्ध में है । मैं समझता हूँ कि ड्राइवरों की हर की डाक्टरी परीक्षा होनी आवश्यक नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं एक सरल सा सुझाव देना चाहता हूँ । यह नियम 40 वर्ष से अधिक आयु वाले ड्राइवरों पर लागू होना चाहिये क्योंकि उससे पहले की आयु के लोग सामान्यतः स्वस्थ होते हैं । हमें ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिये जिनसे इन कर्मचारियों को नौकरशाही से परेशान होना पड़े । हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे परिवहन लागत बढ़े क्योंकि वह पहले ही बहुत अधिक है ।

मेरा दूसरा संशोधन ड्राइवर को दिये गए लाइसेंस की पुनः परीक्षा के सम्बन्ध में है जबकि उस के नवीकरण का प्रार्थना पत्र किसी अन्य अधिकारी को दिया जाता है । आपको यह पता होना चाहिए कि जब ड्राइवर के विरुद्ध दोषसिद्धि की जाती है तो उसे लाइसेंस में दर्ज कर दिया जाता है । इसलिए लाइसेंस का नवीकरण इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए कि पहले लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी ने उसका सत्यापन नहीं किया है । अतः मेरा यह सुझाव है कि हमें नियमों को और जटिल नहीं बनाना चाहिए ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 9 और 17 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 4 पंक्ति 11 में "one year" [एक वर्ष] के स्थान पर "six-months" [छः महीने] शब्द रखे गए । (18)

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 42 और 43 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Om Prakash Tyagi : I beg to move my amendment No. 84.

In the transport system the most exploited person is the driver. He has to labour day in and day out. Your Bill also is effecting him. The condition imposed upon time to produce a medical certificate at the time of revenue of the licence is not good. This matter should be reconsidered. We feel that generally people have normal eye sight before 40 years of age. The eye sight deteriorates only after 40. Therefore medical certificate should not be asked for from the drivers who are less than forty years. If this clause is passed than he will have to give bribe to the doctor to get the certificate even though his eye sight is normal. So it is not good to impose this tax on him.

It has been said in this clause that in case the request for renewal of any paid driver is rejected then his fee will be refunded in such manner as may be prescribed. Through this amendment I want that the time to return the fee should be fixed otherwise people have to suffer on account of red-tapism.

It has also been said in this clause that after the receipt of application for renewal and upto the time the antecedents of paid driver, are verified "such authority may grant a provisional licence." I feel that the word "shall" should be placed for the word "may".

Shri Shiva Chandra Jha : It has been said in this clause that on the receipt of application for renewal by the paid employee he may be given provisional licence for such period or periods not exceeding one year". I want that instead of one year he should be given licence for six months. I know that many persons ply motor vehicles in villages without getting any licences. So I feel that the applicants should be given licences only after their antecedents are verified. Uptil that time he should be issued a licence upto six months and not for one year.

श्री इकबाल सिंह : जहां तक पहले संशोधन का सम्बन्ध है मेरे विचार से माननीय सदस्य यह नहीं समझ सके कि लाइसेंस का नवीकरण तीन वर्ष बाद किया जाता है। हमारे पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आई थीं कि ड्राइवर एक स्थान पर लाइसेंस ले लेता है, जब वहां दुर्घटना हो जाती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तब वह दूसरे स्थान पर जाकर लाइसेंस ले लेता है। इसलिए हम अब उसे एक अस्थायी लाइसेंस एक वर्ष के लिए जारी करेंगे।

जहां तक डाक्टरी प्रमाण-पत्र का सम्बन्ध है हमारे पास अनेक शिकायतें आई हैं कि जिन ड्राइवरों की नजर ठीक भी नहीं होती उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। उनको लाइसेंस नवीकरण तीन वर्ष बाद दिया जाता है। इसलिए दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उनकी डाक्टरी परीक्षा होनी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9, 17, 19, 84, 42 और 43 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos 9, 17, 19, 84, 42 and 43 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 4 पंक्ति 11 में "one year" [एक वर्ष] के स्थान पर "six monthts" [छः महीने] शब्द रखे जायें। (18)

श्री इकबाल सिंह : चूंकि यह संशोधन विवादग्रस्त नहीं है, इसलिए हम इसे स्वीकार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शिवचन्द्र झा का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

पृष्ठ 4 पंक्ति 11 में "one year, [एक वर्ष] के स्थान पर "six months" [छः महीने] शब्द रखे जाये। (18)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 5 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill

खण्ड 6 से 8

अध्यक्ष महोदय : चूंकि खण्ड 6,7 तथा 8 के बारे में कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं इन सब खण्डों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है : "कि खण्ड 6,7 और 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6,7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 6, 7 and 8 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० के लिए स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए २ बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six Minutes Past Fourteen of the Clock

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

खण्ड 9—(धारा 21 का संशोधन)

श्री इकबाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 में "1968" के स्थान पर "1969" रखा जाये । [114]

यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है ।

श्री लोबो प्रभु (उडीपी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 5, पंक्ति 18 और 19 से "and the fee to be paid in respect thereof" [और उस के लिए शुल्क लिया जायेगा] शब्द निकाल दिये जायें । (44)

सरकार चाहे तो स्कूलों को अपने नियंत्रणाधीन ले सकती है परन्तु इन प्रशिक्षण स्कूलों पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये, क्योंकि वह उसे अदा करने की स्थिति में न है । इसके अतिरिक्त हम उन पर जो शुल्क लगायेंगे, वह उसे ड्राइवरों से वसूल कर लेंगे । और ड्राइवर प्रयोक्ताओं से वसूल कर लेंगे । अतः इन बातों को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और इन प्रशिक्षण स्कूलों पर शुल्क नहीं लगाया जायेगा ।

श्री इकबाल सिंह : हम ने इस मामले पर विचार कर लिया है। इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं संशोधन संख्या 44 स्वीकार करता हूँ। प्रशिक्षण स्कूलों के कोई शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 में "1968" के स्थान पर "1969" रखा जाये। [114]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 18 और 19 से "and the fee to be paid in respect there of" [और उसके लिये शुल्क लिया जायेगा] शब्द निकाल दिया जायें। [44]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9, as amended was added to the bill,

खण्ड 10—(धारा 25 का संशोधन)

Shri O. P. Tyagi : I beg to move :

Page 5, Line 28 for "Three"

substitute "Six" (20)

Clause 10 reads as follows :

"Provided that where a motor vehicle so registered is a chassis to which a body has not been attached and the same is detained in a workshop beyond the said period of one month far being fitted with a body, the period may on payment of such fee, if any, as may be prescribed be extended by such further period or periods also, however that total period may not exceed three months."

My submission is that the transport business is done mainly by poor people and they require considerable time for arranging the required amount because only their partial needs are met by the financers. This time limit of three months which is being fixed is not sufficient. So my submission is that the word "three" be substituted to "six" so that they may get sufficient time.

Shri Iqbal Singh : I think my hon. friend Shri Tyagi has been unable to understand the point. Formerly there was no time limit for building the body and then getting that vehicle registered. Eormerly the time limit fixed under this Clause it was two months, which was latter made three months in the Joint Select Committee. Now if the hon. Members suggestion is accepted that means the body will be fitted in six months and vehicle

owner will have no earnings from that vehicle for six months. This will mean that person who has borrowed money on instalments will have a heavy burden of repayment of instalments as well as the amount of interest on the capital sum borrowed by him. So extending the time limit, will not prove beneficial to him in any case. I think the time limit for three months is quite reasonable I hope the hon. Member will withdraw his amendment.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन संख्या 20 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 20 was by leave withdrawn.

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 106 से सम्बन्धित माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं । इस लिए प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 और 12

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 11 and 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

Shri O. P. Tyagi : I beg to move :

पृष्ट 6, पंक्ति 15 "agreement" [समझौता] के बाद by parties concerned"

[सम्बद्ध पक्षों द्वारा] शब्द जोड़ दिये गये । (21)

Sir, generally people purchase buses or trucks on hire purchase basis. At the time of registration of such a vehicle it is notified by the Registering Authority on the registration document that the vehicle has been purchased on hire-purchase agreement. At the termination of hire purchase agreement the authority is empowered to delete these remarks that the vehicle is purchased on hire-purchase agreement. Now it has been provided in this clause that any entry made under Sub-section (1) on Sub-section (2), may be cancelled by the registering authority on proof of the termination of the hire-purchase agreement. Now suppose some third party comes with a proof to the registering authority that hire-purchase agrement has terminated in that case the remarks will be omitted without the knowledge of the parties concerned. So my submission is that the authority should be empowered to delete those remarks on proof of the termination of the hire-purchase agreement by the parties concerned. These remarks should not be allowed to be deleted on the saying of any third party.

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत करती हूँ । मुझे प्रमाण शब्द पर आपत्ति है । इससे समझौता करने वाले पक्षों को कठिनाई होगी।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं। यह बहुत जरूरी है कि अथिरिटी कोई भी हो, जब तक दोनों पक्ष उसके पास आकर समझौते को रद्द करने को न कहें, तब तक उनका समझौता रद्द न किया जाय।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं अपना संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करती हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 86 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इकबाल सिंह : भारक-क्रय अधिनियम संसद् के समक्ष लाया जा रहा है। ये सब धारें उस अधिनियम में शामिल की गई हैं। हमने यह उपबन्ध उस अधिनियम में इस लिये शामिल किये हैं, ताकि बैंक तथा अन्य संस्थान भी परिवहन मालिकों को ऋण दे सकें। अब तक केवल छोटी छोटी कम्पनियों से उन्हें ऋण दिया जाता है और वे कम्पनियां उनसे बहुत अधिक ब्याज लेती थी। परिवहन चालकों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इससे बस अथवा टैक्सी चालकों को ऋण मिल सकेगा। जहां तक संशोधन संख्या 21 का सम्बन्ध है, उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसे स्वीकार करने को सहमत हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 15

"agreememt" [समझौता] के बाद "by parties concerned" [सम्बद्ध पक्षों द्वारा] शब्द जोड़ दिये जायें। (21)

संशोधन स्वीकृत हुआ

The amendment was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं अन्य सब संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

अन्य संशोधन मतदान लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The other amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 14

खण्ड 14, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 15 को लेंगे। क्या श्री त्यागी अपना संशोधन संख्या 87 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

Shri Om Prakash Tyagi : Under this clause any bus and truck having no passangers or load or going to same workshop for repairs etc. can also be challaned.

श्री इकबाल सिंह : माननीय सदस्य खण्ड 17 का उल्लेख कर रहे हैं। क्या वह खण्ड 15 से सम्बन्धित अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जी नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16

सभापति महोदय : खण्ड 16 के बारे में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिये गया।
Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं अपना संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करती हूं। मेरा यह संशोधन बहुत छोटा है। मैं चाहती हूं कि पंक्ति संख्या 22 से 24 तक को निकाल दिया जाये। क्योंकि यह अनावश्यक हैं। यदि कोई वाहन तेल लेने अथवा किसी मरम्मत आदि के लिए खड़ा है, तो वह पहले ही कठिनाई भी है, इसलिए उस पर ये पंक्तियां लागू करना उसको और भी कठिनाई में डालना है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इन पंक्तियों को निकाल दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय सदस्या के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री आर० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : मैं माननीय सदस्या के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा संशोधन भी श्रीमती इला पाल चौधरी के संशोधन के समान है। मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय सदस्या के संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री इकबाल सिंह : क्या माननीय सदस्या चाहती है कि पंक्ति संख्या 22 से 24 तक को निकाल दिया जाये।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 22 से 24 तक को निकाल दिया जाये।

पंक्ति 22 से 24 तक इस प्रकार हैं :

"(क) उपधारा (1)" किसी सार्वजनिक स्थान "के बाद कोष्ठक तथा ये शब्द" (चाहे ऐसे किसी वाहन में वास्तव मे कोई सामान अथवा यात्री हों अथवा नही) जोड़ दिये जाये। मैं समझती हूँ ये पंक्तियां अनावश्यक हैं और इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है।

श्री इकबाल सिंह : इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पंक्तियां केवल व्याख्यात्मक हैं और इन खण्ड को पूर्णतया स्पष्ट बनाने के लिए जोड़ी गई है।

श्री आर० एस० अरुमुगम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 8, पंक्ति 20 के बाद

"(n) to any transfort Vehicle while proceeding empty to any place for purpose of repair."

[(थ) कोई भी परिवहन गाड़ी जब कि वह खाली होकर मरम्मत के लिए किसी भी स्थान पर जा रही है।] शब्द जोड़ दिये जायें। [118]

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री इकबाल सिंह : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 20 के बाद

"(n) to any transport vehicle while proceeding empty to any place for purpose of repair."

[(थ) कोई भी परिवहन गाड़ी जबकि वह खाली होकर मरम्मत के लिए किसी भी स्थान पर जा रही हो।] शब्द जोड़ दिये जाये। [118]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं अपना संशोधन संख्या 34 वापिस लेती हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Amendment was, by leave withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खंड 18

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

खंड 19 (धारा 44 का संशोधन)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत करता हूँ ।

I want that the Hon. Minister may give due Consideration to may points. I want that there should be three persons instead of two in the Transport Authority. If the opinion is divided between the two then it would be difficult to give judgement. If there are three persons then it would be easy to make Judgement on majority.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 46, 47 और 48 प्रस्तुत करता हूँ ।

मेरा पहला संशोधन बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद है । इसमें कहा गया है कि गैर सरकारी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए । ये नामांकन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । इन्हें 30,000 से 1 लाख रुपये तक के परमिट के बारे में निर्णय लेना पड़ता है अतएव इनके मार्ग में लोभ का आकर्षण आ सकता है । अतएव इस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए । हमारा यह प्रयत्न है कि परमिट व्यवस्था में सुधार लाया जाये ताकि इसमें न्यूनतम भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी न रहे । यदि नामांकन की प्रथा जारी रखी जाये तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार किसी पर अनुकम्पा कर रही है । मेरा सुझाव सीधा यह है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को दीवानी तथा आपराधिक मामलों में निर्णय न लेने दिया जाये । अतएव मेरा अनुरोध है कि देश की भावनाओं का आदर किया जाये और यह निर्णय गैर-सरकारी अधिकारियों पर न छोड़ा जाये ।

अब मैं अपने दूसरे संशोधन पर बोलूंगा कि कौन से सदस्य होने चाहिए । इस खंड में यह कहा गया है कि कम से कम उनमें से एक व्यक्ति को न्यायिक अनुभव होना चाहिए । इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत न्यायिक अनुभव होना चाहिए । मेरा संशोधन यह है कि वह न केवल न्यायिक अधिकारी ही होना चाहिए अपितु बुद्धिमान भी होना चाहिए । यदि इसमें सब जज और जिला जज होंगे तो हमें उनकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं रहेगा। लोगों को उन पर विश्वास होना चाहिए । उन कार्यकारी अधिकारियों पर, जिन्हें केवल न्यायिक अनुभव है, लोगों का इतना विश्वास नहीं रहेगा ।

कई गांव ऐसे हैं जहां कि सड़कों पर बसें चलाना उपयुक्त नहीं है। वे दूर-दूर बिखरे पड़े हैं और यदि आप इसके लिये परमिट भी दें तो कोई परमिटधारी उस क्षेत्र में नियमित रूप से बसें चलाना ठीक नहीं समझेगा। हमें इन गांव वालों की आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा। तालुक बोर्ड या पंचायत या स्थानीय निकाय यह कह सकते हैं कि उनके पास सड़कों की देख-रेख के लिए धन नहीं है यदि हमें उन गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढ़ना पड़ेगा जो इन सड़कों की देख-रेख के लिए वित्त दे सके। कई लाइसेंसधारी सड़क की देख-रेख के लिए वित्त देने को तैयार हो जाएंगे यदि उनको उस मार्ग पर कई वर्षों तक के लिये एकाधिकार का अधिकार दिया जाये। जब तक वह सड़क एक स्तर तक बनी रह सके तब तक के लिये वह परमिटधारी के लिए सुरक्षित रखी जाये।

चौथी योजना में सड़कों के लिये 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 400 करोड़ रुपये केन्द्र और 400 करोड़ रुपया राज्य के लिए रखा गया है। यह कहा गया है कि राज्य इसमें से 100 करोड़ रुपया गांवों की सड़कों के लिए कम रहेगा। मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये। क्या गांवों के सड़कों के लिए इतनी कम राशि रखना उचित है। ऐसी स्थिति में जबकि गांव की सड़कों के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, गैर-सरकारी पक्ष को सड़क के एकाधिकार का अधिकार न देना कहां तक उचित है ?

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णानगर) : मैं संशोधन संख्या 58, 59, 60 प्रस्तुत करती हूँ।

मेरा पहला संशोधन सुस्पष्ट है। दूसरे संशोधन के बारे में मेरा यह कहना है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण में भेदभाव क्यों किया जा रहा है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण में गैर-सरकारी अधिकारी भी शामिल होने चाहिए ताकि इसमें लोगों की आवाज भी सुनी जा सके।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 75, 76 और 77 प्रस्तुत करता हूँ।

I had stated yesterday that the Government may find out a way so that any operator may have not to deposit taxes at one place. The operators have to face difficulties while crossing from one region to other region. The Centre may consider over it.

I have an experience that those non-officials members also join the board an favourite of Ministers. In my opinion these things should be left on officials. The departments, who issue licences in regard to import, export etc., have officials and they are the persons who issue these licences.

The clause provides for appointment of an official possessing judicial experience. What I suggest is the official so appointed for the purpose should have to take credit a service record above board. There are instances where persons against whom charges of corruption were being inquired into have been promoted. Such things should not be allowed to happen.

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्ण नगर) : मेरा संशोधन इस परन्तुक को हटाने के लिये है। जब आप एक ही व्यक्ति से प्राधिकरण बनाते हैं तो समूची शक्ति उसमें निहित हो जाती है और इस प्रकार न्याय की आशा नहीं की जा सकती चाहें वह व्यक्ति न्यायिक अनुभव प्राप्त ही क्यों न हो। इसलिये मेरा संशोधन यह है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन केवल एक व्यक्ति से ही नहीं किया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि सभी गैर-सरकारी सदस्य भ्रष्ट नहीं होते। वे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। दूसरी बात यह कि सड़कें आमतौर पर सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा बनायी जाती हैं, किन्तु किसी विशेष मामले में यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो सड़क निर्माण का कार्य किसी मालिक को एकाधिकार के रूप में न देकर सहकारी समिति को दिया जाना चाहिए। पांच या छः वर्ष के लिये सीमित एकाधिकार के सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यह एकाधिकार किसी विशिष्ठ मालिक को नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री इकबाल सिंह : हमने विधेयक में दो अधिकारियों, अर्थात एक सरकारी तथा एक गैर-सरकारी अधिकारी की व्यवस्था की है जिसका आशय है कि दो से कम नहीं। उससे अधिक हो सकते हैं। केवल ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों अथवा छोटे क्षेत्रों में जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण का विलय किया गया है और केवल एक ही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है, एक अधिकारी को वह भी न्यायिक अनुभव प्राप्त नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है।

प्रस्तावित रूप में यह खण्ड उपयुक्त खण्ड है और सभी हितों के अनुकूल है। ये नियुक्तियां राज्य सरकारों द्वारा की जानी हैं, न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हम केवल मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्यवस्था कर रहे हैं।

इस प्राधिकरण में अधिकारियों की संख्या यथा स्थिति 7 या 8 तक भी हो सकती किन्तु आमतौर पर 5 या 6 होती हैं लेकिन दो से कम नहीं। कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व गैर-सरकारी अधिकारी करते हैं। कुछ स्थानों में लारी मालिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थिति है।

जहां तक एकाधिकार का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्रत्येक परमिट तीन वर्ष के लिये दिया जाता है। उसका नवीकरण करवाया जा सकता है। विधेयक में इसके लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती।

जहां तक सड़कों के निर्माण का सम्बन्ध है, वैसे तो कोई भी व्यक्ति सड़क बना सकता है और कोई सुविधा दे सकता है। लेकिन विधेयक में किसी के लिये एकाधिकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

जहां तक न्यायिक अनुभव का सम्बन्ध है, कुछ राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है और कहीं पर नहीं किया गया इसलिये, इन शब्दों अर्थात 'न्यायिक अनुभव प्राप्त" का प्रयोग किया गया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22,23,46,47,48,58,59 तथा 60 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments 22, 23, 46, 47, 48, 58, 59 and 60 were put and negatived.

Shri Abdul Gani Dar : I seek the leave of the House to withdraw my amendments No. 75, 76 and 77.

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 75,76, तथा 77 वापस लिये गये ।

The amendments 75, 76 and 77 were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20—धारा 45 का संशोधन

श्री अब्दुल गनी डार : मैं अपना संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं ।

My amendments, if accepted would benefit the common men desirous for having motor cars Under the proposed provision, a person who applies for a permit, will be will be required to deposit Rs. 500/- which is a heavy burden on the middle-class persons. I would, therefore request the hon. Minister to reduce this amount to Rs. 200/- so that every body desirous of applying for a permit could easily afford it.

My second amendment seeks to prescribe a specific period of one week instead of the words 'as soon as possible'. Supposing some body is not granted a permit he had applied for, he should be refunded the amount of security within a week, otherwise, these may be inordinate delay in making the payment to the depositor.

I hope it is a very reasonable amendment, and the hon. Minister should have no difficulty in accepting it.

श्रीमती इलापाल चौधरी : मैं अपना संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करती हूँ ।

मैं चाहती हूं कि विधेयक के पृष्ठ 9 पर, 26 से 41 तक की पंक्तियां निकाल दी जायें । यदि ऐसा करना संभव न हो, तो श्री शिव चन्द्र झा का यह संशोधन, कि जमानत की राशि 500 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दी जाये, स्वीकार किया जाना चाहिए । क्योंकि 500 रुपये की राशि मध्यम वर्ग के लोगों के लिये भारी रकम है ।

श्रीमती ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपने संशोधन संख्या 90, 91 तथा 92 प्रस्तुत करता हूँ ।

Most of the people do not read the official gazette. So this provision will not benefit the people in general. My amendment, therefore, seeks to insert the words "and in any one of the leading daily newspapers in regional language" after the word "gazette" so that the common man is benefited thereby.

The hon. Minister has been good enough to appreciate the spirit of my amendment and I hope he will accept the same.

श्री इकबाल सिंह : पहले फीस का कोई उपबन्ध नहीं था । कोई भी व्यक्ति अर्जी दे सकता था। परिणाम स्वरूप हजारों आवेदन-पत्र आते थे, यहां तक कि जिन्हें आवश्यकता नहीं होती थी, वे भी आवेदनपत्र दे देते थे, जिसके कारण हमें को परमिट जारी करने में विलम्ब होता था । इसे रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि आवेदनपत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों के आयें, जिन्हें वस्तुत : इसकी आवश्यकता हो, हमने ऐसी यह व्यवस्था होने का निर्णय लिया है । मूल अधिनियम में 5,000 की व्यवस्था थी, जिस संयुक्त समिति ने घटाकर 500 रुपये कर दिया हैं और यदि सदस्यगण जोर देते हैं, तो मैं उसे घटाकर 200 रुपये करने के प्रश्न पर भी विचार कर सकता हूँ ।

मूल अधिनियम में कुछ और प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है । हमें उसका अनुसरण करना है । एक व्यक्ति, जो 6,0000 रुपये की बस चलाना चाहता है, उसके लिये 200 रुपये या 300 रुपये जमा करना कोई बात नहीं है, यदि वह इस राशि को बहुत बड़ी राशि समझता है, तो मेरी राय में वह वास्तविक आवेदनकर्ता नहीं है ।

जहां तक अधिसचना को प्रादेशिक भाषायी समाचारपत्रों में प्रकाशित करने का प्रश्न है, वास्तव में उसे कुछ व्यापारी पत्रिकाओं अथवा परिवहन कर्मचारियों तथा परिवहन संचालकों की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की प्रथा रही है । क्योंकि सम्बन्धित लोगों के लिए यह अधिक लाभकारी है । उसे अन्य समाचारपत्रों तथा दैनिक पत्रों में प्रकाशित करने का कोई लाभ नहीं है । हमें इसे उन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करना होता है जिन्हें परमिटों में रुचि रखने वाले लोग पढ़ते हैं ।

वर्तमान पद्धति के अनुसार उसे छोटे व्यापारी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, चाहे वे संचालकों के हों अथवा परिवहन कर्मचारियों के । यह प्रथा जारी रहेगी और नये विधेयक में हमने गजट में प्रकाशित करने की व्यवस्था केवल इसलिये की है कि उसे गजट में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए । हमने इसे अधिक सख्त बनाने का प्रयत्न किया है । जो अधिक ठीक है । मैं इसे दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के सुझाव को स्वीकार नहीं करता ।

Shri Shiv Chandra Jha : The hon. Minister has not stated anything about my amendment 25 which seeks to specify a period of one week for refunding the money to the applicant in the event of the non-grant of a permit to him. It will be in the interest of and beneficial for the motor car owners

श्री इकबाल सिंह : मैंने 500 रुपयों के स्थान पर केवल 200 रुपये स्वीकार किये हैं । एक सप्ताह की अवधि के बारे में राज्य सरकार को निदेश दिये जा सकते हैं । श्री ओम् प्रकाश त्यागी के सुझाव के बारे में राज्य सरकारों को उन्हें प्रकाशित करने को कहा जा सकता है । वास्तव में ये पत्रिकायें साप्ताहिक हैं और इनको कानून के अन्तर्गत रखने के लिये उन्हें क्षेत्रीय पत्रिकायें कहना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में यही कठिनाई है ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : In the first reading an assurance was given in this respect. Whether the state government and the Transport Department would follow

your practice or not, is a different thing but it is sure that what I have suggested would be beneficial for the public.

श्री इकबाल सिंह : व्यापार सम्बन्धी कोई दैनिक समाचार पत्र नहीं है। राज्य सरकारें भी इसी प्रक्रिया को अपना रही हैं अन्यथा सारी प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाती है।

Shri Om Prakash Tyagi : But any local newspaper or some thing like that should be written in this.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 9, पंक्ति 29 में

'five' [पांच] के स्थान पर 'two' [दो] रखा जाये, [संख्या 24]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 25,35,61,90,91 तथा 92 मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 25,35,61,90,91 तथा 92 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 25,35,61,90,91 and 92 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 20 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 20 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 20, as amended was added to the Bill

खण्ड 21 और 22

सभापति महोदय : खण्ड 21 में कोई संशोधन नहीं है। खण्ड 22 में श्री मधुकर का संशोधन है किन्तु माननीय सदस्य अनुपस्थित है। अतः मैं इन खण्डों को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 21 तथा 22 विधेयक का अंग बनें''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 21 तथा 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 21 and 22 were added to the Bill

खण्ड 23

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि पृष्ठ 10, पंक्ति 38 में

'seasons' [ऋतुओं] शब्द के पश्चात

'and the same is prominently marked on this vehicle' [वाहन पर यह बात स्पष्टतः अंकित कर दी जाय] शब्द जोड़ दिये जायें (संख्या 49)

इस संशोधन का उद्देश्य बसों में भीड़ भाड़ को रोकना है। जांच आदि के बाद यह पता चला कि बसों के मालिकों को अधिक कर देना पड़ता है तथा मोटर गाड़ियों की लागत भी अधिक है। मरम्मत आदि पर भी उनका अधिक व्यय होता है। अतः उनको लाभ केवल तभी होता है जब वे बसों की निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ले जायें। इस अव्यवस्था को रोकने के लिए बसों की यात्री ले जाने की क्षमता को बसों पर स्पष्टतः अंकित किया जाना चाहिये।

श्री इकबाल सिंह : इस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः बसों में यात्री क्षमता अंकित होती है, किन्तु माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह क्षमता स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये। मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि पृष्ट 10, पंक्ति 38 में

'seasons' [ऋतुओं] शब्द के पश्चात्

'and the same is prominently marked on the vehicle' [वाहन पर यह बात स्पष्टतः अन्कित कर दी जाय] (संख्या 49)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

सभापति महोदय : श्री दार ने संशोधन संख्या 78 प्रस्तुत नहीं किया है। इस खण्ड को संशोधित रूप में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, निशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23, as amended was added to the Bill.

खण्ड 24

इसके पश्चात खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 24 was then added to the Bill.

सभापति महोदय : इसके पश्चात् अब खण्ड 25 लिया जायेगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): I beg to move my amendment Nos. 26 and 27.

With a view to curb the period of delay by the Government employees the period of 120 days and 60 days fixed by the Government for the purpose should be reduced to 75 days and 45 days respectively.

श्री इकबाल सिंह : अनुभव यह है कि सम्पूर्ण प्रकिया के लिए लगभग चार मास की अवधि चाहिए। इतने समय से कम में सभी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होती। इसलिए हमने 120 दिन की अवधि निश्चत की है।

Shri Shiva Chandra Jha : I am against the extension of the period because of the likelihood of lethargy in the government machinery.

श्री इकबाल सिंह : माननीय सदस्य मेरी बात समझ नहीं पाये। मैंने निवेदन किया था कि समस्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिये लगभग 4 महीने लग जाते हैं। अतः समय कैसे कम किया जा सकता है? यदि हम इस समय को घटा भी दें तो लोग उच्च न्यायालय में जा सकते हैं इससे और भी कठिनाई उत्पन हो सकती है।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 26 तथा 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 तथा 27 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 26 and 27 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

'कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 25 was added to the Bill

खण्ड 26

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 26 was added to the Bill

खण्ड 24

(धारा 60 का संशोधन)

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत करता हूं ।

The words, 'It may be exercised by any authority or person' are ambiguous. I request that the government should add after any authority or person the words 'not below the rank of a Gazetted Officer'. I also suggest that the power should not be delegated to any authority or peason who is below the rank of a Gazetted Officer. The judicial duties must be exercised by the appropriate authorities. If these power are to be delegated to any person he should be a responsible person with a view to avoid any kind of administrative lape.

श्री इकबाल सिंह : मेरे विचार में इन शब्दों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परमिट बनाने, उनका नवीकरण करने, आदि के बहुत से मामले नित्य आते रहते हैं तथा इन छोटे मामलों के लिए भी राजपत्रित अधिकारियों की व्यवस्था करने से जनता को कठिनाई हो सकती है। इन मामलों को निपटाने के लिए अन्य अधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाता है ।

Shri Om Prakash Tyagi : But the person to whom these powers are delegated can cancel a permit for the period of one month. Therefor, that person should be a responsible man.

श्री इकबाल सिंह : आर० टी० ए० का सचिव ही राजपत्रित अधिकारी होता है और यदि ये छोटे मामले भी उसी अधिकारी को निपटाने पड़ेंगे तो जनता को बड़ी कठिनाई होगी। इसी कारण सचिव अन्य अधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित कर देता है। मेरे विचार से इस व्यवस्था को मान लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री त्यागी के संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 93 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 93 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 27 was added to the Bill.

खण्ड 28

(धारा 62 का संशोधन)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : महोदय ! मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूँ।

यदि किसी व्यक्ति का परमिट या लाइसेंस समाप्त किया जाता है तो वह न्यायालय में पहुंच जाता है तथा ऐसा करने से उसे समय मिल जाता है मेरा निवेदन यह है फिर किसी प्रकार इस अतिरिक्त अवधि को कम करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऐसी स्थिति में जिन दो व्यक्तियों में लाइसेंस को लेकर विवाद हो, उनमें से किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलना चाहिये। न्यायालय के निर्णय प्राप्त करने की अवधि तक वह लाइसेंस किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जाना चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि वे व्यक्ति परस्पर मिलकर विवाद का हल स्वयं निकालने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, I beg to move my amendment No. 80.

Sir, the temporary permits should be given to the suspended parties provided they are not black listed.

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं अपने संशोधन संख्या 63 और 64 प्रस्तुत करती हूँ।

यदि आप न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध परमिट देते हैं तो न्यायालय को विषम परिस्थिति में डालते हैं। न्यायालय के निषेध के कारण आप को इस खण्ड को वापस ले लेना चाहिये।

श्री इकबाल सिंह : यदि हम तृतीय पक्ष को अवसर देते हैं तो समस्या और भी उलझ जाएगी। यदि वर्तमान संचालक को हटाना पड़ता है तो या तो राष्ट्रीयकृत यातायात को उसका स्थान देना होगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को परमिट मिलेगा।

श्री अब्दुल गनी दार के संशोधन को विधेयक में स्थान नहीं दिया जा सकता क्योंकि बात वैसे ही स्पष्ट है यदि किसी मामले की ओर हमारा ध्यान दिलाया जायेगा तो हम उस पर ध्यान देंगे।

Shri Abdul Ghani Dar : A large number of vehicles were caught while carrying goods out of Delhi without permission. If you issue temperary licences to these operators whose licences have been suspended and their cases are in the courts, it would be a loss to the Government.

श्री इकबाल सिंह : कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें केवल अस्थाई परमिट ही दिये गये थे। संभव है किसी विशेष रूट का राष्ट्रीयकरण हो गया हो। ऐसी दशा में हम नये व्यक्तियों को नये परमिट नहीं दे सकते है।

यदि इस महिला सदस्य द्वारा रखे संशोधनों को स्वीकार करते हैं तो हमें कुछ क्षेत्रों को यातायात की सुविधा से वंचित रखना पड़ेगा।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या आप यह पता लगाएंगें कि आदेश किसके सम्बन्ध में है और कम से कम ऐसे व्यक्तियों को तो परमिट नहीं देंगे ।

श्री इकबाल सिंह : इसमें एक कठिनाई है । राज्य सरकार किसी विशेष रूट का राष्ट्रीयकरण कर सकती है । कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध न्यायालय से निषेधाज्ञा ले लेता है । उस दशा में हम परमिट जारी नहीं कर सकते । वर्तमान परमिट तभी रद्द होंगे जब किसी रूट का राष्ट्रीयकरण होगा । इसलिए मैं इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : क्या मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखूं ?

श्री अब्दुल गनी डार : आपकी अनुमति से, मैं संशोधन संख्या 80 वापस लेता हूँ ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 80 वापस लिया गया
The amendment No 80 was by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अब मैं शेष सभी संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 50, 63 और 64 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
Amendment Nos 50, 63 and 64 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है,

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 28 was added to the Bill

खण्ड 29

श्री लोभो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूँ ।

यह इसलिए आवश्यक है कि कुछ 'पर्यटक' परमिट प्राप्त गाड़ियाँ रास्ते में ही यात्रियों को बैठा लेती हैं जिससे रूट के परमिट-धारियों के अधिकार का हनन होता है । और मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो परमिट-धारियों को संरक्षण प्राप्त हो जायेगा

श्री अब्दुल गनी डार : मैं अपने संशोधन संख्या 81 और 82 प्रस्तुत करता हूं ।

I wish that you increase the milage from 8 to 32 as it would eliminate a great inconvenience.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 13, पंक्ति 19 में "eight" (आठ) के स्थान पर "sixteen" (सोलह) शब्द रखा जाये । (संख्या 94)

श्री इकबाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 94 को स्वीकार करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु के संशोधनों के सम्बन्ध में हम पर्यटक बसों के नियम निर्धारित कर रहे हैं। उन नियमों में हम इसकी व्यवस्था कर देंगे ।

श्री लोबो प्रभु : इस स्पष्टीकरण के पश्चात् मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या 51 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No, 51 was, by leave withdrawn

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या 81 और 82 सभा की अनुमति से वापस लिए गये

Amendment No. 81, 82 were, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 19, "eight" (आठ) के स्थान पर "sixteen" (सोलह) शब्द रखा जाये । (94)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 29 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 29, as amended, was added to the Bill

खण्ड 30 धारा 63 ए का संशोधन

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूँ ।

यह संशोधन मेरे उस समय के अनुभवों के आधार पर है जब मैं गृह सचिव था तथा उससे पूर्व जिला अधिकारी भी रहा था । कई सम्मानीय व्यक्ति मेरे पास किसी पार्टी को परमिट दिलाने के लिये पहुंचते थे उनमें हाईकोर्ट जज, कार्य विशेषज्ञ आदि भी होते थे । उस समय परमिट देने की एक कसौटी मैंने बनाई थी । मेरी उस कसौटी को सरकार ने और न्यायालय ने स्वीकार किया । उसमें मैंने अंक देने की पद्धति बनाई थी । उससे मुझे परमिट देने के कार्य में बड़ी सुगमता हुई । चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना किया ।

इसलिए केन्द्र को भी ऐसे ही मार्गदर्शी नियम बनाने चाहिए जिससे राज्य परिवहन तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को परमिट देने में कोई कठिनाई न हो ।

श्री इकबाल सिंह : माननीय सदस्य के विचार प्रशंसनीय हैं । विधेयक को राज्य सरकारों ने कार्यान्वित करना है । हम उनसे कहेंगे कि, परमिट देने वाले अधिकारियों का मार्गदर्शन करे परन्तु इन्हें विधेयक में सम्मिलित करने से कठिनाई होगी ।

श्री प्रभु लोबो : मैं अपने संशोधन को वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन संख्या 52 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 30 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 30 was added to the Bill.

खण्ड 31

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूँ ।

अपील के लिए 120 दिन दिये जाते हैं जबकि इतनी अधिक अवधि दिए जाने के लिए कोई कारण नहीं है । यह मामला न्यायालयों पर छोड़ा जाए और विधेयक में सम्मिलित न किया जाए ।

श्री इकबाल सिंह : दीर्घ कालीन अनुभव के आधार पर सभी राज्य सरकारों ने इसके लिए सिफारिश की है । शीघ्र अपील करने के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन, संख्या 53, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 31 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 31 was added to the Bill

खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 32 was added to the Bill

खण्ड 33

संशोधन किया गया : पृष्ठ 17, पंक्ति 27 में '1968' के स्थान पर '1969' रखा जाये।

(115) (**श्री इकबाल सिंह**)

सभापति सहोदय : प्रश्न यह है कि :

'खण्ड 33, संशोधित रूप में, विधेकक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 33, as amended, was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं कि :

"खण्ड 34 और 35 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 34 और 35 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 34 and 35 were added to the Bill

खण्ड 36 (नई धारा 66-A का जोड़ा जाना)

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 28 और 29 प्रस्तुत करता हूँ।

A provision has been made in the Bill for the deposit of a sum not exceeding Rs. 5000/- from these persons who want to become an Agent. As large sums are misappropriated I propose that "not exceeding" be replaced by "not less than".

Similarly I have proposed that in respect of second Agents the condition may be "not less than five hundred rupees.

श्री इकबाल सिंह : यह नियम पहले से ही विद्यमान है। हम चाहते हैं कि एजेंट छोटे क्षेत्रों में भी कार्य करें इसलिये हमने '5000 रुपये से अधिक नहीं' यह व्यवस्था रखी है।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 28 और 29 को मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 28 और 29 मतदान के लिये रखें गये और अस्वीकृत हुये।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

'खण्ड 36 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 36 was added to the Bill

खण्ड 37 और 38 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 37 and 38 added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 39 के बारे में श्री त्यागी जी के कुछ संशोधन हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपने संशोधन संख्या 96, 97 और 98 प्रस्तुत करता हूँ :

पृष्ठ 19, पंक्ति 39, "news paper" (समाचार पत्र) के पश्चात ये शब्द रखे जायें "in regional language" (प्रादेशिक भाषा में) [98]

As the hon. Minister has fundementally agreed, there is no need for discussions at length now. Please get that scheme circulated in local newspapers, apart from inclusion in official gazette.

I have another amendment in respect of lines 4-5 :

That is to include the words, recognised by the State Government in rsepect of these associations.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I suggest that the language of this clause should be as such :

"Not less than two papers, one of which should be in regional language".

Shri Iqbal Singh : Shri Tyagi is, perhapes, not aware of the present practice. I said that there are various newspapers which are in circulation in trade and they cater to needs of transport trade.

Shri Om Prakash Tyagi : The word newspaper is included, which does not mean business papers.

Shri Iqbal Singh : These newspapers relate to transport trade and some of them are published on behalf of transport workers. But your amendment widens this field to a great extent. These papers are largely in regional languages. The notices regarding permits and objections are given through these papers, which are usually read by the transporters. The papers published by workers also get advertisements and as such the provision is in their favour.

The amendment proposing to include, 'recognised by the state', if accepted, can be harmful. It is benificial to continue the present practice of notifying in the trade journals.

Shri Om Prakash Tyagi : I still stress that the words, 'in regional language' should be added in the clause.

Shri Iqbal Singh : I am sorry to say that these papers are published in regional languages which are popular with the people.

Shri Om Prakash Tyagi : When the arguments are convincing, we withdraw our amendments. I suggested inclusion of the words "any local newspaper" after the words "official gezette" and the words "in regional language" after the words "not less than one newspaper".

In cases where private buses are nationalised, the scheme would be published. You can give it in any newspaper but I would like that it must be published in one local regional language paper. I do'nt find any harm in the proposed amendment.

Shri Iqbal Singh : Do you want that trade papers may not exist ?

Shri Om Prakash Tyagi : There would be no harms if the words 'in regional language" are added in the cluase.

श्री लोबो प्रभु : कृपया "regional" (प्रादेशिक) शब्द को स्वीकार कर लें।

श्री इकबाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 98 को स्वीकार करता हूँ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 96 और 97 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 96 और 97 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 96 and 97 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ट 19, पंक्ति 39,—

"newspaper" (समाचार पत्र) के पश्चात्

"in regional language" (प्रादेशिक भाषा में) शब्द रखे जायें (98)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 39 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 39 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 39 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 40 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 40 was added to the Bill.

खण्ड 41 (धारा 68 एफ में संशोधन)

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ।

इस विषय पर राज्य सभा में एक घण्टे की चर्चा हुई थी। राष्ट्रीयकरण अच्छी बात हो सकती है। इसको मेरा दल तथा कुछ और दल भी स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु जब तक अन्तिम रूप से राष्ट्रीयकरण न हो जाय तब तक किसी के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब आप राष्ट्रीयकरण की योजना प्रकाशित करेंगें तो आप नए परमिट नहीं देगें। परन्तु जहां तक चालू परमिटों के नवीकारण का सम्बन्ध है वे तब तक किये जाने चाहिएं जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं किया जाता। राज्यों द्वारा अपनी बसें चलाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस लिए पुराने परमिटों को अंतिम निर्णय होने तक चलते रहने दिया जाये।

श्री तेन्नेति विश्व नाथम (विशाखापतनम) : माननीय सदस्य का अंतिम निर्णय से क्य अभिप्राय है । क्या उनका निर्देश प्रकाशन की ओर है ?

श्री लोबो प्रभु . ऐसा नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि जब सरकार, आपत्तियों को सुनने के पश्चात, अंतिम निर्णय ले लेती है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 100 प्रस्तुत करता हूँ ।

When Government nationalise some routes and published modified scheme, then it decides finally whether only state transport would operate on the route or private operators would also be allowed to continue. He has said that private buses would be given temporary permits during interm period.

I feel that temporary permits should be given to all the bus operators till the scheme is finalized.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I feel that operators should not be harassed. They should be helped sincerely.

When the Government was not in the field, it were the private operators who tried to solve the transport problem. Their services should not be ignored. They are not very rich people. Due consideration should be given to their grievances.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने तक वर्तमान अस्थायी परमिट देने की व्यवस्था को जारी रखना चाहिये और नये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं करने चाहिये ।

श्री इकबाल सिंह : यह खण्ड इस विधेयक का मुख्य खण्ड है । संयुक्त समिति और दूसरे सदन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा किये जाने के बाद अन्तिम रूप से निर्णय किया गया था । योजना के अन्तर्गत आपरेटरों को कोई कठिनाई नहीं होगी । यदि एक परमिट तीन वर्ष के लिये जारी किया जाता है तो उस अवधि तक उनको परेशान नहीं किया जायेगा । उस अवधि के पश्चात सरकार की यह मर्जी है कि वह उनको परमिट जारी करे अथवा नहीं ।

मैं इस बारे में कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । जब योजना को अन्तिम स्वीकृति दे दी जायेगी तब परमिटों का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा ।

श्री लोबो प्रभु : तब आप अस्थायी परमिट दें । जब तक इस विषय में अन्तिम निर्णय न लिया जाये परमिटों को कैंसिल न करें । ऐसा करना अनुचित होगा ।

श्री इकबाल सिंह : उन्हें अस्थायी परमिट दिये जायेंगे । उनके परमिटों को रद्द नहीं किया जायेगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यदि उक्त तिथि तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तो क्या स्थिति होगी ? यदि आप योजना को अन्तिम रूप देने तक परमिटों का नवीकरण कर दें तो क्या हानि होगी ?

श्री इकबाल सिंह : यदि यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो इससे राष्ट्रीयकरण की पूरी योजना प्रभावित होगी । नये परमिट तीन वर्ष के लिये ही दिये जा सकते हैं । अतः हम नये परमिट नहीं दे रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप विधेयक से 'नवीकरण' शब्द को निकाल दें। आप चाहें नये परमिटों को जारी करने की स्वीकृति न दें लेकिन नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से इस विषय पर निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों को उनके वर्तमान अधिकारों से वंचित न करें। इससे आपकी राष्ट्रीयकरण योजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : नवीकरण का अर्थ है तीन वर्ष के लिये नवीकरण करना। लेकिन अस्थायी परमिट छः महीने के लिये दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 54 और 100 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 54 और 100 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 54 and 100 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 41 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 41 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 41 was added to the Bill

खण्ड 42 से 51

सभापति महोदय : इन खण्डों के बारे में कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : I have submitted any amendments in writing.

सभापति महोदय : मुझे कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : I have submitted an amendment. Please see.

My amendment is

that after line 14 insert

"Provided further that to grant permits to eligible applicants a ballot shall be held for all the applicants and the necessary number chosen accordingly under the auspices of Transport Authority and the presence of the applicants".

सभापति महोदय : मैंने आपको खण्ड 42 पर बोलने की अनुमति दी है। संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है। आपका संशोधन 89 खण्ड 19 के अन्तर्गत चला गया है। वह खण्ड 19 के अन्तर्गत मुद्रित है। फिर भी यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको दो मिनट देता हूं।

Shri Om Prakash Tyagi : Permits to the applicants should be issued by ballots. It will help in abolishing corruption.

Shri Iqbal Singh : We have already stated that we will bring one comprehensive Bill. We will take into consideration his present suggestion afterwards.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42 से 51 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 42 से 51 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 42 to 51 were added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 52, श्री तापड़िया और श्री धर यहां उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 52 से 61 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 52 से 61 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 52 to 61 were added to the Bill.

खण्ड 62—नई धारा 110 सी० सी० और 110 सी० सी० सी० का रखा जाना

सभापति महोदय : श्री श्रीनिवास मिश्र यहां उपस्थित नहीं हैं । श्री तापड़िया भी यहां उपस्थित नहीं हैं । श्री ओम प्रकाश त्यागी के संशोधन संख्या 101 और 102 हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपने संशोधन संख्या 101 और 102 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Om Prakash Tyagi : At the time of insurance, the Insurance Company should make enquiries about fact and figures and when the time of maturity of claim comes, the insurance company should not assert that the facts are incorrect. The words "by representation of fact which was false" should be deleted.

Shri Iqbal Singh : It is the legal language which is used here. In case your suggestion is accepted, it will lead to complications. You will have to prove the intention.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

संशोधन संख्या 101 और 102 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos: 101 and 102 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 62 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 62 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 62 was added to the Bill.

खंड 63 और 64 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 63 and 64 were added to the Bill.

खंड 65—(नई धारा 113-क का रखा जाना) ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं ।

I would like to say that the period of imprisonment of three months may be substituted by five months.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत करता हूँ ।

It is not desirable to give punishment to anyone without sound proof. No one should be punished merely on the statement of the driver.

Shri Iqbal Singh : I cannot accept this amendment. It is presumed that the court would award punishment only on the basis of some proof. It does not seem proper to ask the courts to obtain sound proof.

Secondly, the period of 3 months. I think, is all right. We may examine the aspect in the next Act, if necessary.

Shri Shiv Chandra Jha : The period of imprisonment upto 5 months for the owner should be provided in the Act. It is possible that the court may award imprisonment only for one month.

Shri Iqbal Singh : Since it is three months in section 13 I have also put three months. It would not look nice to award imprisonment for three months to the driver and 5 months to the owner.

संशोधन संख्या 37 और 103 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 37 and 103 were put and negatived:

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 65 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 65 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 65 was added to the Bill.

खंड 66—(धारा 115 का संशोधन)

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 38 और 39 प्रस्तुत करता हूँ ।

I would request that the amount of fine be increased from Rs. 200 to Rs. 300. My second amendment is that the fine should not be less than Rs. 500 in the case of second offence. It should be compulsory.

Shri Iqbal Singh : The amount of fine upto Rs. 200 in the case of first offence is reasonable. It would be great hardship of the fine of Rs. 500 is made compulsory in the case of second offence. It will become difficult for those also who are entrusted with the job of implementing it as the challans under this act amount to thousands. Therefore I would request him not to press these amendments.

संशोधन संख्या 33 और 39 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 38 and 39 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 66 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 66 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 66 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 67 से 69 तक विधेयक का अंग बने ।।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 67 से 69 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 67 to 69 were added to the Bill.

खण्ड 70—(धारा 129-क में संशोधन)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूँ । आप पुलिस को, ओटो-रिक्शा के सम्बन्ध में गाड़ी और पंजीयन प्रमाण-पत्र दोनों को जब्त करने की शक्ति दे रहे हैं जब कि गाड़ी जब्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं चाहता हूँ कि सम्बन्धित निरीक्षक गाड़ी जब्त करने के कारण बताये । इससे पुलिस गरीब रिक्शा चालकों पर अनुचित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगी ।

श्री इकबाल सिंह : राज्य सरकारों ने हम से शिकायत की है कि तस्कर व्यापार के लिये कुछ ओटो-रिक्शाओं का उपयोग किया जाता है और इस शक्ति के बिना वे उनको जब्त नहीं कर सकते । यही उपबन्ध ट्रकों पर लागू होता है । पुलिस को गाड़ी जब्त करने के कारण बताने पड़ेंगे । इसका असर केवल उन व्यक्तियों पर पड़ेगा जो गैर-कानूनी कार्यवाही करते हैं । केवल इस प्रयोजन हेतु हमने इस शक्ति को लिया है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 56 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 70 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 70 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 70 was added to the Bill.

खण्ड 71 से 79 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 71 to 79 were added to the Bill.

खण्ड 80

श्री इकबाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

पृष्ठ 43,—

(एक) पंक्ति 5 को हटा दिया जाय ।

(दो) पंक्ति 11 के बाद, ये शब्द रखे जायें—

"Tamil Nadu.....TN, TM"

(तमिल नाडु.....टी०एन०, टी०एम०) (116)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूँ।

The number plates on vehicles should be in Hindi and English, in addition to the regional language, so that the policemen all over the country may be able to note down the number easily.

श्री इकबाल सिंह : हम इस बारे में राज्य सरकारों की राय जानना चाहते हैं। हमें आशा है कि तभी हम इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय नीति का निर्धारण कर सकेंगे।

संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 16 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 43,—

(एक) पंक्ति 5 को हटा दिया जाय ।

(दो) पंक्ति 11 के बाद, ये शब्द रखे जायें

"Tamil Nadu.....TN, TM"

(तमिल नाडु.....टी०एन, टी०एम०) (116)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 80, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 80 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 80, as mended, was added to the Bill.

खण्ड 81 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 81 was added to the Bill.

खण्ड 82

संशोधन किया गया ।

(एक) पृष्ठ 45, क्रम संख्या 12 के बाद, पंक्ति 37 के बाद, ये शब्द रखे जायें—

"13. Motor Vehicles (Madras Amendment) Act, 1957 (19 of 1957) ..The Whole."

("13. मोटर गाड़ी (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 19)...सम्पूर्ण)

(दो) पृष्ठ 45 तथा 46,

Serial Nos. 13 to 34 may be renumbered as serial Nos. 14 to 35

(क्रम संख्या 13 से 34 तक को बदल कर क्रम संख्या 14 से 35 तक कर दिया जाय)

(117) (श्री इकबाल सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 82, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 82 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 82, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "1968" के स्थान पर "1969" रखिये ।

113 (श्री इकबाल सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिननियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "उन्नीसवाँ" के स्थान पर "बीसवां" रखिये ।

(112) (श्री इकबाल सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

THE ENACTING FORMULA, AS AMENDED, WAD ADDED TO THE BILL

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री इकबाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

Shri Yageshwar Yadav (Banda) : Sir, there is no provision in this Bill to check corruption at the permit issuing stage. Secondly, more than one permits should not be issued to any individual permits for buses should be given to only those people who belong to the area for which permit is given. Then, at present the policemen unnecessarily harass the truck driver and extract illegal qualification from them or force them to do some odd jobs for them. A provision should be made in the Bill to put a curb on this evil practice.

श्री स० कंडप्पन (मैसूर) : हमारे देश में मोटर लारी और अन्य गाड़ियों द्वारा काफी तस्कर व्यापार किया जाता है और इन गाड़ियों को जब्त करने के लिए कोई कानून नहीं है । यदि सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम में समुचित संशोधन कर दे तो तस्कर व्यापार को काफी हद तक रोका जा सकता है । दूसरे, हिन्दी में नम्बर प्लेटें लगाने के विरुद्ध कानून होते हुए भी हिन्दी में नम्बर प्लेटें लगाई जाती हैं । इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।

एक बार मुझे पटना से राजगीर तक राष्ट्रीय राजपथ से जाने का अवसर मिला । मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मील के पत्थर भी रोमन अंकों में नहीं थे । जिन्हें पर्यटक तो क्या हमारे देशवासी ही नहीं समझ सकते । हिन्दी अंकों के साथ-साथ रोमन अंक होने चाहिए । यहां तक कि स्थानों के फलक भी हिन्दी में लिखे हैं । मैं आशा करता हूँ कि सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में कुछ करेगी ।

डा० वी० के० आर० वी० राव तो चुंगी हटाने के पक्ष में थे। मैं नहीं जानत कि इस मामले में सरकार को कितनी सफलता मिली है। यदि चुंगी हटाना सम्भव नहीं है तो कम से कम चुंगी की दरें तो समान की जानी चाहिए। चुंगी के कारण लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए लोगों को बहुत असुविधा होती है। इससे आन्तरिक पर्यटन पर कुप्रभाव पड़ता है।

अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे आशा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने वाला एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही लाया जायेगा।

Shri Tulshidas Jadhav : (Baramati) : I have already said what I wanted to say at the time of the first reading of the Bill. An amendment has been accepted whereby the distance of kilometres has been substituted by 16 kilometres. Now I would only like to ask as to how much is the maximum distance between any two states. Only that distance should be kept which does not effect vehicle owners. Secondly, it has been said that in section 89 of the principal Act, after the words "when any person is injured" the words "or any property of a third party is damaged," shall be inserted. In this connection I would like to say that the third party can be even the Government. It should not be binding on a driver to give a report regarding the damage of the bridge etc., apart from the damage to vehicle and person. The police should go there and see everything.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : As we have seen many amendments have been accepted. This shows that the Bill is not very clear. So, I would like to know whether a comprehensive Bill will be brought during the next session.

Secondly, I would like to suggest that the Bill as passed here should be implemented on one date, otherwise this Bill should be withdrawn and a fresh Bill introduced.

Thirdly, I would like to suggest that the speed limit should be restricted in school and hospital zones.

Shri Kedar Paswan (Rosera) : I would like to give a suggestion that the buses should not be given to a handful of persons. In this regard preference should be given to co-operative societies so that unemployment is reduced to some extent.

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : कुछ माननीय सदस्यों ने अन्त में कुछ सुझाव दिये हैं। एक सुझाव देश में पर्यटक बसें चलाने के बारे में दिया गया है। हमने विधेयक में पर्यटक बसों को लाइसेंस देने की व्यवस्था कर दी है।

जहां तक नम्बर प्लेटों का सम्बन्ध है हम सारे मामले की जांच कर रहे हैं। यह जांच वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद हम निर्णयों को आगामी विधेयक में शामिल कर लेंगे।

जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है हमने सड़क सुरक्षा के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है तथा उसे सारे मामले की जांच करने के लिए कह दिया है।

राष्ट्रीय राजपथों पर मील दूरी बताने वाले पत्थरों के सम्बन्ध में हमने 1960 में अध्ययन किया था। इस सम्बन्ध में हमने यह कहा है कि पत्थरों पर दूरी राष्ट्रीय भाषा तथा अंग्रेजी में दी जानी चाहिए। हमें प्रादेशिक भाषा का भी प्रयोग किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह

काम तो लोगों की सुविधा के लिए किया जाता है नाकि किसी विशेष प्रचार के लिए। यदि हम केवल अंग्रेजी भाष का प्रयोग ही करें तो ऐसे लाखों लोगों को असुविधा होगी जो केवल प्रादेशिक भाषा ही जानते हैं। इस सम्बन्ध में हमने राज्य सरकारों को कुछ आदेश दिये हैं तथा उन्हें कहा है कि वे उनका पालन करें। राष्ट्रीय राजपथों पर हर 0 अथवा 5 मील की दूरी के पत्थरों पर लम्बी यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिये तो उन्हें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना ही होगा।

जहां तक चुंगी का प्रश्न है कई राज्यों में चुंगी नहीं लगाई गई है, परन्तु पांच या छः राज्यों में यह लगी हुई है। हम उसे हटाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसा करने के लिये सहमत हो गये हैं तथा कुछ ने चुंगी हटाने का वचन दे दिया है। लोगों की इस कठिनाई के प्रति हम जागरूक हैं तथा इस सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

तस्करी के सम्बन्ध में भी हमें राज्य सरकारों की सलाह लेनी होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे अधिनियम को इस तरह से लागू किया जाये जिससे अधिक लोगों को तंग किया जा सके।

जहाँ तक श्री शिवचन्द्र झा द्वारा उल्लिखित विभिन्न दरों का सम्बन्ध है हमने उस सम्बन्ध में कार्यवाही की है तथा हम खण्ड 82 के द्वारा राज्य सरकारों के लगभग 35 अधिनियमों का निरसन कर रहे हैं। इन अधिनियमों के खण्ड भिन्न-भिन्न हैं। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी दें।

स्कूल क्षेत्रों में गति की सीमा अधिनियम में निश्चित नहीं की जा सकती।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There are standing instructions that the buses should accommodate school children but they do not abide by those instructions. They should be further instructed that they must accommodate school children.

श्री इकबाल सिंह : हम नियम बना देते हैं तथा उन्हें लागू करना राज्य सरकार का कार्य होता है। मैं समझता हूँ कि वे स्कूल के बच्चों को यह सुविधा दे रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

शपथ विधेयक
OATHS BILL

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि न्यायिक शपथों से सम्बन्धित विधि को समेकित करने और संशोधित करने और कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारितरूप में, विचार किया जाये ;"

यह विधेयक विधि आयोग द्वारा अपने 28वें प्रतिवेदन में की की गई सिफारिशों को लागू करने के बारे में है ।

भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 एक छोटा सा अधिनियम है जिसमें 14 धारायें हैं परन्तु यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है । इस विधेयक द्वारा उस अधिनियम का निरसन किया जायेगा । इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन धारा 9 से 12 तक का निरसन करना है, शपथ पर विवाद हल करने के बारे में हैं । मैंने न्यायालयों में वकालत करते हुए स्वयं यह महसूस किया है कि यह अच्छी व्यवस्था नहीं है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा हम एक नई धारा ला रहे हैं । इसके अनुसार हर एक समुदाय के व्यक्तियों के लिए शपथ ग्रहण करने की बजाय प्रतिज्ञा न करने की व्यवस्था होगी । इसके लिए हमने विधान की अनुसूची में शपथ/प्रतिज्ञान दोनों प्रपत्रों की व्यवस्था की है ।

इसके अलावा विधेयक में कोई नई चीज नहीं है ।

यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि झूठ बोलना अपराध नहीं है परन्तु न्यायालय में शपथ लेने के बाद झूठ बोलना अपराध है । शपथ अधिनियम का यही महत्व है तथा साक्ष्यों के लिए सच्च बोलना विधि द्वारा अनिवार्य किया जाता है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : I welcome the provision in which right to make affirmation, instead of taking oath, shall be given to every witness and party irrespective of the community to which he belongs.

There are other lacunae in this Bill. It is going to be extended to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. I fail to understand why don't they include Jammu and Kashmir for this purpose.

I would also like to point out that clause 7 nullifies many provisions of the Bill. In clause 7 it has been said "No omission to take any oath or make any affirmation, no substitution of any one for any other of them, and no irregularity whatever in the administration of any oath or affirmation or in the form in which it is administered, shall invalidate any proceeding or render in admissible any evidence whatever, in or in respect of which such omission, substitution or irregularity took place or shall affect the obligation of a witness to state the truth."

This clause nullifies the whole provision. When you say that the evidence of a man who has not taken the oath has the same meaning as the evidence of the one who has taken the oath then what is the sense in it. So by "no omission" the entire provision of the Bill is nullified.

Similarly clause 8 is redundant. When it is said in clause 6 that oath or affirmation is binding then what is the necessity of clause 8.

There is no doubt that efforts have been made to make improvements in 1873 Act but their very purpose is going to be defeated by the addition of clause 9 and by the inclusion of clauses 7 and 8.

I am not in favour of this thing that the provision of special oath should go. The experience has shown that much time of the court is served by this system. Though our morality has been degraded to a great extend but it has been observed that people still

fear while taking oath. They hesitate to take oath. Hence I would request the hon. Minister to reconsider this matter.

श्री बि० प्र० मण्डल (मधेपुरा) : मेरी इस विधेयक के सम्बन्ध में दो शंकायें हैं। एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस अधिकारियों को शपथ दिलाने की अनुमति दी गई है अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि सभी को मालूम है कि पुलिस का स्तर बहुत गिर गया है। अत: उन्हें शपथ दिलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि विभिन्न प्रकार की शपथों सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने अनुसूची में एक ही किस्म की शपथ निर्धारित कर दी है। परन्तु अब भी एक तो शपथ तथा दूसरे प्रतिज्ञान की व्यवस्था है। शपथ तथा प्रतिज्ञान दोनों के स्थान पर यदि प्रतिज्ञान की व्यवस्था ही होती तो अच्छा होता।

Shri Chandra Shekhar Singh (Jahanabad) : When the hon. Minister had brought this Bill in Rajya Sabha then he had told that that was a small and non-controversial Bill and therefore there was nothing which would stand in the way of passing that. According to him it has been prepared in accordance with the recommendations of the law commission. So I would like to know that since it is a non-controversial Bill then why it is not being extended to Jammu and Kashmir. What are the impediments that stand in the way ?

According to Indian oath Act of 1873 Hindus and Muslims had to take oath with the Ganges water and 'Kuran' in their hands, respectively. Now, India being a secula state, this is going to be replaced by oath or affirmation. I am in favour of it. But we should give the definition of the term oath.

It has been said in clause 7 that even if there is any mistake in oath or affirmation, the proceedings will not be considered wrong. But I think that the proceedings will noty have any importance without oath. Hence I am of the view that instead of oath there should be affirmation.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I think the lacuna that had remained in thn Procedure Code and Evidence Act will be removed now by this Bill. There are people i our country who do not want to take oath, they want to solemnly affirm. Their difficulte will be over now.

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1969/7 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 28th November, 1969/7, Agrahayana 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.